# छत्तीसगढ़ विधान सभा
# की
# अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा चतुर्थ सत्र

**शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019**

**(अग्रहायण 08, शक सम्वत् 1941)**

**[अंक 05]**

**कार्यालय प्रति**

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनॉक 29 नवम्बर, 2019

(अग्रहायण 8, शक् सम्वत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत् हुई.

**अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए.**

**<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>**

**<u>साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत प्रेरक</u>**

1. (*क्र. 427) डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में 31.03.2018 के पूर्व कितने महिला/पुरुष प्रेरक कार्यरत थे ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : केन्द्र प्रवर्तित "साक्षर भारत कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रदेश में 31.03.2018 तक ग्राम पंचायत लोक शिक्षा केन्द्रों में नेतृत्व संवर्धन किये महिला एवं पुरुष प्रेरकों की संख्या निम्नानुसार है :—

| महिला | पुरुष | कुल |
|---|---|---|
| 7695 | 7539 | 15234 |

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि 15234 प्रेरक जो छत्तीसगढ़ राज्य में नियुक्त हुए थे, जिसमें पुरूष महिला दोनों हैं तो 31.03.2018 में उनकी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया तो आपसे यह जानना चाहती हूँ कि उस समय वह तत्कालीन 27 जिलों, 23 जिलों में कार्यरत थे, हर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिलों में समन्वयक के रूप में भी काम करते थे, उनका मानदेय कितना था ? और उनको क्यों नियुक्त किया गया था ? उनकी नियुक्ति का लक्ष्य क्या था ? ये साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त हुए थे, पर लक्ष्य क्या दिया गया था ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रेरकों की नियुक्ति हर पंचायत में दो-दो को करना था एक महिला और एक पुरूष और इनकी नियुक्ति ''साक्षर भारत कार्यक्रम'' के अंतर्गत किया गया था और उसका उद्देश्य यह था कि जो निरक्षर हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए इनकी नियुक्ति की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गई थी और उनको मानदेय 2 हजार रूपये प्रतिमाह में रखा गया था, 2-3 चरणों में साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत प्रेरक लोगों की नियुक्ति हुई, उसमें पंचायतों ने जो लक्ष्य रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया भारत सरकार से उसमें जो लक्ष्य रखा गया था, 20 लाख, 43 हजार, 623 लोगों को साक्ष्य करने का लक्ष्य रखा गया था और उसमें 32 लाख, 68 हजार 552 लोग सफल, साक्षर हुए। कई जो साक्षर थे उसमें सी ग्रेट के लोग भी थे जो साक्षर, केवल पढ़ना लिखना जानते थे, वे लोग भी उसमें शामिल हुए तो इस तरह से जो लक्ष्य दिया गया था, उसकी पूर्ति हम लोगों ने उसमें की है और चूंकि ये भारत सरकार की योजनाएं थीं और भारत सरकार ने इसको 31.03.2018 तक जारी रखा, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया। हमारी ओर से यहां से बहुत से पत्र लिखे गये कि अगर इनको चालू रखना है, लेकिन वहां भारत सरकार से कोई उत्तर नहीं आया और उन्होंने लिखकर दिया कि हम लोग 31 मार्च ये आखिरी डेट है, इसके बाद हम उसको आगे नहीं बढ़ायेंगे इसलिए उनको निकाल दिया।

डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि भारत सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया था, सत्येन्द्र मित्रा राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया था, प्रधानमंत्री एक्सीलेंसी पुरस्कार दिया गया था, मुख्यमंत्री ने भी पुरस्कृत किया था और 30.12.2017 को भा.ज.पा. शासन ने उनका नियमितिकरण या शिक्षाकर्मी में संविलियन के लिए पत्र भी लिखा था। माननीय मुख्यमंत्री जी का जनघोषणा पत्र में चुनावी वादा था कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है, यही शब्द थे तो उनका नियमितिकरण या योग्यता के अनुसार अन्य विभाग में संविलियन किया जाएगा। उस समय माननीय हमारे सिंहदेव जी भी विपक्ष के नेता थे, उन्होंने भी पत्र के द्वारा तारीख 12.11.2018, चुनाव के जस्ट पूर्व लिखित में दिया कि यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनका संविलियन या नियमितिकरण किया जायेगा तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक फिल्म का गाना याद आ रहा है कि ''क्या हुआ तेरा तेरा वायदा'', कृपया जवाब दें?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये मिशन मोड में था, ये भारत सरकार के द्वारा तय था उसके बाद जैसे ही भारत सरकार ने अपने यहां एक पत्र लिखा कि हम 31 मार्च के आगे इसको नहीं बढ़ायेंगे। यहां से हम लोगों के द्वारा बार-बार पत्र लिखा जा रहा था, अपने यहां से दिनांक 04-04-2018, 25-05-2018, 29-06-2018 को पत्र लिखा गया है कि इसको जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन भारत सरकार से इस प्रकार की कोई चिट्ठी नहीं आई और उन्होंने एक चिट्ठी लिख गया कि- now it is inform that saakshar bharat programme has been given an extension till 31 march 2018.

डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय :- जोगी जी, इनको कुछ ज्यादा अच्छा तरीके से समझा सकते हैं। जोगी जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय कोटा विधायक ने जो प्रश्न किया, उस पर एक फिल्म के गाने का कोटेशन भी दिया, तो मैं उनसे पीछे नहीं रहना चाहता। मैं भी कहना चाहूंगा कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, उसके बाद की लाईन नहीं बोलूंगा तुमको यहां आना पड़ेगा, अगर उसको पूरा नहीं करोगे। देखिये ये प्रश्न ये नहीं है कि केन्द्र सरकार ने समाप्त कर दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आपने घोषणा पत्र में क्यों कहा कि हम प्रेरकों को समायोजित करेंगे। तत्कालीन विपक्ष के नेता और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने प्रेरकों को पत्र लिखकर आश्वासन दिया कि हम अगर निर्वाचित हो जायेंगे तो हम आपको कहीं न कहीं समायोजित कर लेंगे। आपने वादा किया है। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि केन्द्र सरकार ने समाप्त कर दिया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। केन्द्र सरकार अपनी जगह है, राज्य सरकार का बजट भी सवा लाख, एक लाख करोड़ का है। इन गरीबों ने बहुत अच्छा काम किया, 6 लाख लोगों को प्रशिक्षित, शिक्षित किया और आपको दो-दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार इनके कार्य के कारण मिला है। अभी छत्तीसगढ़ में निरक्षरता बनी हुई है। इतने उपयोगी लोगों को आप अपने चुनावी वायदे के अनुसार और श्री टी.एस.सिंहदेव के पत्र के अनुसार जो आश्वासन दिया था, उसको पूरा करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या कर रहे हैं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय विधायक जी ने प्रश्न किया है कि हमने जो वादा किया है, उसे पूरा करना है। जो वादा किया है, वह तो पूरा करना है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय श्री टी.एस.सिंहदेव जी आ गये, इनका नाम अभी लिया, इन्होंने प्रेरकों को लिखकर दिया, हम चुनकर आयेंगे तो प्रेरकों को कुछ न कुछ समायोजन करेंगे, दूसरे विभाग में लगायेंगे। आपको कुछ न कुछ राज्य सरकार की तरफ से करना होगा। आप उस वादा को निभाईये। श्री टी.एस.सिंहदेव मेरे भी और आपके भी माननीय हैं। आप इनके आश्वासन को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। इन्होंने लिखकर दिया है। एक पूर्व महाराजा का लिखित आश्वासन, लिखित वायदा आप पूरा नहीं करोगे ? आप कहीं भी इनको लगाओ, पर लगाना पड़ेगा।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी वायदे के तहत हम लोगों ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। जैसे ही वहां से अनुमति मिलेगी, जो वायदा हमने किये हैं।

श्री अजीत जोगी :- भारत सरकार छोड़ दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह बार-बार भारत सरकार कह रहे हैं। धान खरीदी भारत सरकार, प्रेरक भारत सरकार, राज्य सरकार किसलिये है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि प्रोग्राम उनका था।

श्री अजीत जोगी :- आपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम प्रेरकों को रोजगार देंगे। सिंहदेव जी ने उनको पत्र लिखकर दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष हमारे सीनियर लीडर हैं, किसी बात पर सुझाव दे रहे हैं, भारत सरकार के ऊपर ले आते हैं। कोई योजना, कोई बात नहीं है जिसको भारत सरकार के ऊपर न ले जायें, क्या आप लोग सब कुछ भारत सरकार को देख करके किये हो ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी जो बोल रहे हैं, चूंकि कार्यक्रम उनका था।

श्री धरमलाल कौशिक :- आपके पास कुछ नहीं है, केवल भारत सरकार के ऊपर निर्भर हैं। सारी चीज भारत सरकार, सरकार हम बनायेंगे, आप देंगे तो करेंगे नहीं तो नहीं देंगे। ये कोई बात हुई, आप क्या कर रहे हो, उसको बताईये। भाभी जी ने ठीक प्रश्न किया है कि जो वादा किया है, उसको निभाना पड़ेगा।

श्री अजीत जोगी :- भाभी जी ने नहीं, वह मैंने कहा। उन्होंने दूसरा कहा था।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- क्या हुआ तेरा वादा ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मैं कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं । माननीय सिंहदेव साहब आप अभी आये नहीं थे, अभी यहां जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, सबसे पहले लोग आपको याद करते हैं क्योंकि आपने देख लिया कि किनारे में एक बहुत बड़ा आदमी केंद्र सरकार है तो हम सब पैसा लाकर यह कर देंगे, वह कर देंगे, आपने इतनी घोषणाएं कर दी हैं कि आप उनमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीमती जोगी जी ने कहा कि क्या हुआ तेरा वादा ? श्री जोगी जी आप क्या बोल रहे थे ?

श्री अजीत जोगी :- जो वादा किया वह निभाना पड़ेगा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- जो वादा किया वह निभाना पड़ेगा । आप इसके बाद भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं तो यह पब्लिक है सब जानती है, आप यह भी याद रखियेगा कि यह पब्लिक है । (हंसी) सब जान रहे हैं इसलिये वायदा किया है तो उसको निभाईये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सिंहदेव साहब आप आखिरी में उत्तर दीजियेगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- हम लोगों ने जितनी बातें कही हैं इसी मंशा से कही है कि उनको हम निभायेंगे और पूरी ईमानदारी से पहल की जायेगी कि सभी को निभायें ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सिंहदेव साहब, आज के एक उत्तर में फिर से इनका केंद्र सरकार है । क्या है कि यदि हर बात में केंद्र सरकार आ रही है तो आप एक-बार फिर से गली-गली, पार्क-पार्क घूमिये और लोगों से अभिमत लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा कर दीजिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- श्री अजय भाई, यही गड़बड़ हो रहा है न कि सारी चीजों में केंद्र सरकार घुसना चाह रही है तो हर जगह वही दिखता है ।

श्री अजय चंद्राकर :- जनता से राय लेकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाये कि हम लोग अक्षम हो चुके हैं । आप इसकी अनुशंसा कर दीजिये । जन घोषणा पत्र में जनता बिल्कुल राय देगी ।

**छ.ग. समग्र शिक्षा योजनांतर्गत संचालित शालाओं में स्वीकृत, रिक्त, कार्यरत पद**

2. (*क्र. 615) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रा.मा.शि. मिशन (RMSA) अथवा छ.ग. समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत संचालित हाईस्कूल/उ.मा. शालाओं में शासन से क्या लिपिक, भृत्य एवं स्वीपर का पद स्वीकृत किया गया है ? पदनाम सहित बतावें ? (ख) स्वीकृत पदों में बालोद जिले के कौन-कौन स्कूलों में कर्मचारी कार्यरत है तथा कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? (ग) शालाओं में पद स्वीकृत नहीं है, तो कब तक पद स्वीकृत कर लिये जावेंगे ? वर्तमान में शाला संचालन की स्थिति से अवगत करावें?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रा.मा.शि.मिशन अथवा छ.ग. समग्र शिक्षा योजना अंतर्गत प्रदेश में संचालित हाईस्कूल एवं उ.मा. शालाओं में शासन द्वारा लिपिक, भृत्य एवं स्वीपर का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है. अतः जानकारी निरंक है. (ख) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है. (ग) शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री कुंवर सिंह निषाद :- अजय भैया, परदे में रहने दो, परदा न उठाओ । परदा जो उठ गया तो भेद खुल जायेगा । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- वाह-वाह ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- कल छत्तीसगढ़ी दिवस था और आज शायद गीत दिवस है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की जो शालाएं संचालित हो रही हैं उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे हैं । इसका जवाब आया है, आदरणीय मंत्री जी द्वारा इसमें कहा गया है कि शिक्षा योजना के अंतर्गत संचालित हाईस्कूल और शालाओं में शासन द्वारा कोई भी लिपिक, भृत्य एवं स्वीपर का कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है तो यह शालाएं कैसे संचालित हो रही हैं और किनके माध्यम से इनको संचालित किया जा रहा है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन और छ.ग. समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले गये थे यह भी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं और इसमें भी आपका 60/40 का रेशियो आता है लेकिन पूर्व में वर्ष 2010 में जो स्कूल

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

खोले गये थे, जो मिडिल स्कूलों का हाईस्कूल में उन्नयन किया गया था उसके बाद दिल्ली में इनकी जो बैठक हुई । मई 2014 में जो बैठक हुई थी तो उनमें जो भी लिपिक के पद थे, भृत्य के पद थे और स्वीपर के पद थे इनको समाप्त कर दिया गया और उसमें अभी जो व्यवस्था हो रही है, जो जरूरी था । हमारी पी.ए.बी. की जो बैठक हुई थी, दिल्ली में प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की जो बैठक हुई थी उसमें उसको अमान्य कर दिया, उसे निरस्त कर दिया । अभी जो भी हाईस्कूल हैं, मिडिल स्कूल से उनका उन्नयन हुआ है तो वहां जो भी सफाई कर्मचारी हैं तथा और भी जो लोग हैं वे मिडिल स्कूल के जो भी कर्मचारी हैं वे वहां पर काम कर रहे हैं और इस प्रकार से वहां सफाई और बाकी व्यवस्था हो रही है ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि स्कूलों में संचालन के लिये जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां ऐसा ही चलता रहेगा या फिर इसकी पूरी समूचित व्यवस्था की जायेगी ताकि शिक्षण एवं प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारूरूप से किया जा सके ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं । पुन: पी.ए.बी. की बोर्ड की जो बैठक होती है, हर साल होगी । वह बैठक मई के महीने में होती है । वहां हम लोग इसे पुरजोर रूप से लगायेंगे कि इसकी पुन: स्वीकृति प्रदान की जाये ताकि इनकी भर्ती सुनिश्चित हो सके ।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय मंत्री जी, धन्यवाद ।

प्रश्न संख्या - 03 XX XX

**<u>जिला जांजगीर चांपा में डायवर्सन के लंबित प्रकरण</u>**

4. (*क्र. 808) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कृषि भूमि के डायवर्सन हेतु भू अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज होने की स्थिति में मिशल आवश्यक है ? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में जिला जांजगीर-चांपा में हुए डायवर्सन में कितने प्रकरण में इनका पालन किया गया है एवं कितने प्रकरण में पालन नहीं किया गया है ? (ख) जिला जांजगीर-चाम्पा में जिलाध्यक्ष के पास ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं, जिसमें आवेदक द्वारा डायवर्सन या विभिन व्यवसायिक प्रत्योजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) जानकारी निरंक है.

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया है कि डायवर्सन के लिये मिशल की आवश्यकता नहीं है । यदि भू-अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज है तो तो उसका मद परिवर्तन किया जा सकता है । माननीय मंत्री जी, लेकिन आपके कर्मचारी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं । मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि क्या इसके लिये

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्पष्ट निर्देश देंगे कि जहां भू-अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज है वहां मिशल की आवश्यकता न हो । यह भू राजस्व संहिता में भी है ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि मिशल की आवश्यकता नहीं है लेकिन कहीं-कहीं जहां विसंगति होती है तो वहां जो अभी एस.डी.एम. को हमने डॉयवर्सन का पूरा अधिकार दे दिया तो उसको यह अधिकार भी है कि वह मिशल की जांच कर सकता है । मान लीजिए कहीं जांच में गलत पाया जाता है तो अलग बात है । लेकिन उसको वह डायसर्वन करेगा और डायवर्सन का सरलीकरण किया गया है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपने सरलीकरण किया उसके लिए धन्यवाद् । लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मिसल और भू-अधिकार अभिलेख इस बीच में जो भी राजस्व रिकार्ड है । क्या आपके राजस्व विभाग के पास ऐसा कोई रिकार्ड है कि मिसल के बाद भू-अधिकार अभिलेख में उसका नाम कैसे आए ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि पहले पूरे प्रदेश में हजारों प्रकरण लंबित थे । पिछले 6 महीने में 14 हजार से अधिक लंबित प्रकरणों का निराकरण किया गया है । अभी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में एसडीएम को इसीलिए अधिकार दिया है कि डायवर्सन के जो प्रकरण एसडीएम, फिर एसडीएम से कलेक्टर और फिर राज्य सरकार को आते थे । अब न तो कलेक्टर के पास जाने की आवश्यकता और न ही राज्य सरकार के पास आने की आवश्यकता । एसडीएम ही इसको निराकृत करेगा और बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है । आपके जांजगीर जिले में तो 3 हजार से अधिक प्रकरण लंबित थे, अब केवल 97 प्रकरण बचे हैं वे भी बिल्कुल नये हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है । मंत्री जी ने कहा है कि जिला जांजगीर-चांपा में अनापत्ति का कोई प्रकरण लंबित नहीं है । मेरी जानकारी में है कि प्रकरण लंबित है । अगर अधिकारियों ने ऐसा जवाब दिया है तो क्या उन अधिकारियों को ऐसा निर्देश देंगे कि लंबित प्रकरणों का निराकरण करें ?

श्री जय सिंह अग्रवाल :- मैंने बताया कि 97 प्रकरण लंबित हैं, लेकिन वे बिल्कुल नए हैं और समय सीमा के अंदर हैं । उसमें जो रिपोर्ट नहीं आने के कारण, जैसे कि टाउन एण्ड कंट्री प्लांनिग से रिपोर्ट आएगी या तहसीलदार के पास लंबित है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी, समय सीमा के अंतर्गत उनका निराकरण कर दिया जाएगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मंत्री जी, आपने उत्तर में लिखा है कि जानकारी निरंक है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- कलेक्टर के पास लंबित नहीं है । वैसे भी अब एसडीएम डायवर्सन करेगा । कलेक्टर के पास तो जरूरत भी नहीं है । अब एसडीएम को अधिकार दे दिया गया है और एसडीएम के पास चाहे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हो या तहसीलदार से हो, जैसे ही रिपोर्ट आएगी उन प्रकरणों का निराकरण कर दिया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, अंतिम प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- बाल की खाल निकालने की बात नहीं हो रही है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ख में देख लीजिए मैंने यह पूछा है कि व्यवसायिक लायसेंस हेतु अनापत्ति के कितने लंबित हैं ? आप डायवर्सन का बता रहे हैं । मैं अनापत्ति की बात कर रहा हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- व्यवसायिक में 18 प्रकरण लंबित हैं जो नगर तथा ग्राम निवेश से अभिविन्यास की स्वीकृति अपेक्षित है । जैसे ही उसकी स्वीकृति मिलेगी उसका तत्काल निराकरण कर दिया जाएगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- लेकिन आपने तो उत्तर में निरंक दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए छोड़िये ।...डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

**<u>प्रदेश की शालाओं में बच्चों को मध्यान्ह भोजन का प्रदाय</u>**

5. (*क्र. 825) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की कितने स्कूलों में 30 अक्टूबर, 2019 की स्थिति में मध्यान्ह भोजन का प्रदाय कितने बच्चों को किया जा रहा है ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अक्टूबर, 2019 में कुल कितने स्कूलों में अण्डा का वितरण किया गया है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश की 44970 स्कूलों में 30 अक्टूबर 2019 की स्थिति में कुल 2932677 बच्चों को मध्यान्ह भोजन का प्रदाय किया जा रहा है. जिलेवार जानकारी [1]†† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अक्टूबर 2019 में कुल 11855 स्कूलों में अण्डा का वितरण किया गया है. जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने पांचवे क्रमांक के प्रश्न में मध्याह्न भोजन और अंडे के विषय में जानकारी दी है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मध्याह्न भोजन है, बच्चों के स्वास्थ्य एवं ऊर्जा के लिए आप इसमें सोयाबीन भी सप्लाई करते

[1] †† परिशिष्ट "दो"



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं क्या । यदि हां तो प्रतिमाह उसकी कीमत कितनी होती है और उसमें कोल्ड चैन मेंटेन किया जाता है या नहीं, उसको सही ढंग से पहुंचाया जाता है या नहीं ।

डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होती है, यहां से कुछ भे भेजते नहीं हैं । स्थानीय स्तर पर ही इसकी व्यवस्था की जाती है इसलिए यह कहा गया है कि प्रोटीनयुक्त आहार बच्चों को दिया जाए । उसमें अंडा भी है, सोयाबीन की बड़ी भी है, बिस्किट आदि की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर होती है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सोया मिल्क देते हैं क्या । मध्याह्न भोजन में बच्चों को सोयाबीन का दूध देते हैं क्या ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, सोया मिल्क मध्याह्न भोजन में नहीं देते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है और आंकाक्षी जिलों में कुछ कुछ जगहों पर इसकी व्यवस्था है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- इसकी व्यवस्था कितने जिलों में है, कौन-कौन से जिलों में है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- 6 जिलों में है, दुर्ग में, महासमुंद में, गरियाबंद में, सूरजपुर में, कोरिया में ..।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप इसको कैसे सप्लाई करते हैं । बिना कोल्ड चैन मेंटेन करते हुए आप दूध सप्लाई कर रहे हैं और इसका परिणाम यह आ रहा है कि जिन बच्चों के स्वास्थ्यवर्धन के लिए हम सोयाबीन देते हैं उसमें से बदबू आ रही है, उसकी क्वालिटी खत्म हो रही है, बच्चों की तबियत खराब हो रही है । उसको फेंका गया है । इसके बारे में आपकी कोई मॉनीटरिंग नहीं है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, जो सोयाबीन का दूध सप्लाई करते हैं । उसमें रखने की पूरी व्यवस्था रहती है और यह भी निर्देश दिया गया है कि यदि उसमें किसी प्रकार की खराबी दिख रही है तो उसको न पिलाया जाए । एक बार यदि कोई पैकेट खुल गया तो उस पूरे दूध को पिलाना है । उसको रखना नहीं है। इस तरह स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाता है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बहुत सरल प्रश्न है कि दूध जहां से प्रोडक्ट होता है, वह स्कूल तक कैसे पहुंचता है। उसकी सेफ्टी, सेक्यूरिटी, उसका टेम्प्रेचर मेंटेन आप कैसे करते हैं? उसकी प्रक्रिया तो बता दीजिए। उसके बाद फिर नाली में क्यों फेंकते हैं, वह बताएंगे। आप दूध पैदा होने के बाद स्कूल कैसे पहुंचे, ये बताइए।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों को अंडा देने में दिक्कत है। दूध देने में दिक्कत है। सोयाबीन देने में दिक्कत है। आप लोग चाहते क्या हैं?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अमरजीत जी, आप मंत्री को जवाब देने दो।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अमरजीत भगत :- ठीक है, हम तो यह बोल रहे हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं? बच्चों को स्कूल में दिया जाए या नहीं दिया जाए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, मैं अमरजीत भगत जी से ही पूछना चाहता हूं कि जिस अंडे के लिए आदिवासी बंधुओं के स्वास्थ्य के आपने अंडे के लिए आपने सदन में बहुत चिल्लाया था। आप कितने जिलों में अंडा दे रहे हैं? आपको मालूम है इस रिकार्ड में कितने जिले में अंडा दे रहे हैं? अब मैं पढ़ता हूं, जहां पर आप अंडा ही नहीं दे रहे हैं और आप आदिवासियों की बात करते हैं। आप उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप कहीं नहीं दे रहे हैं। आप अपनी प्रक्रिया में देख लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- अंडा बंट रहा है। दूध बंट रहा है। सोया बंट रहा है। उसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? आप लोग चाहते क्या हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- अंडा खा कौन रहा है?

श्री अमरजीत भगत :- खा रहे हैं न। बस्तर में बंट रहा है। सरगुजा में बंट रहा है। आप लोगों को पता नहीं है। किस चश्मे से देख रहे हैं?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं या भार साधक मंत्री जवाब दे रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग जिस टाइप से शंका-कुशंका जाहिर करते हैं। अंडा में आप लोगों को दिक्कत है। सबमें दिक्कत है। दूध में दिक्कत है। सोया में दिक्कत है। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल से चल रहा है और भारसाधक मंत्री उत्तर दे रहे हैं। दूसरे मंत्री उसमें उत्तर देते हैं। कल भी यह विधेयक में हुआ था।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष जी, आप परिशिष्ट "ए" में देख लीजिए। अब मैं पढ़ देता हूं। बलरामपुर शून्य है, बस्तर शून्य है..। जो परिशिष्ट में दिया है, उसी को पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मत पढ़िए। चलिए, कौशिक जी, आप पूछिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- पूरी विधान सभा में 5 दिन अंडे की चर्चा को लेकर गरमाया गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप आज क्यों गरमा रहे हैं। चर्चा हो गई है।

श्री कवासी लखमा :- कहां पहुंच गये?

श्री धरमलाल कौशिक :- और ऐसा हाय-तौबा मचाए कि जैसे लगा कि अंडा नहीं देंगे तो बच्चे बिल्कुल कुपोषण के शिकार हो जायेंगे। हमने उस समय भी पूछा कि किसको उपकृत करना चाहते हो, लेकिन इन्होंने नहीं बताया और खासकर बोले कि आदिवासी बच्चों को हम लोग जो अंडा दे रहे हैं, उसे आप मना कर रहे हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो ट्राइबल जिले हैं, जहां पर अंडा पहुंचानी चाहिए और जिस सुपोषण की बात आपने की थी, उसमें आपके आदिवासी जिले का नाम या तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं बता देता हूं या पूछ लेता हूं। बलरामपुर, बस्तर, सुकमा, सरगुजा, जशपुर, कांकेर इन जिलों के स्कूल में कितना अंडा पहुंचाया जा रहा है? टोटल स्कूल आपके 5000 हैं। 44,970 स्कूल में। आप मध्यान्ह भोजन दे रहे हैं। उसमें कुल 11 हजार 855 स्कूलों में अण्डा का वितरण किया गया है। ।

अध्यक्ष महोदय :- अंडे के बारे में 5 दिन चर्चा हो चुकी है, अब नहीं होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं। यह मूल प्रश्न है। यह मूल प्रश्न है। आप देख लीजिए कि यह मूल प्रश्न है। इसमें जीरो दिया गया है और जो आदिवासी जिले हैं, उनमें जीरो दिया गया है। यदि अंडा मूल प्रश्न में नहीं होता तो यह प्रश्न उतना भी नहीं होता और जब ये जब अंडा खायेंगे डंडा। इसमें तो यह प्रश्न तो जरूरी है। आपका संरक्षण चाहिए। आप बताइए। शिक्षामंत्री जी भी हैं। मैंने 5 जिले का नाम बताया है। कितने जिले में आप अंडा पहुंचा रहे हैं?

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- आप 2014 में किसको उपकृत करना चाह रहे थे, यह बताइए। अंडा आप लोग भी सप्लाई करना चाह रहे थे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अंडा जो है पूरी तरह से विटामिन और प्रोटीन से भरपूर है।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं 5 जिला बता चुका हूं। मैं पूरा पढ़ देता हूं। बलरामपुर जिला, बस्तर जिला, जशपुर, कांकेर, सुकमा, सूरजपुर इन 6 जिलों में कितना अंडा कितने स्कूलों में पहुंचा रहे हैं, उसे आप बताइए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जिस समय इस पर विचार किया तो हम लोगों ने इस बात को कहा कि जहां-जहां लोगों को अंडे की आवश्यकता है या सलाहकार समिति जहां अध्यापकों की जहां समिति है, हम लोग उनके ऊपर छोड़ दिये थे कि जहां पर इसकी आवश्यकता है, वहां पर ये देंगे, लेकिन अंडा आवश्यक है। विभिन्न विभागों से कुछ सिंचाई विभाग से कुछ दे रहे हैं। कुछ जिले के मद से दे रहे हैं। कुछ अन्य योजना जो बच्चे सुपोषित हो सके, कुपोषण दूर हो सके। इस मान से भी कई योजनाओं से अंडा दिया जा रहा है और उसकी स्वीकारोक्ति है। लोग भले ही इसे नहीं ले रहे हैं और इसमें अलग से स्वीकारोक्ति नहीं मांगी गई है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, ठाकुर साहब। अपन रूचि के भोजन। अपन रूचि के भोजन । अपन रूचि के श्रृंगार। जेकर रूचि हे ओला खवाबो। चाहे ओहा अंडा रहे, दूध रहे या केला रहे।

श्री धरमलाल कौशिक :- उसमें मैंने केवल 6 जिले का नाम लिया। 6 जिला मूलत: आदिवासी जिले हैं। जिसके नाम से आपने अंडा के बारे में कहा। ये मूलत: 5 आदिवासी जिले हैं, जहां पर सरकार ने अंडा दी जिाने की बात कही और शासन ने निर्णय लिया कि अंडा पहुंचाना है। इन 6 जिलों में अभी तक आप अंडा नहीं पहुंचा पाये हैं। वहां के बच्चे अभी अंडा से दूर हैं। उसमें आप जो समिति की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं के 6 जिलों में अभी तक अंडे की क्या स्थिति है? आखिर वहां

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पर बच्चों को ध्यान में रखकर अंडा क्यों नहीं पहुंचाया गया है ? कब तक पहुंचाया जायेगा ? या उनका विरोध है इस कारण उस आदिवासी जिलों में अण्डा नहीं दे रहे हैं, स्पष्ट करें ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, कोई विरोध नहीं है। वहां पर उनकी स्वीकृति है। हम लोग उसकी व्यवस्था करेंगे।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि ये पहले अण्डे के नाम पर हायतौबा मचा रहे थे। खासकर आदिवासी जिले के नाम से हायतौबा मचा रहे थे। तो आखिर उस आदिवासी जिले में अण्डा क्यों नहीं परोस रहे हैं ? ये अण्डा रायपुर में दे रहे हैं, अण्डा बिलासपुर में दे रहे हैं, जहां अण्डा पहुंचाने वाले को खर्च न लगे। जहां सुकमा में अण्डे की आवश्यकता है, वहां अण्डा देने में असमर्थ है। तो या तो अपने निर्णय को वापिस लेना चाहिए। यदि आप किसी को उपकृत कर रहे हो, तो करो। लेकिन सुकमा के बच्चें अण्डे से दूर रहे, यह उचित नहीं है। माननीय मंत्री जी, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप सुकमा, बीजापुर में अण्डा क्यों नहीं पहुंचवा रहे हैं, बताईये ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूँ, जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूँ। जहां-जहां अण्डे नहीं पहुंच रहे हैं, वहां विभिन्न मदों से, कहीं खनिज न्यास मद से दे रहे हैं। लेकिन अण्डा सब जगह मिल रहा है। वहां बच्चों को आवश्यकता के अनुसार दिया जा रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो जवाब दिया है वह गलत है, यह आप ही का उत्तर है। आप एक तरफ ऐसा बोल रहे हैं ..।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, वह भी सही है और बोल रहा हूं, वह भी सही है। ...(व्यवधान) बच्चों को अण्डे की आवश्यकता है, हम वह दे रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- कहां है जर्सी गाय ?

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों को अण्डा चाहिए क्या ?

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कई शालाओं की जानकारी में जीरो लिखा है। अगर यह गलत है तो सही कौन सा है, मंत्री जी यह बता दें ?

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अण्डे का भुगतान कुकिंग कास्ट में से ही होता है। वहां पर लोकल व्यवस्था है, वहां यह भी व्यवस्था है। कई जगह खनिज न्यास मद से भी दिया जा रहा है। कुपोषण दूर हो, बच्चें सुपोषित हों, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा (मेजों की थपथपाहट)

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दो प्रश्न है। यह बहुत गंभीर मामला। आप डाक्टर भी हैं। आप बताईये कि बिना कोल्ड चैन मेन्टेन किए क्या सोया मिल्क प्रिजर्व्ड रह सकता है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सोया मिल्क सामान्य तापमान पर 90 दिनों तक सुरक्षित रह सकता है। यह उसमें दिया गया है।

श्री अमरजीत भगत :- अगर आप डाक्टर हैं तो ये भी डाक्टर हैं।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी आपने देखा होगा कि दुर्ग जिले के बच्चें लोग उल्टी कर रहे हैं और उस दूध को फेंक रहे हैं। मंत्री जी, आपका उस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- कहां की बात है ?

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- दुर्ग जिले की।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी जांच कराईये। श्री शिवरतन शर्मा।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- दुर्ग जिले की, मैं स्कूल का नाम भी पढ़ देता हूँ। पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा का है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज मात्र दो मंत्री उत्तर के लिए खड़े हुए हैं परसों तो एक प्रश्न के उत्तर में तीन मंत्री खड़े हुए थे। एक और खड़े करवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- मदद करते हैं, सामूहिक जवाबदारी है।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मंत्री जी, आप एक बात बताईये कि जो रसोईयां और सहायक लोग हैं, उनका वेतन लटका हुआ है, भुगतान लंबित है। आप इन लोगों के वेतन में वृद्धि करेंगे क्या ? मेरा यह अंतिम प्रश्न है।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसमें कहां आता है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में अण्डे की बात है कि कहां-कहां दिया जा रहा है और उसके क्या-क्या गुण हैं, यह बताया।

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- मध्यान्ह भोजन संचालित करने वाले सहायक और ..।

अध्यक्ष महोदय :- बांधी जी, आप एक प्रश्न में कितने पूरक पछोगे ?

डॉ0 कृष्णमूर्ति बांधी :- हम उत्तर चाहते हैं, लेकिन उत्तर ही ऐसा आ रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुपोषित नहीं होना देना चाहते हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- आप पूछिये न, आप पूछ ही नहीं रहे हैं। आप बाकी के दूसरों के प्रश्नों में आगे आते हैं, आप अपने प्रश्न को पूछिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- हां, तो आगे प्रश्न करिये न। चलिये।

**रायपुर एवं दुर्ग संभाग में व्याख्याता/प्राचार्य के रिक्त पद**

6. (*क्र. 488) श्री शिवरतन शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति में रायपुर एवं दुर्ग संभाग में किस-किस विषय के कितने प्राचार्य/व्याख्याता के पद रिक्त हैं ? जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के दुर्ग एवं रायपुर संभाग के कितने प्राचार्य/व्याख्याता पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से शिक्षण कार्यों से पृथक रहकर अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहकर सेवा दे रहें है ? (ग) क्या रायपुर एवं दुर्ग संभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ प्राचार्यों/व्याख्याता को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के लिए माह अक्टूबर, 2019 की स्थिति में सहमति पत्र जारी किया गया है ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस को कितनी अवधि के लिए सहमति पत्र जारी किया गया है ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) स्कूल शिक्षा विभाग में दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 की स्थिति में रायपुर एवं दुर्ग संभाग में प्राचार्य/व्याख्याता के पद रिक्तता की जानकारी जिलेवार परिशिष्ट एक "अ" एवं "ब" पर ‡[2] संलग्न है. (ख) वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग के दुर्ग एवं रायपुर संभाग, के प्राचार्य/व्याख्याता पिछले 5 वर्षों से अधिक समय से शिक्षण कार्यों से पृथक रहकर अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ रहकर सेवा देने की संख्या निरंक है. (ग) उत्तर "ख" के तारतम्य में शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहा था कि रायपुर और दुर्ग संभाग में प्राचार्य और व्याख्याताओं के कितने पद रिक्त हैं ? माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें 196 पद पाचार्य के रिक्त हैं, लगभग 2400 पद व्याख्यात के रिक्त हैं। आज संशोधित उत्तर मिला है, उसमें भी लगभग 12-15 सौ पद रिक्त हैं, मैंने जोड़ा नहीं है। मैं आपसे दो बात जानना चाहता हूँ कि प्राचार्य की पदोन्नति के लिए, प्राचार्य पद की भर्ती के लिए आपने कोई डी0पी0सी0 की है क्या ? नहीं की है तो कब तक करेंगे ? दूसरा, जिन स्कूलों में व्याख्याता के पद रिक्त हैं, वहां शिक्षण कार्य सरकार अभी किस ढंग से संचालित कर रही है ? इसकी जानकारी दे दें।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने पूछा था कि रायपुर और दुर्ग संभाग में प्राचार्य के कितने पद रिक्त हैं तो हमने उसमें बता दिया है, उसमें जिलेवाईज दिया गया है।

---

‡[2] परिशिष्ट "तीन"



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे सूची मिल गई।

डॉ0 प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सूची मिल गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं। वह तो सूची आपने रिटन में दिया है। मैं बता रहा हूं कि मुझे सूची मिल गई है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राचार्य के जो पद रिक्त हैं, उसको हम लोग प्रमोशन के द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति करेंगे और अभी व्याख्याता के पद जहां पर रिक्त हैं, अभी आप सबको मालूम है कि व्याख्याताओं की भर्ती हो रही है, वह प्रक्रियाधीन है । उसका सत्यापन हुआ है और उसमें हम लोग भर्ती करेंगे । अभी 3177 व्याख्याताओं की भर्ती प्रक्रियाधीन है, उसमें उसकी भर्ती की जायेगी और 447 पद प्राचार्यों की भर्ती हो, उसके लिए हमने लोक सेवा आयोग को भर्ती हेतु सूचना भेजी है, ताकि भर्ती हो सके ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि जहां व्याख्याता के पद रिक्त हैं, आधा सीजन बीत गया, वहां अभी सरकार किस ढंग से शिक्षण कार्य करा रही है । जहां पर रिक्त हैं, वहां आप कैसे शिक्षण करा रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पद आज से रिक्त थोड़ी है, वह तो पहले से रिक्त हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पद कब से रिक्त है, यह मैंने आपसे नहीं पूछा है । मैंने यह पूछा है कि जहां पर रिक्त हैं, वहां शिक्षण कार्य कैसे हो रहा है, वहां कौन पढ़ा रहा है या उन स्कूलों में पढाई नहीं हो रही है, जहां पद रिक्त हैं ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पद आज से नहीं, बहुत पहले से रिक्त हैं । ये तो आदरणीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग भर्ती कर रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, 15 साल ले रिक्त हवे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है, मैंने प्वाइंटेड प्रश्न किया है कि जिन व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, वहां वर्तमान में सरकार शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार से कर रही है, इसकी जानकारी दे दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पद पहले से ही रिक्त हैं और जैसे ही पूर्व में शिक्षण कार्य चल रहा था, वैसे ही शिक्षण कार्य अभी चल रहा है । यह तो भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद इतने वर्षों बाद 15 हजार शिक्षकों की नियमित भर्ती कर रही है । (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत प्वाइंटेड प्रश्न है। पहले से क्या चल रहा था, मुझे उससे मतलब नहीं है । आप यह बता दें कि जहां व्याख्याता नहीं है, वहां वर्तमान में शिक्षण कार्य आप कैसे करा रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें से 3177 पद व्याख्याताओं के हैं । भर्ती के बाद उनकी पूर्ति इससे होगी । इतने बाद नियमित भर्ती हो रही है, इससे पहले क्यों भर्ती नहीं हुई ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, अगर आपको पता है तो बता दीजिए कि वह पद कब से रिक्त हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंडेट प्रश्न है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी जो आदेश दे रहे हैं, उसका जवाब तो देने दीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पद कब से रिक्त है, यह मैंने नहीं पूछा है । मेरा प्रश्न यह है कि जिन स्कूलों के व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं, वहां शैक्षणिक कार्य कैसे हो रहा है । मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय जी ने जो निर्देश दिया, उसमें प्रश्न का उत्तर आने दो । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारी सरकार आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, आपने 15 साल तक भर्ती क्यों नहीं की ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने 3 हजार स्कूलों को बंद कर दिया, उसके बारे में कभी चिन्ता नहीं की । (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 साल से आपकी सरकार थी तो आपने भर्ती क्यों नहीं की ? यह तो हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार इतने दिनों बाद भर्ती कर रही है । आपने इतने दिनों तक भर्ती क्यों नहीं की ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बता दीजिए कि पद कब से रिक्त हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैं फिर से प्वाइंटेड प्रश्न कर रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- उत्तर आ रहा है न, मैं आपको उत्तर दिला रहा हूं। माननीय मंत्री जी, प्लीज़ बताईए कि वह पद कब से रिक्त हैं और उस समय से कौन-कौन पढ़ाते आ रहे हैं, यह भी बताईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एक मिनट, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं वही पूछ रहा हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, आपके आदेश के बाद भी चुनौती देना गंभीर बात है, यह बहुत गंभीर बात है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने आपका प्रश्न पूछ लिया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, आपके आदेश को चुनौती देना गंभीर बात है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ही प्रश्न है कि जिस स्कूल में व्याख्याता नहीं है, वहां शैक्षणिक कार्य कैसे हो रहा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पद तो बहुत पहले से रिक्त है ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत पहले मतलब 10 साल, 15 साल, 17 साल कब से रिक्त है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कब जगह 15 साल से रिक्त है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कभी नहीं पूछा कि पद कब से रिक्त हैं । मैंने यह पूछा है कि जहां शिक्षकों के पद रिक्त हैं, वहां उन विषयों को कौन पढ़ा रहा है, इसकी जानकारी दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली सरकार है, जो नियमित भर्ती कर रही है और इसकी पूर्ति होगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंटेड प्रश्न है कि जहां पद रिक्त हैं, वहां कौन पढ़ा रहा है, यह बताएं । मेरा प्रश्न बहुत प्वाइंटेड है । मैंने यह नहीं पूछा कि पद कब से रिक्त हैं, मैंने यह पूछा है कि व्याख्याता के जो पद रिक्त हैं, वहां अभी शिक्षा कौन दे रहा है, वहां पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो रही है, इसकी जानकारी दे दें ?

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- शिवरतन भैया, सुनो न ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री उत्तर देंगे या विधायक उत्तर देंगे । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, अब सदस्य लोग उत्तर देंगे क्या ? वे लोग उसका उत्तर दे रहे हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का उसमें प्वाइंटेड प्रश्न केवल यह है कि जो पद खाली है, अभी वर्तमान स्थिति में वहां पर शिक्षा की क्या व्यवस्था है, कौन पढ़ा रहे हैं? मंत्री जी को इतना ही तो बताना है ।

अध्यक्ष महोदय :- वही तो मैं प्वाइंटेड प्रश्न कर रहा हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी उत्तर नहीं बता रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी को जवाब देने दीजिए, बार-बार खड़े होते हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देखिए, ये इंट्रप कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब दे दीजिए । वे प्वाइंटेड प्रश्न पूछ रहे हैं, कब से रिक्त हैं और कौन पढ़ा रहा है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब यह है कि जो रिक्तियां होती रहती हैं, उसकी पूर्ति के लिए अतिथि शिक्षक हैं, उनसे व्यवस्था हो रही है । नियमित शिक्षकों की भी व्यवस्था हो रही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पद रिक्त हैं, वहां कौन पढ़ा रहा है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि शिक्षक हैं, वहां पर शिक्षक विषयवार उनको पढ़ा रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा है कि पांच साल से ज्यादा प्रतिनियुक्ति पर कितने व्याख्याताओं की नियुक्ति दूसरे विभागों में हुई है ? आपने जवाब दिया है, निरंक । माननीय मंत्री जी, मैं आपको चार से पांच नाम की जानकारी दे सकता हूँ, जो 10-10 साल से प्रतिनियुक्ति पर है । विभाग ने आपको गलत जानकारी दी है । क्या गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और प्रतिनियुक्ति समाप्त करेंगे ? मैं आपको नाम दे दूंगा । बोलो तो अभी पढ़ देता हूँ ।

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में किसी अन्य विभाग के लोग प्रतिनियुक्ति पर नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपको नाम दूंगा, क्या आप जांच करके कार्यवाहीं करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- जांच कर देंगे, कर देंगे ।

प्रश्न संख्या :- 7 XX XX

**<u>जांजगीर चांपा जिले में उद्योग पर बकाया डायवर्सन टैक्स</u>**

8. (*क्र. 102) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में दिनांक 15.10.2019 की स्थिति में किस-किस उद्योग पर कितना डायवर्सन टैक्स कब से बकाया है ? (ख) उपरोक्त टैक्स को वसूलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर-चांपा में स्थापित उद्योगों पर दिनांक 15.10.2019 की स्थिति में बकायादारों की सूची एवं राशि की जानकारी ++ संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) संबंधित उद्योग मालिकों को टैक्स वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया है.

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि एक उद्योग के ऊपर लगभग 5 करोड़ रूपया बकाया है और जिले में जितना है, उसका आधे से ज्यादा उसी उद्योग के ऊपर बकाया है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि उपरोक्त उद्योग के ऊपर के.एस.के. महानदी संयंत्र, कई नामों से उन्होंने अपना दिया है, डायवर्सन टैक्स का इसके ऊपर जो पैसा बकाया है, इसकी वसूली का अभी तक क्या प्रयास किया गया और पूरी वसूली कब तक कर ली जायेगी ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, के.एस.के. पॉवर प्लाण्ट और वर्धा पॉवर प्लाण्ट दो नामों से इनका टैक्स बकाया है । 3 करोड़ 49 लाख 10 हजार 447 रूपया के.एस.के. पॉवर प्लाण्ट और 1 करोड़ 49 लाख 70 हजार 280 रूपया वर्धा पॉवर प्लॉण्ट, दोनों ही फर्म को जो जमीन एलॉटमेंट हुई है, उसमें आपका दोनो मिलाकर, डायवर्सन का पैसा बकाया है, यह उद्योग एन.पी.एम. हो चुके हैं और एन.पी.एम. होने के कारण कई बार इनको नोटिस दिया गया है । एन.पी.एम. होने के कारण पैसा वसूली नहीं हुआ है। जैसे ही बैंक नीलामी करेगा, नीलामी करने में ट्रांसफर होकर जो भी उद्योगपति खरीदेगा, उसके पहले हम इसको वसूल कर लेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह डायवर्सन टैक्स देरी से पटाने पर कितना पेनाल्टी का या ब्याज का प्रावधान है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- जो डायवर्सन हो या कोई भी टैक्स उसमें जो प्रावधान है, उसके मुताबिक उसका आनापाई हम वसूल करेंगे और वर्तमान स्थिति मैंने जो बताया कि उस उद्योग की क्या है, बहुत से छोटे-छोट उद्योग ऐसे हैं, जिसका 1955 से भी पैसा बाकी है, जब हम लोग पैदा नहीं हुये थे । एक उद्योग का ज्यादा है, जो आपकी चिन्ता है ..।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न । आपने अपने परिशिष्ट के जवाब में दिया है, रेमण्ड सीमेंट संयंत्र के नाम पर भी पैसा बकाया है । रेमण्ड सीमेंट संयंत्र वर्ष 2002 में बिक गया । उसके बाद लाफार्ज आ गया है, उसके बाद निविको विस्तास आ गया है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजस्व अभिलेख में अभी भी रेमण्ड सीमेंट संयंत्र चल रहा है और अगर राजस्व अभिलेखों में रेमण्ड सीमेंट संयंत्र अगर चल रहा है तो उसका नामांतरण क्यों नहीं किया गया ? अगर नामांतरण नहीं हुआ तो क्या उसमें राजस्व की गड़बड़ी की गई है करके प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- उसको हम दिखवा लेंगे, उसकी हम जांच करवा लेंगे । बृजमोहन अग्रवाल जी ।

प्रश्न संख्या :- 9 XX XX

प्रश्न संख्या :- 10 XX XX

अध्यक्ष महोदय :- श्री सत्यनारायण जी शर्मा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सत्यनारायण जी, आप इतने सीनियर हो कहां प्रश्न कर रहे हो, आप दबाकर उत्तर लीजिए ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपका आदमी फंस रहा है, इसलिए बोल रहे हैं ।

**विधि विरूद्ध नियुक्ति के कारण हुई आर्थिक क्षति की वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही**

11. (*क्र. 726) श्री सत्यनारायण शर्मा : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा बैंक में समिति प्रबंधक के पदों पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों को विधि विरूद्ध नियुक्ति के कारण बैंक को हुई आर्थिक क्षति की वसूली तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही को लिए बैंक के प्राधिकृत अधिकारी को सहकारिता विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है ? (ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारी से कितनी राशि वसूली की गई एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, की गई तो कब तक की जावेगी, विलम्ब के लिए कौन जिम्मेदार एवं दोषी हैं?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. (ख) प्रश्नांश (क) के क्रियान्वयन के दौरान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के पारित आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के आदेश दिनांक 23.05.2016 एवं संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर संभाग रायपुर के आदेश दिनांक 13.06.2016 को शून्य घोषित कर सक्षम अधिकारी को अधिनियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत प्रकरण में गुणदोष के आधार पर निर्णय लेने स्वतंत्र रखा है, जिसके पालन में प्रकरण न्यायालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ में विचाराधीन है.

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि केवल 10 सहकारी प्रबंधन समितियों को सेवा में लिया गया है । सेवा नियम में लेने के मापदण्ड क्या थे ? शेष 300 से अधिक समितियां है, बाकी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ ? बाकी लोगों को क्यों नहीं लिया गया ? मापदण्ड क्या हैं, क्या बाकी के लोग अपात्र थे ?



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समितियों के जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपना आवेदन पत्र दिया कि हमको डी.आर. के माध्यम से समिति में प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया जाये । उसके बाद समिति की बैठक होती है, स्टॉफ कमेटी की बैठक होती है, उसमें यह तय होता है कि उनको ले लिया जाये । बाद में शिकायत होने पर यह कर्मचारी हाई कोर्ट चले जाते हैं । हाई कोर्ट जाने के बाद वहां से मिलता है कि जो इसमें गड़बड़ी हुआ है, न्याय नही मिला है, उसमें छानबीन करके रजिस्ट्रार को वापस केस को भेज दिया जाता है और रजिस्ट्रार ने निर्देश दिया कि जो उसमें गड़बड़ी हुई थी, उसको शून्य कर दिया जाये । लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि चूंकि इनकी बात सुनी नहीं गई है। इसलिए इनके नैसर्गिक न्याय को देखते हुए फिर से उसको सुना जाए। चूंकि यह डी.आर. के न्यायालय में लंबित है और उसमें कौन पात्र थे कौन पात्र नहीं थे इसकी चूंकि अभी न्यायालय में प्रकरण है, इसमें अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 6.12.2016 का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो इतने सालों तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई? माननीय मंत्री जी, तीन साल से ज्यादा हो गये अभी तक इन तीन सालों में क्या कार्यवाही की गई, यही बता दें?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- इसमें लगातार पेशी चल रही है। ये तीन साल का नहीं है, हाईकोर्ट ने जो निदे्रश दिया है ये 6-12-2016 का है तो चूंकि डी.आर. के न्यायालय में है और न्यायालय का जैसे ही निर्णय होता है, उसमें आगे कार्यवाही की जायेगी।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में तीन-तीन साल तक प्रकरण लंबित हैं और तीन-तीन साल के लंबित प्रकरणों पर कार्यवाही नहीं हो रही है और कल्पित बचते जा रहे हैं। जो आदमी गड़बड़ी करता है उसका बचाव हो रहा है। क्या माननीय मंत्री जी, शीघ्र इसमें सुनवाई कराकर कार्रवाई करायेंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- जो न्यायालय में प्रक्रिया लंबित है उसमें ज्यादा बात क्या कर सकते हैं?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, किसी भी दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायेगा, बिल्कुल सख्त कार्यवाही की जायेगी और इसमें प्रयास करेंगे कि जल्दी इसका निराकरण हो जाए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस सहकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ शिकायत है वह तो कभी कोर्ट गया ही नहीं है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने में आपको क्या दिक्कत है? जिस आदमी के खिलाफ शिकायत है वह कोर्ट ही नहीं गया, कोर्ट ने उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा तो उसको तो दोषमुक्त किया नहीं है तो उस पर कार्यवाही करने में क्या दिक्कत है?

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको बता दीजिएगा कि क्या कार्यवाही कर सकते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, सहकारी नियमों के जितने ज्ञाता आदरणीय सदस्य जी हैं उन नियमों में हम लोग देख रहे हैं। चूंकि न्यायालय में है, पूरा समग्र रूप से उसको देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी उसका निराकरण करने का प्रयास करेंगे।

**दुर्ग संभाग में भारत नेटवर्क योजना के तहत संचालित ऑनलाईन सर्विस केन्द्र**

12. (*क्र. 733) श्री अरूण वोरा: क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दुर्ग संभाग के अंतर्गत भारत नेटवर्क योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में ऑनलाईन नक्शा, खसरा, जाति और निवासी प्रामण पत्र हेतु ऑनलाईन सर्विस केन्द्र शुरू किया गया? वर्तमान में कितने ऑनलाईन सर्विस केन्द्र चल रहे हैं? एवं कितने बंद हैं? जिलेवार जानकारी दें? (ख) इस योजनांतर्गत कितने सर्विस सेंटरों में वाईफाई कनेक्शन दिया गया? क्या वर्तमान में राशि का नियमित भुगतान नहीं होने के कारण यह सेंटर बंद हैं? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) दुर्ग संभाग के अंतर्गत जिलेवार जानकारी †† संलग्न प्रपत्र "अ" पर है. (ख) जानकारी ††[3] संलग्न प्रपत्र "ब" पर है.

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न ख के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बेमेतरा, कबीरधाम, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग इन सभी जिलों के भारत नेट परियोजना के कनेक्शन बंद होने की जानकारी दी है और उसके पीछे ग्राम पंचायतों के द्वारा राशि का नहीं पटना है, अधिकांश में वाई-फाई तो लगे हैं लेकिन राशि नहीं पटने के कारण ये बंद हैं। ये जो योजना है वह राजस्व विभाग की योजना है और ग्राम पंचायत इसकी राशि पटा रही है और ग्राम पंचायत के लोग चूंकि राशि पटाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो क्या आप सीधे इसकी राशि पटवा करके इसमें जो भारत नेट योजना की वाईफाई लगी है इसको चालू करवायेंगे? जो नहीं पटा है जिन भी कारणों से नहीं पटा है तो उसकी राशि भी कब तक पटवा देंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भारत नेट योजना के द्वारा जो संचालित किया जा रहा था उसमें एक साल के लिए इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था इसलिए बहुत से लोगों ने इस योजना को अपने यहां चालू किया और उसके बाद अभी 2018 से चिप्स ने इसे अपने हाथ में लिया है। तो जो भी चाहें उसे जैसे पहले बीएसएनएल ने चालू किया, बीएसएनएल के बाद अब वह चाहें तो एयरटेल या किसी भी संस्था से उसको ले सकते हैं और जो ग्राम पंचायतों की बात है उसमें

---

††[3] परिशिष्ट "आठ"



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ऑनलाईन सर्विस केन्द्र निजी संचालकों का दायित्व है। हर सेवा के लिए निर्धारित शुल्क लेते हैं और वाईफाई कनेक्शन हेतु राशि जमा करना संचालक की जिम्मेदारी होती है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरूण वोरा के साथ-साथ अमितेश शुक्ला का भी अथारिटी लेटर ले लो आप।

श्री धनेन्द्र साहू :- आपका भी बोलो तो ले लूंगा। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय, जिस उद्देश्य से भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सारे ग्राम पंचायतों को कनेक्शन दिया गया था कि वहां पर लोग ऑनलाईन नक्शा, खसरा प्राप्त कर सकें, इसके बंद होने से ये सब सेवाएं बंद हो गई हैं। तो इसे गंभीरता से लेते हुए क्योंकि चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी हुई हैं तो यह नियमित रहे और ये कनेक्शन न कटे इसके लिए आप कोई स्थायी उपाय करेंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- मैंने बताया न कि भारत सरकार द्वारा इसे 2011 में प्रारंभ किया गया और 2015-16 में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने का काम किया जा रहा था। इसमें एक साल के लिए फ्री अवकाश दिया गया। कोई भी योजना जब शुरू होती है, अगर चाहे सरकार हो या प्राईवेट एजेंसी हो उसे फ्री में देता है तो सब उसको ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। उसके बाद अगर भुगतान नहीं करते हैं तो उसकी जैसे, अभी चिप्स ने अपने हाथ में लिया है। निश्चित तौर पर इसका सुचारू रूप से चले ऐसा काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- विकास उपाध्याय। उसके बाद पूछ लीजिए मैं आपको समय दूंगा।

**<u>रायपुर शहर में स्कूलों में अतिरिक्त कमरा निर्माण हेतु स्वीकृत राशि</u>**

13. (*क्र. 943) श्री विकास उपाध्याय : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर शहर में 01 जनवरी, 2014 से जनवरी, 2018 तक कितने स्कूलों के लिए अतिरिक्त कमरा, निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृति की गई है ? (ख) कितने भवन पूर्ण और कितने भवन अपूर्ण हैं ? (ग) स्वीकृत राशि, पूर्ण-अपूर्ण भवनों की जानकारी दीजिए ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर शहर में 01 जनवरी, 2014 से जनवरी, 2018 तक 18 स्कूलों के लिए 49 अतिरिक्त कमरा निर्माण हेतु कुल राशि रु. 257.46 करोड़ (रुपये दो करोड़ सन्तावन लाख छियालीस हजार मात्र) स्वीकृत की गई है. (ख) 16 शालाओं के 35 कक्ष पूर्ण है. (ग) स्वीकृत राशि, पूर्ण-अपूर्ण भवनों की जानकारी परिशिष्ट-एक के कॉलम क्रमशः 05 एवं 06 पर दर्शित है.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री विकास उपाध्याय :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैंने सवाल किया था उसका जवाब आया है लेकिन उस जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए कि मैं रायपुर राजधानी से विधायक हूं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ माह पूर्व मैं स्कूल का निरीक्षण कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न करिये।

श्री विकास उपाध्याय :- अध्यक्ष मैं प्रश्न उसी से जुड़ा हुआ है। मेरे सामने स्कूल की एक बिल्डिंग का लेंटर गिरा, सरकारी स्कूल थी। पिछले दसों साल से रायपुर राजधानी में कई सारी स्कूलें ऐसी हैं जिसके भवन जर्जर हैं। मैं मंत्री जी से चाहता हूं कि उसका निरीक्षण भी हो जाये और डर में जो हमारे गरीब बच्चे हैं वहां उनके परिवार के लोग एडमिशन भी नहीं लेने देते हैं। स्कूल का बिल्डिंग अगर गिरेगा तो वहां एडमिशन कौन लेगा ? मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि एक समिति बनाकर ऐसे भवनों की जांच करा दें जो जर्जर है। मैंने स्वयं भवन में जाकर दूसरे भवन में ताला तोड़कर शिफ्ट कराया था। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे जर्जर भवन की जरूर जांच करा दें।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी की जो चिंता है कि जहां पर स्कूल है और वहां पर स्कूल नहीं लग पा रही है तो मैं विधायक जी के साथ वहां स्वयं देखने के लिए जाऊंगा। वहां जाकर जो भी संभव होगा अतिशीघ्र करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। रामकुमार यादव जी आप कुछ पूछना चाहते हैं।

श्री रामकुमार यादव :- अध्यक्ष महोदय, स्कूल के विषय मा ये कहना चाहत रेहेव कि मैं दोनों तरफ से निवेदन करना चाहथों कि अगर कोई ला एम.बी.बी.एस करे बर हे ता सरकारी कॉलेज के जरूरत पड़थे। अऊ 10, 12 वीं पढ़े बर हे ता प्राईवेट के जरूरत पड़थे। निवेदन हे कि अगर शिक्षा मंत्री जी आप ऐसे कानून बना देहू ताकि हमर सरकारी स्कूल मा सरकार के लईका, नेता मन के लईका पढ़े। ऐसे कुछ कानून बना देहू।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी।

**<u>जिला धमतरी में शासकीय कार्यों हेतु जमीन अधिग्रहण के लंबित प्रकरण</u>**

14. (*क्र. 561) श्री अजय चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि 18 जुलाई 2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 515) के उत्तर में विभाग ने बताया था कि धमतरी जिला में वर्ष 2017-18 में 23 प्रकरण तथा वर्ष 2018-19 में 10 प्रकरण लंबित होना बताया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों में अब तक आगे क्या कार्यवाही हुयी है ? (ख) जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को संपादित करने हेतु समय सीमा के लिए शासन के क्या निर्देश है ? (ग) दोनो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वर्षों के 33 प्रकरणों की अद्यतन स्थिति बतावें ? (घ) भखारा (धमतरी जिला) बाईपास में किसकी-किसकी कितनी जमीन आ रही है ? और इसका अधिग्रहण कब से लंबित हैं ? और कब तक जमीन अधिग्रहण हो जायेगा समय-सीमा बताने का कष्ट करें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) धमतरी जिले में भूमि अधिग्रहण के कुल 33 प्रकरण लंबित थे. वर्ष 2017-18 के कुल 23 प्रकरण लंबित थे. वर्ष 2018-19 में कुल 10 प्रकरण लंबित थे. उपर्युक्त लंबित प्रकरणों के निराकरण की स्थिति परिशिष्ट में †[4] संलग्न है. (ख) समुचित सरकार को जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को संपादित करने के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं में निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही किये जाने के निर्देश है. (ग) दोनों वर्षों के कुल 33 लंबित प्रकरणों में से 01 प्रकरण निराकृत, 10 प्रकरणों में अवार्ड पारित एवं 02 प्रकरणों में नस्तीबद्ध किए गए हैं। शेष 20 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. उपर्युक्त लंबित प्रकरणों की अद्यतन स्थिति परिशिष्ट "अ" में † संलग्न है. (घ) प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/वर्ष 2017-18 ग्राम भखारा एवं प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 2017-18 आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत 30.09.2013 को प्रारंभ होकर कुल कृषकों की सहमति नहीं मिलने के कारण 30.03.2018 को प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया. वर्तमान में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के तहत प्रकरण क्रमांक 28/अ-2/वर्ष 2017-18 ग्राम-भखारा बायपास में 16 कृषक कुल रकबा 2.34 हेक्टेयर एवं प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/वर्ष 2017-18 ग्राम सिहाद बायपास में 30 कृषक एवं शासकीय घास भूमि का 3 खसरा योग 33 कुल रकबा 4.10 हेक्टेयर कुल कृषक 49 व कुल रकबा 6.44 हेक्टेयर जमीन प्रभावित है. उक्त दोनों प्रकरण 09.04.2018 से प्रक्रियाधीन है. प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-21 के तहत सुनवाई हेतु दिनांक 30.11.2019 को नियत है. भू-अर्जन मामला क्रमांक 38/अ-82/वर्ष 2017-18 श्यामसिंह पिता जुगराजसिंह गौर भखारा-सिलघट मार्ग निर्माण हेतु 17.09.2018 को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है. उक्त प्रकरण आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत प्रक्रियाधीन है सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन दिनांक 30.10.2019 को किया जा चुका है. रकबा 0.02 हेक्टेयर भूमि प्रभावित है. उक्त प्रकरणों का निराकरण किये जाने हेतु समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जमीन अधिग्रहण में एक प्रश्न है वह धमतरी जिले कुरूद विधानसभा से संबंधित है। मै जब-जब प्रश्न लगाता हूं उसमें यह उत्तर आता है कि उसी दौरान ही पेशी है। जब वह अवधि निकल जाती है तो अधिग्रहण की कार्यवाही निकल जाती है। फिर मैं प्रश्न लगाऊंगा तो फिर बतायेंगे कि आज उसकी पेशी है। जैसे कल पेशी है, पहले पिछले सत्र में बताये थे कि 26 तारीख को पेशी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता

---

†[4] परिशिष्ट "आठ"



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हूं कि आपने जो संशोधित उत्तर दिया है उसमें 20 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ये 20 प्रकरणों में कार्यवाही कब से प्रक्रियाधीन है। कृपा करके पहले अवधि बताने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल 10 प्रकरणों में..।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं वह 10 प्रकरण छोड़िये। 20 प्रकरण कब से प्रक्रियाधीन है। इस तारीख से इस तारीख तक इस अवधि से प्रक्रियाधीन है। बिल्कुल प्वाईंटेड प्रश्न है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- पूरा बता देता हूं न।

श्री अजीत जोगी :- It is a pointed Question give a pointed Reply.

अधिकारी मन मदद करव न जी। चिट्ठी भेजव।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- इसमें एक प्रकरण में आपसी सहमति से भुगतान हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- मेरा एक ही प्रश्न है कि 20 प्रकरण कब से प्रक्रियाधीन है ? इसके बाद मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 2017-18 से लंबित है।

श्री अजय चंद्राकर :- कब से लंबित है ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- 2017-18 से लंबित है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि उससे पहले से लंबित है। यदि मैं आपको जब से कोर्ट में चल रहा है, यदि आपको लिखकर दूंगा तो क्या आप प्रश्न संदर्भ समिति से जांच करायेंगे ? मैं आपको अभी लिखकर दे देता हूं कि कब से लंबित है ?

अध्यक्ष महोदय :- आप मुझे दीजिए। मैं जांच कराऊंगा न। बात खत्म हो गयी। आप कह रहे हैं, प्रश्न एवं संदर्भ समिति से जांच कराईये।

श्री अजीत जोगी :- अगला प्रश्न पूछ लो।

श्री अजय चंद्राकर :- गलत उत्तर है।

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

**<u>शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण</u>**

15. (*क्र. 781) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पुरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के कितने प्रकरण लंबित हैं, लंबित प्रकरणों की जिलेवार जानकारी देवें ? (ख) अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने के कारणों की जानकारी देवें ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) हां यह सही है, कि पुरे प्रदेश में शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के 256 प्रकरण लंबित है, लंबित प्रकरणों की जिलेवार जानकारी ††[5] संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने के कारणों की जानकारी निम्नानुसार है :—

1. शासन निर्देशानुसार अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित सीमा में सहायक ग्रेड-03 के पद भरे होने के कारण.
2. आवेदक के नाबालिग होने के कारण.
3. प्रकरण न्यायालय में लंबित होने के कारण.
4. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होने के कारण.

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। माननीय मंत्री जी ने मुझे इसमें उत्तर में बताया है कि शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के 256 प्रकरण लंबित हैं। माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 256 ऐसे परिवार और ऐसे परिवार के ऐसे व्यक्ति जिनको ये अनुकम्पा नियुक्ति मिलनी थी, वे अपने अधिकारों से वंचित हैं और ऐसे लोगों को आप उनका अधिकार दिलाने के लिए क्या कर रहे हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण है और अभी तक पूरे 256 प्रकरण लंबित है। अनुकम्पा नियुक्ति के लिए जो गाईड लाईन है, उसमें उसके तहत कुल जो जितनी पद रिक्तियां होंगी, उसका केवल 10 प्रतिशत अनुकम्पा नियुक्ति करने का नियम हैं और अनुसूचित क्षेत्र में 25 प्रतिशत है तो ये सहायक ग्रेड के जहां पद रिक्त हैं, करीब 220 हैं और भृत्य के 30 हैं तो ये जब-जब इस प्रकार की रिक्तियां होंगी तो उस परसेंट में आने पर ही इसमें नियुक्ति की जायेगी और ये लगातार प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, जब 256 परिवार अपने अधिकार से वंचित हैं तो आप जो 10 प्रतिशत की जो बाध्यता है, उसको खत्म क्यों नहीं करते हैं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपके वित्त विभाग की जो गाईड लाईन है, सरकार की गाईड लाईन है कि आपको इतने ही करना है, इसको शिथिल करने का अभी कोई दिशा-निर्देश नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, ये 10 प्रतिशत की गाईड लाईन केन्द्र सरकार की है या राज्य सरकार की है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो राज्य सरकार की गाईड लाईन है।

---

††[5] परिशिष्ट "ग्यारह"



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- तो इसको थोड़ा-बहुत संशोधन करने के बारे में आप लिखिये, कुछ विचार करिये।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित क्षेत्र में 25 प्रतिशत किया गया है।

श्री अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आपने निर्देश दिये, वह बहुत जरूरी है। अनुकम्पा नियुक्ति नहीं हो पा रही है नियम बहुत कठिन है, उसको शिथिल करना जरूरी है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में मेरा एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। श्री संतराम नेताम।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा केवल एक प्रश्न है। इसमें माननीय मंत्री जी ने मुझे बताया है कि इसमें निर्धारित सीमा सहायक ग्रेड-3 के पद भरे होने, यह भी एक इसका कारण है तो माननीय मंत्री जी मेरा यह निवेदन है कि यदि आपको अनुकम्पा नियुक्ति में यह दिक्कत, परेशानी आ रही है तो ग्रेड-3 के अन्य विभागों में इनकी नियुक्ति क्यों नहीं करते ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी जगह यही गाईड लाईन है और जितने पद जो रिक्त होते जाएंगे और जैसे-जैसे पद रिक्त होंगे, वैसे-वैसे उसकी-उसकी भर्ती होगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप गाईड लाईन का परीक्षण करिये और आगे निवेदन करिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न कर लीजिए।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आपने बताया था कि शैक्षणिक योग्यता भी पूरी नहीं होने के कारण, यह भी आपकी एक गाईड लाईन है कि यदि शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं होती, इस कारण अनुकम्पा नियुक्ति नहीं होती। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यदि आपने इसमें बाध्यता दी है कि इनको डी.एड. और बी.एड. करना अनिवार्य है तो आप जिनको अनुकम्पा नियुक्ति दे रहे हो, उनके लिए इस बाध्यता को खत्म करिये कि उनको डी.एड. और बी.एड. करना नियुक्ति के लिए अनिवार्य है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रेड-3 में ...।

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- इसमें उत्तर संभव नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आना संभव है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं। हूजूर, आप अभी आ रहे हैं। आप तो अपना प्रश्न छोड़कर चले गये थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। उसमें उनको नियुक्ति के बाद में इन हाऊस डी.एड. और बी.एड. करने की अनुमति दे देतो इसमें अनुकम्पा नियुक्ति हो सकती है..।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने कह दिया कि जो संशोधन होंगे, वह प्रस्ताव भेजें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि नियुक्ति देने के बाद में उनको बी.एड., डी.एड. करने की अनुमति दे दें तो उनकी नियुक्ति हो सकती है, क्योंकि अनुकम्पा नियुक्ति का संवेदनशील मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- वह सोच लेंगे। जी-जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो उनके सारे उत्तर केन्द्र सरकार से संबंधित है या संभव नहीं है या चीट नहीं आया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- चीट मारे के आदत पुराना हे।

**<u>जिला कोण्डागांव में जिला निर्माण समिति से स्वीकृत कार्य</u>**

16. (*क्र. 837) श्री संतराम नेताम : क्या स्कूल शिक्षा मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोण्डागांव जिले में जिला निर्माण समिति के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2015-16, 2017-18 एवं 2018-19 में तिने कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है ? विभागवार वर्षवार कार्यों की सूची निविदा प्रकाशन का दिनांक एवं समाचार पत्र का नाम ? (ख) क्या जिला निर्माण समिति द्वारा निविदा ? ऑफलाईन आमंत्रित की गई है ? यदि हां, तो ततसंबंधी राज्य शासन के आदेश की जानकारी दी जावे ? (ग) उक्त वित्तीय वर्षों में आमंत्रित निविदा किन-किन निविदाकारों को आबंटित की गई, वर्षवार विभागवार जानकारी दी जावे ? साथ ही लोक निर्माण विभाग के एसओआर में उक्त कार्यों को कितने प्रतिशत अधिक या न्यूनतम में आबंटित किया गया की जानकारी दी जावे ? (घ) उक्त वित्तीय वर्षों में आमंत्रित निविदा के कार्यों का ले-आउट किन तिथियों को दिया गया एवं कार्य किस तिथि को पूर्ण हुए ?

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) 110 कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है. जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" पर है. (ख) जी, हां. शासन आदेश दिनांक 04 जुलाई, 2013 की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" के रूप में है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कॉलम 6 एवं 7 पद दर्शित है. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" के कॉलम 8, 9 एवं 10 पर दर्शित है.

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से जिला कोण्डागांव में जिला निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी चाही थी । हमारे मंत्री जी के द्वारा उत्तर में बताया गया है कि वर्ष 2017-2018 में 29 कार्य और 02 और वर्ष 2018-2019 में जो 20 और 02 कार्य जो प्रचलित दर में अधिकतम 24.9 प्वाईंट की दर से किया गया है। वहां के कलेक्टर द्वारा अपने चहेतों को यह काम दिया है जबकि एन.एच. में वह काम हुआ है। वहां नक्सली समस्या भी नहीं है। जैसी दहीकोंगा, कोण्डागांव, फरसगांव, बहीसगांव, केशकाल इसमें कोई समस्या नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में उनके द्वारा ऐसा काम किया गया है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव जिले में जिला निर्माण समिति के माध्यम से सब काम स्वीकृत किये जाते हैं और उसके दिशा-निर्देश सरकार के हैं कि वहां पर उनको विशेष रूप से कराया जाये। उसका मेनुअल टेन्डर होगा और सब काम टेन्डर से कराये जाते हैं।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव जिले में जिला निर्माण समिति में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। मैं कह रहा हूं कि एन.एच. में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपने उसको अधिक दर पर दिये हैं, जबकि नक्सली क्षेत्र होने के बाद भी अन्य जिलों में 10-15 प्रतिशत में काम हुआ है, कौन सी परिस्थिति में कलेक्टर ने उसको अधिक दर में दिया है?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला निर्माण समिति को यह अधिकार है, जो टेन्डर प्रक्रिया होती है, सभी काम टेन्डर से होते हैं, लेकिन जिला निर्माण समिति को ई-टेन्डरिंग का जो माध्यम होता है उसमें उसको मेनुअल करने की छूट रहती है, उसी के तहत उसमें जितने सारे काम हुए हैं, इसमें जिला निर्माण समिति ने किया है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न (ख) में मैंने कार्यों की ले-आउट की तिथि चाही थी। उनके द्वारा भ्रामक जानकारी दी गई है, वर्ष बताया गया है, करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। वहां के कलेक्टर महोदय पहले से कार्य को दे रहे हैं और बाद में टेन्डर निकाल रहे हैं। जबकि 20 लाख का कार्य होता है तो कम से कम तीन समाचार पत्रों में प्रकाशन होता है। जनसंपर्क में नहीं दिया गया। इस प्रकार से करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इसमें जांच करायेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी टेन्डर हुए हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है। 2015-16 में जो टेन्डर हुए हैं, उसमें हरिभूमि में प्रकाशन हुआ है। उसके अलावा राजस्व मद में जो काम हुए हैं, नवभारत में प्रकाशन हुआ है। जिला खनिज न्याय में जो काम हुए हैं वह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

दण्डकारण्य, नवभारत, पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशन हुआ है। ये सारे समाचार पत्रों में बकायदा उसका विज्ञापन जारी किया है और पूरी पारदर्शिता से उसमें काम हुआ है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है, यह गंभीर मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसको विधानसभा समिति से जांच करायेंगे? माननीय मंत्री जी करोड़ों का घोटाला हुआ है, क्या आप जांच करायेंगे? यह पुराना 2015 का मामला है, आपकी सरकार का नहीं है, यह पूर्ववर्ती सरकार के समय का है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस सरकार का जांच नहीं करायेंगे?

श्री संतराम नेताम :- आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्या आप जांच करायेंगे?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूर्व के काम हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जांच की घोषणा कर दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- जांच करायेंगे।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इसकी आयुक्त से जांच करायेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- किसी से करा लें, करा लेना।

**<u>रायपुर नगर निगम क्षेत्र के प.ह.नं. 46/62 से भूमि का आबंटन एवं अतिक्रमण पर कार्यवाही</u>**

17. (*क्र. 623) श्री धर्मजीत सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगर निगम क्षेत्र प.ह.नं. 46/62 रायपुर खास के भू-अभिलेख अनुसार वर्ष 1960 में दर्ज "छोटे-छोटे जंगल" कुल रकबा लगभग 815 हेक्टेयर भूमि में से कितनी-कितनी भूमि शासकीय/गैर शासकीय/आवासीय प्रयोजन हेतु किन-किन संख्या व्यक्ति को आबंटित की गई है ? (ख) कंडिका "क" की दर्ज भूमि पर कितने और किन-किन प्रकरणों में भू-परिवर्तन (लैण्ड डायवर्सन) की अनुमति कब-कब दी गई है ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका "क" की भूमि में अवैधानिक रूप से अतिक्रमण/कब्जा किया गया है? यदि हां, तो कितनी भूमि में, अतिक्रमण/कब्जाधारियों का ब्यौरा दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर नगर निगम क्षेत्र में प.ह.न. 62 ग्राम रायपुर खास के अधिकार अभिलेख वर्ष 1954-55 में कुल 814.36 एकड़ छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज है ।

उक्त भूमि में वर्ष 1929-30 में घोषित 736.11 एकड़ नजूल भूमि भी सम्मिलित है जिसमें से वर्ष अक्टूबर 2019 तक कुल 3204 नजूल पट्टे आवासीय/व्यावसायिक प्रयोजन के लिए वितरित किए गए हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अधिकार अभिलेख में दर्ज छोटे झाड़ के जंगल मद में दर्ज भूमि में से 29.16 एकड़ भूमि कृषि प्रयोजन में एवं 0.12 एकड़ भूमि गैर कृषि प्रयोजन के रूप में विभिन्न भूमि स्वामियों के नाम वर्तमान शासकीय अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज है। परिशिष्ट-अ तथा ब में है।

अधिकार अभिलेख में दर्ज छोटे झाड़ के जंगल मद में 18.52 एकड़ भूमि पर कुल 1306 व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 के तहत पट्टे वितरित किए गए हैं।

अधिकार अभिलेख में कुल 30.45 एकड़ भूमि शासकीय मद में दर्ज है।

(ख) कंडिका 'क' के दर्ज भूमि में से रकबा 0.12 एकड़ तथा कुल प्रकरण संख्या 04 में भूमि डायवर्सन की अनुमति वर्ष 2011-12 से 2017-18 मध्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है। जानकारी परिशिष्ट 'ब' में है। (ग) अतिक्रमणकर्ताओं के संबंध में विस्तृत जांच उपरांत वस्तुस्थिति की जानकारी जा दी जा सकेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है। मुझे माननीय मंत्री जी का संशोधित उत्तर भी अभी थोड़ी देर पहले मिला है। मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं ले रहा हूं। यह बहुत ही गंभीर विषय का मामला है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के पटवारी हल्का नंबर 46/62 में आपने बताया है कि 836.50 हेक्टेयर भूमि दर्ज है। इसमें कौन काबिज है, कौन नही है, कब से इसको दिया गया है, आप ये विस्तृत रूप से जांच कराने की बात किये हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच करा करके क्या पूरी बात से मुझे अवगत करा देंगे ? क्योंकि अभी मैं तत्काल न तो इसको पढ़ सकता और न इसमें कोई ज्यादा प्रश्न पूछने का समय भी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि जो मैंने 17 नंबर में प्रश्न पूछा है, जितने बिन्दु की मैंने मांग की है ,उसकी सबकी जांच करके या जानकारी ले करके क्या आप मुझे लिखित में नाम, गांव, खसरा, रकबा सहित अवगत करा देंगे?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधित उत्तर है, उसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी गई है और उसके बाद भी अगर कोई जानकारी माननीय सदस्य को चाहिए तो हम उसको उपलब्ध करा देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसमें आप कई हेक्टेयर जमीन के बारे में बताने में अक्षम रहे हैं कि वह जमीन किसके कब्जे में हैं, किसको किस प्रयोजन के लिए दिया गया है, कब दिया गया है, ये छोटे झाड़ का जंगल है कि नजूल है का है या क्या है, ये पूरी वस्तुस्थिति की सिलसिलेवार अगर आपके पास जानकारी हो तो आप मुझे लिखकर दे सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है।

श्री अजीत जोगी :- जांच करा दीजिए न।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री जयसिंह अग्रवाल :- इसमें जो भी अतिक्रमण होगा, उसका भी पट्टा का सर्वे चल ही रहा है, हम उसमें आपको जानकारी दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्नकाल समाप्त।

**(प्रश्नकाल समाप्त)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

**पत्रों का पटल पर रखा जाना**

**(1) भारत के नियंत्रक महालेखारीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखारीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखता हूं ।

**(2) भारत के नियंत्रक महालेखारीक्षक से प्राप्त दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-1)**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखारीक्षक से प्राप्त दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या-1) पटल पर रखता हूं ।

**(3) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-20/2016/18 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017**

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-20/2016/18 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य नगरपालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा, भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2017 पटल पर रखता हूं ।

**(4) अधिसूचना क्रमांक 5062/1405/18/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम, 2010**

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 5062/1405/18/2010, दिनांक 24 सितम्बर, 2010 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (सेल्यूलर मोबाईल फोन के लिये अस्थाई टावर या संरचना का निर्माण) नियम, 2010 पटल पर रखता हूं ।

**(5) अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018**

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-14/2017/18, दिनांक 16 जनवरी, 2018 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2018 पटल पर रखता हूं ।

**(6) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18**

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 पटल पर रखता हूं ।

समय :
12:03 बजे

**राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधानसभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा जुलाई, 2019 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से सभी 7 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयकों का विवरण प्रमुख सचिव, विधानसभा सदन के पटल पर रखेंगे ।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चंद्रशेखर गंगराड़े) :- पंचम विधानसभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में पारित कुल 10 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा जुलाई, 2019 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से सभी 7 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयकों के नामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं का राज हो गया है । पूरे प्रदेश में दुकानों में ऐसी भीड़ लगी है जैसे कोई मेला भरा हुआ हो और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि अब छत्तीसगढ़ में जहां-जहां पर पर्यटन स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं वहां मेला भरेगा परंतु अब शराब दुकानों के सामने मेला भर रहा है । पूरी अव्यवस्था हो गयी है, लोगों को नकली शराब मिल रही है । शराब के जो रेट हैं वह भी बढ़े हुए हैं और इस सरकार के राज में माफिया फिर से उत्पन्न हो रहे हैं, अवैध शराब जिसे हमारी सरकार ने पूरी तरह बंद कर दिया था, कोचियों को बंद कर दिया था फिर से उन लोगों को शराब मिल रही है । हम चाहते हैं कि इस सदन में इसके ऊपर चर्चा करवायी जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरबा में एक महिला को पुलिस की प्रताड़ना के कारण आत्महत्या करनी पड़े उसको तीन तलाक दे दिया गया । वह एडिशनल एस.पी. के कार्यालय में गयी, वहां पर शिकायत कर रही थी और उसकी शिकायत को नहीं सुना गया और बाहर आकर उसने आत्महत्या कर ली । माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे निवेदन है और हम चाहेंगे कि आप इस मामले में यहां पर चर्चा करवायें ।

समय :
12:05 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

**<u>पृच्छा</u>**

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश में शराब दुकानों के सामने मेला तो लगा ही है । इसके साथ ही अवैध शराब बिक रही है । मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र की शराब आकर बिक रही है और एमआरपी रेट से सब जगह 10 रूपए, 20 रूपए ज्यादा रेट लिया जा रहा है । सरकार के जनघोषणा पत्र में शराब बंदी की बात थी । पूरा प्रदेश शराब के नशे के गिरफ्त में आ चुका है और इसमें सरकार की अहम भूमिका है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप कितनी बार गए हैं, जो आपको मालूम है । आप शराब खरीदने गए थे क्या ? शराब असली है या नकली है यह भी आपको पता है क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- सभापति जी, उड़ता पंजाब के स्थान पर उड़ता छत्तीसगढ़ की स्थिति बन गई है । शराब पर यह सरकार कब प्रतिबंध लगाएगी ? अवैध शराब को कैसे रोकेगी ? बढ़ी हुई कीमत को कैसे रोकेगी ? इस पर हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है, आप हमारे प्रस्ताव को ग्राह्य करके चर्चा कराएं, आपसे निवेदन है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, जो विषय हमारे साथियों ने उठाया, उसमें सबसे गंभीर बात यह है कि दुकानों में जो बिल मांगते हैं, उन्हें बिल भी नहीं दिया जा रहा है । जो चीज मांगते हैं, वह चीज नहीं दी जा रही है। रेट भी ज्यादा लिया जा रहा है । सबसे गंभीर बात तो यह है कि आज घर पहुंच सेवा ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने कौन सी चीज मांगी, जो नहीं मिली ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने सूचना दी है क्या ? सभापति महोदय, आप उन लोगों को ही अवसर दे दीजिए ।

सभापति महोदय :- चंद्राकर जी, आपने सूचना दी है आपकी बात आ गई ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, अवैध शराब, नकली शराब और अन्य प्रकार के नशीले पदार्थ प्रदेश की एक गंभीर समस्या बन चुकी है । यह सरकार अपने घोषणा पत्र में शामिल करने के बावजूद इससे पीछे हट रही है । जनता में बहुत रोष आक्रोश व्याप्त है । सारे काम रोककर इस पर चर्चा कराई जाए ।

सभापति महोदय :- आपकी बात आ गई, भाषण नहीं होगा ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- सभापति महोदय, शराब के मामले में तो मेरा भी स्थगन है लेकिन मैं अभी दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं । मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में वर्तमान में बिजली उत्पादन की क्षमता 24500 मेगावाट है । साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड बिलासपुर का वार्षिक उत्पाद 165 मिलियन टन है । जो कि देश के कुल कोयला उत्पादन का 25 प्रतिशत है । अध्यक्ष महोदय, यहां पर लगभग 200 उद्योग कार्यशील हैं और उन उद्योगों को कोयले की आपूर्ति एसईसीएल से होती है और इन उद्योगों में से 4000 मेगावाट का केप्टिव पावर प्लांट भी लगा है । जिसको कोयल इंडिया पूरी तरह से कोयला नहीं देता है । वे लोग कोयला हमारी ही धरती से लेते हैं और पूरे के उत्पादन में सबसे जयादा 25 प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है । कोल इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ के उद्योगों को कोयला नहीं देने से हमारे उद्योग बंद हैं या अपना प्रोडक्शन कम कर रहे हैं । उससे 200 करोड़ रूपए की हानि छत्तीसगढ़ को प्रतिवर्ष हो रही है ।

सभापति महोदय :- जी, जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- 2 मिनट सुन लीजिए ना । निचोड़ अभी बताउंगा । इससे 5 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उसमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, उसमें मजदूर वगैरह काम करते हैं । सभापति महोदय, इसमें मेरा निवेदन यह है कि हमारे राजस्व को बढ़ाने के लिए, हमारे प्रदेश में स्थापित केप्टिव पावर प्लांट व अन्य प्लांटों को कोयले की आपूर्ति पहले की जानी चाहिए क्योंकि हमारी ही धरती से आप कोयला निकाल रहे हो । हमारी आपूर्ति बढ़ेगी तो बिजली का प्रोडक्शन भी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बढ़ेगा । उसके लिए कोल इंडिया को हमने एक बार जमीन दे दी और फॉरेस्ट क्लीयरेंस दे दिया तो वे जमींदार बन जाते हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह जमींदार नहीं हैं, वे भी हमारे अधीनस्थ हैं । आपसे आग्रह है कि कोल इंडिया के एम.डी. को बुलाकर मीटिंग कीजिए और यहां के केप्टिव पावर प्लांट्स और अन्य उद्योगों को कोयले के आपूर्ति करने के बाद ही वह देश के अन्य हिस्सों में कोयला भेजे, इस बात को आप सुनिश्चित करने की कृपा करें, ताकि एक बड़े मसले का हल हो सके । अन्यथा हमारा सारा उत्पादन ठप्प पड़ने वाला है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, सरकार शराब बेच रही है । सरकार ने शराबबंदी की बात की । लेकिन इस शराब के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली में शराब बिक रही है ।

सभापति महोदय :- आपने सूचना क्या दी है यह बताइए ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति जी, मैंने स्थगन की सूचना दी है । सभापति महोदय, प्लेसमेंट कर्मचारियों के माध्यम से पूर्व के शराब ठेकेदार के लोगों को वहां बैठाया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, भाषण नहीं, यहां चर्चा नहीं हो रही है । आपने ध्यान आकर्षित कर दिया ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- पूरे प्रदेश में इस शराब के कारण अराजकता की स्थिति निर्मित हो रही है । आपसे निवेदन है कि समस्त कार्य रोककर इस पर चर्चा कराई जाए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति जी, लोकतंत्र सेनानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के तहत ही पेंशन दी जा रही थी । नई सरकार के गठन के बाद उनकी पेंशन बंद कर दी गई है । मध्यप्रदेश में वह लागू हो गई है, यहां उसके संदर्भ में परीक्षण किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा और इसमें मैंने ध्यानाकर्षण भी दिया है या ध्यानाकर्षण को ले लिया जाए कि स्वतंत्रता सेनानियों का जो पेंशन बंद है, उसे अतिशीघ्र चालू करें। यह मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं। दूसरा एक छोटा सा निवेदन है कि अतिथि शिक्षक जिनकी पूर्व में जो भर्ती हुई है और उन्हें इस साल निकाल दिया गया है, जबकि उसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि जहां पर पद रिक्त है। जो वर्तमान में काम करते हुए आये हैं, उन्हें वर्तमान में रखा जाए जब तक कि पद की पूर्ति न हो जाए, तब तक। लेकिन अभी शासन के द्वारा उनको निकालकर नये लोगों की भर्ती कर दी है। उनके द्वारा शिकायतें दी गई हैं, किन्तु आज ही प्रश्न में जवाब आया है कि कोई शिकायत नहीं मिली है तो मैं इस पर भी ध्यानाकर्षण दिया हूं। इसे स्वीकार किया जाए, जिससे जो अतिथि शिक्षक निकाले गये हैं, उनको पुन: रखने का मंत्री जी को निर्देश दिया जाए, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहत हो कि..।

सभापति महोदय :- आपने सूचना क्या दी है? आपने सूचना क्या दी है?

श्री रामकुमार यादव :- मैं आपसे निवेदन लेकर आया हूं।

सभापति महोदय :- नहीं, शून्यकाल में आपने जो सूचना दी है, उसके बारे में चर्चा करें।

समय :
12.11 बजे

**ध्यानाकर्षण सूचना**

सभापति महोदय :- आज की कार्यसूची में 24 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत् शामिल किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें से क्रमश: प्रथम चार ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा। मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)**

सभापति महोदय :- पहले क्रमांक (1) से (4) तक की सूचनाएं ली जावेंगी। माननीय धर्मजीत सिंह।

**(1) प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किया जाना।**

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय सभापति महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

प्रदेश के 15 जिलों के लगभग 850 रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया कागजों तक सिमट कर रह गयी है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतने को विवश है, वहीं रेत माफिया बेधड़क अवैध रेता खनन कर मनमर्जी पैसे ग्राहकों से वसूल रहे हैं। करोड़ों रूपए की रेत विगत 3 माह के अंदर ही अवैध रूप से बेची गई। शासन को मिलने वाली रायल्टी की अब तक बोहनी भी नहीं हुई। रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, मुंगेली, बस्तर, जगदलपुर, धमतरी, महासमुंद जिलों में प्रतिदिन दिनदहाड़े जे.सी.बी. से अवैध रेत का विदोहन किया जा रहा है। जांजगीर-चांपा जिले के हसदो

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नदी में चांपा, पीथमपुर, केवा-भादा, नवापारा, धराशिव (नवा) दहिदा, बम्हनीडीह, बिर्रा, महानदी में शिवरीनारायण, केरा, चंद्रपुर, सोन नदी में रिस्दा, पलाड़ीखुर्द चोरिया घाट, लीलागर नदी में दर्री घाट, कोरबा जिला में हसदो नदी में रेत माफियाओं द्वारा रेत का खुलेआम अवैध परिवहन किया जा रहा है तथा औने-पौने दामों में रेत की सप्लाई की जा रही है। बिना रायल्टी के रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है व रायल्टी के नाम से अवैध वसूली की जा रही है। बिना रसीद के 2 से 5 हजार तक लिये जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कार्यवाही के नाम पर चंद मामले दर्ज कर अधिकारी मौन हो गए। आनन-फानन में पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ 47 रेत खदानों की नीलामी की गयी, मगर अब रायल्टी कोड नहीं होने के बहाने बनाकर पीट पास जारी करने में अपनी असमर्थता बता रहे हैं। अवैध खनन लगातार जारी है तथा रेत माफिया प्रति ट्रक रू. 14000 से 15000 तक रेत बेच रहे हैं। शिकायत के बावजूद किसी भी रेत घाट की जांच नहीं की गई। राटाकाट, परागांव, चरौदा रेत घाट अब रेत माफियाओं के कब्जे में है। रेत घाटों के विधिवत संचालन नहीं होने से न केवल शासन की योजनाएं बंद पड़ी हैं, बल्कि जरूरतमंद लोग घर, मकान बनाने के लिए रेत के अभाव में परेशान हैं। इससे प्रदेश की आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय सभापति महोदय, यह कहना सही नहीं है कि प्रदेश के 15 जिलों में लगभग 850 रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया कागजों तक सिमट कर रह गई है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगतने को विवश है। वस्तु स्थिति यह है कि रेत घाट की नीलामी प्रक्रिया पहली बार कागजों में लाया गया है। प्रदेश में रेत खदानों के सम्बन्ध में नवीन रेत नियम की घोषणा अगस्त 2019 में किए जाने के उपरान्त दिनांक 23.11.2019 तक प्रदेश के समस्त 27 जिलों में रेत खदान प्राप्त करने हेतु अब तक कुल 247 रेत खदानों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना (एन0आई0टी0) जारी किया जा चुका है, जिनमें से 183 निविदायें खोली जा चुकी हैं। जिन रेत खदानों मे पूर्व से पर्यावरण सम्मति प्राप्त थी, ऐसे 65 खदानों को तत्काल अग्रिम रायल्टी जमा कराया जाकर अभिवहन पास जारी कर दिए हैं। जिसमें लगभग 01 करोड़ 08 लाख रूपये रायल्टी के रूप में शासन को प्राप्त हुआ है तथा 61 खदानों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है। इस प्रकार अतिशीघ्र कुल 125 रेत खदानों में उत्खनन प्रारंभ हो जायेगा। अत: यह कहना सही नहीं है कि शासन को मिलने वाली रायल्टी की बोहनी भी नहीं हुई है।

यह कहना भी सही नहीं है कि रायपुर, बिलासपुर, महासमुन्द, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, मुंगेली, बस्तर, धमतरी जिलों में जे0सी0बी0 से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह है कि जिन ग्राम पंचायतों को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण से सेमी मेकेनाईज्ड विधि से रेत खनन की अनुमति प्राप्त थी, उन खदानों को नीलामी (रिवर्स बिडिंग) के माध्यम

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

से चयनित पट्टेदार के नाम पर हस्तान्तरित किया गया है। अत: उक्त खदानों में जे0सी0बी0 के माध्यम से रेत लोडिंग का कार्य किया जा रहा है।

यह कहना सही नहीं है कि जांजगीर-चांपा जिले में हसदेव नदी, महानदी, सोननदी, सहित पूरे प्रदेश में आम नागरिकों को निर्धारित दर से कई गुना अधिक कीमत पर रेत प्राप्त हो रहा है। जांजगीर-चांपा जिले के हसदेव नदी में चांपा, पीथमपुर, केवा-भादा, नवापारा, धाराशिव (नवा), दहिदा, बम्हनीडीह, बिर्रा, महानदी में शिवरीनारायण, केरा, चन्द्रपुर, सोननदी में रिस्दा, पलाड़ीखुर्द, चोरियाघाट, लीलागर नदी में दर्रीघाट तथा कोरबा जिले के हसदेव नदी में रेत माफियाओं द्वारा रेत का खुले आम अवैध परिवहन किया जा रहा है। वस्तु स्थिति यह है कि जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में महानदी में ग्राम देवरघट्टा, तरौद, खोरसी-1, खोरसी-2, देवारी, महंतपारा, भोगापारा, मिरौनी व बोराई नदी में सुलौनी, हरदी, हसदेव नदी में हथनेवरा, जूनाडीह, मांड नदी में बरहागुड़ा तथा सोन नदी में चौरिया, कुल 14 रेत खदानें संचालित हैं। इसी प्रकार कोरबा जिले के विभिन्न नदियों में 05 रेत खदानें पर्यावरण सम्मति प्राप्त कर संचालित है, जिनसे विधिवत रायल्टी एवं अन्य कर प्राप्त कर खनिज का परिवहन किया जा रहा है।

यह भी कहना सही नहीं है कि कार्यवाही के नाम पर मात्र चंद मामलें दर्ज कर अधिकारी मौन हो गए हैं तथा रेत माफिया 14,000-15,000 रूपये प्रति ट्रक बेच रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि जहां गत वर्ष जनवरी 2018 से दिसम्बर, 2018 तक रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन के 1703 प्रकरण दर्ज कर 01 करोड़ 74 लाख रूपया समझौता राशि वसूल किया गया, वहीं जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 (10 माह में) तक रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन के 3203 प्रकरण दर्ज कर 03 करोड़ 98 लाख रूपया समझौता राशि वसूल किया जा चुका है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त जांच दल गठित किए जाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है।

यह भी कहना सही नहीं है कि रेत का उपलब्धता कम होने से रेत के मूल्यों में रेत की कीमत 14,000-15,000 चली गई है। वस्तुस्थिति यह है कि प्रदेश के अधिकतर जिलों में रेत खदानों का संचालन प्रारंभ हो जाने से रेत की उपलब्धता हो रही है तथा रायपुर शहर में जहां 40 से 50 किलोमीटर दूर से रेत आती है, वहां भी 8,000-9,000 रूपये प्रति 8.5 घन मीटर (300फीट) हाईवा में रेत पहुंच कर मिल रही है। वहीं अन्य जिले में जहां रेत खदानों की दूरी कम है, जैसे बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा आदि जिलों में 4,000-7,000 रूपये प्रति हाईवा उपलब्ध हो रही है।

समय :
12:20 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वस्तुत: रेत का मूल्य खदान क्षेत्र से परिवहन की दूरी पर भी निर्भर करता है । आगामी माहों में पर्यावरण सम्मति प्राप्त होने पश्चात् 300 से भी अधिक रेत खदानें प्रदेश में संचालित हो जाएंगे, परिणामस्वरूप रेत के मूल्य में निश्चित रूप से ओर कमी आयेगी ।

उल्लेखनीय है कि पुरानी रेत नियम से पंचायतों को मात्र रायल्टी प्राप्त होती थी तथा वर्ष 2018-19 में अधिकतम 13.28 करोड़ रूष्पए मात्र की रायल्टी के रूप में प्राप्त हुई । वहीं नवीन रेत नियम में सरकार को अब तक 10,000 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा आवेदन शुल्क के रूप में ही 10.49 करोड़ रूपए प्राप्त हो चुका है । वर्तमान नवीन रेत नियम के तहत् शासन को रायल्टी के रूप में 100 करोड़, नीलामी राशि के रूप में 100 करोड़, डी.एम.एफ. मद में 10 करोड़, पर्यावरण अधोसंरचना उपकर में 15 करोड़, स्टैम्प ड्यूटी के रूप में लगभग 25 करोड़ रूपए इस प्रकार कुल राजस्व 250 करोड़ रूपये प्राप्त होने की संभावना है ।

नवीन रेत नियम के तहत रेत खदानों से प्राप्त रायल्टी आगामी वित्तीय वर्ष में विगत 05 वर्षों में पंचायतों को प्राप्त अधिकतम रायल्टी राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए समतुल्य राशि संबंधित पंचायत/नगरीय निकायों को आवंटित की जायेगी । अत: ग्राम पंचायतों को रेत खदानों से पूर्व में प्राप्त हो रही आय से अधिक आय प्राप्त होगी ।

नवीन रेत नियम में रेत मूल्यों के नियंत्रण के उपाय किए गए हैं । रेत के लोडिंग हेतु प्रति घनमीटर सीलिंग प्राईज निर्धारित किया गया है तथा रेत का विक्रय मूल्य रेत घाटो पर सूचना पटल लगाया जाकर प्रदर्शित करने का भी प्रावधान किया गया है, ताकि जनता को वाजिब दामों में रेत उपलब्ध हो सके । रेत के मूल्य नियंत्रण हेतु रेत व्यवसाय से संबंधित ट्रेडर्स का पंजीयन और रेत परिवहन में लगने वाले वाहनों/ट्रांसपोर्टर का पंजीयन करने की व्यवस्था नियमों में प्रावधान की गई है ।

नवीन रेत नियम में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु संचालनालय एवं जिला स्तर पर विशेष उड़नदस्ता दल का गठन किए जाने के प्रावधान नियमों में किया गया है । रेत खदानों में सिस्टमेटिक एवं साईंटिफिक तरीके से खनन किये जाने हेतु माईनिंग प्लान तथा पर्यावरण समिति की अनिवार्यता की गई है । एन.जी.टी. द्वारा रेत उत्खनन के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के प्रावधान भी नियमों में किये गए हैं ।

प्रदेश में रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने विभाग द्वारा सक्षमता से कार्यवाही की जा रही है तथा अवैध उत्खनन/परिवहन की शिकायतों पर कड़ाई से कार्यवाही कर प्रकरण दर्ज किया जा रहा है, जिससे जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जवाब से यह तो स्पष्ट हुआ कि रेत के खदान से लगभग 250 करोड़ रूपए सरकार को आय अनुमानित है, लेकिन जब

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रेत के ठेके हुए हैं तो सबसे बड़ा खतरा तो गैंगवार का पैदा हो गया है । मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जिसको भी रेत के खदान मिले हैं, रेत के खदान का रकबा-खसरा जो आपने नापकर दिया है, उसमें अनुमानित कितना रेत उत्खनित होगा, इसका आंकड़ा भी आपने वहां पर बताया है क्या ? अध्यक्ष जी, थोड़ा प्रेक्टिकल बात करना पड़ेगा । मान लीजिए कि मैंने 4 एकड़ का रेत खदान लिया और मैं 400 एकड़ के बराबर रेत खनन कर दूंगा तो एन.जी.टी. का भी उल्लंघन होगा, पर्यावरण भी खराब होगा, नदियां तबाह हो जाएंगी, सूखा पड़ जाएगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो रेत खदान है, उसका सीमांकन, उसमें उपलब्ध रेत का भंडारण, वहां पर किसानों या आम नागरिकों को दिए जाने वाले दर का बड़ा-बड़ा बोर्ड, किस रेट पर लोडिंग होगा, किस रेट पर अनलोडिंग होगा, कितनी बड़ी मशीन चलेगी, कोई रेत माफिया बड़ा-बड़ा पोकलेन लेकर आ जाएंगे तो वे पूरा नदी उठाकर ले जा सकते हैं । इसलिए पहले तो यह बताईए कि ये सब प्रावधान आप वहां करके रखेंगे क्या ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में ही विस्तार से इस बात का उल्लेख कर दिया है और एन.जी.टी. के जो दिशा-निर्देश हैं, उसका सक्ती से पालन किया जाएगा, जिसमें माईनिंग प्लान में अभी तक तो खदान खोद दिए जाते थे और कहीं से भी खुदाई करके ले जाते थे, उसका कोई मापदण्ड भी नहीं होता था, लेकिन अभी जैसे पांच हेक्टेयर तक के देना है तो उतना ही होगा और माईनिंग प्लान बनेगा और उसको पूरा नियंत्रण में रखा जायेगा । जो आप रेट दर कह रहे हैं, उसका वहां पर बोर्ड लगेगा । पहली बार देश में रिवर्स बिडिंग किया गया है, फारवर्ड बिडिंग नहीं किया गया है, रिवर्स बिडिंग किया गया है । सारे दर, उसका लोडिंग कितना होगा, उसमें जो उप कर है, जितने भी है, उस सब का उल्लेख उस बोर्ड में होगा । यह विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा

श्री धर्मजीत सिंह :- ये रेट के ठेकेदार खुले आम 8-8, 10-10 हजार रूपये में बेच रहे हैं । परिवहन का नियम है कि 9 टन से ज्यादा लेकर नहीं जा सकते । यह नियम तो है ना ? परंतु 14, 18 टन भर-भरकर निकलते हैं, रायल्टी भी नहीं पटती है, माइनिंग के अधिकारी अगर उनसे मिली भगत कर लिये हैं तब तो और बंठाधार हो जायेगा । अवैध परिवहन में सिर्फ समझौता करने की आवश्यकता नहीं है । आप बताये हैं, समझौता में इतने करोड़ मिला, बाद में इतने करोड़ मिला । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस भी खदान से दो बार से ज्यादा या तीन बार से ज्यादा अवैध परिवहन की शिकायत मिलेगी, उस खदान को निरस्त करेंगे और उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने की भी कार्यवाही पर विचार करेंगे क्या ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, नियम में जो प्रावधान रखे गये हैं, उसके अनुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी । यदि ओव्हरलोडिंग करते हैं तो परिवहन विभाग के द्वारा निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी । उसे बख्शा नहीं जायेगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- होता नहीं ना सर । अध्यक्ष जी, खुले आम शहर के बीच से...।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, ...।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट । शहर के अंदर से वह ट्रकें निकलती है । न पुलिस रोकता, माइनिंग वाले तो रोकते ही नहीं है । माइनिंग वालों को हर हफ्ते वहां पर विजिट करने के लिए बोलिये । टोल फ्री नंबर आप दीजिए, मैं आपसे यह मांग कर रहा हूँ । एस.पी. और कलेक्टर का ट्रोल फ्री नंबर हो । एस.पी.साहब को यह निर्देश करिये कि जितने ठेकेदार उस जिले में है, सब को बुलाकर कड़ाई से निर्देश दें कि अगर गुंदागर्डी और माफियागिरी करोगे तो कार्यवाही होगी अन्यथा अध्यक्ष महोदय, गैंगवार पक्का है । गैंगवार होने की स्थिति बन रही है । बड़े प्रभावी-प्रभावी लोग ठेका लिये हैं, एकबात और कह देता हूँ इकट्ठे उत्तर दे दीजिएगा । हमारे ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन स्वीकृत होता है, आंगनबाड़ी भवन स्वीकृत होता है, प्रधानमंत्री भवन स्वीकृत होता है, सड़क के काम भी स्वीकृत होते हैं, छोटे-छोटे पुल-पुलिया के काम स्वीकृत होते हैं । इतने हैवी रेट में रेत कौन ले सकता है ? सीधे लेने जायेगा तो चालान होगा तो उनके लिए आप क्या प्रावधान कर रहे हैं ? बोल दीजिए कि उनको नि:शुल्क दिया जायेगा । पंचायतों को, सरकारी काम को नि:शुल्क दिया जायेगा, एस.डी.एम. पट्टा काट दे, पर्ची काट दे कि यह सरकारी काम मेरे अनुविभाग का है, उसको देने के लिए भी प्रावधान कर दीजिए, नहीं तो वह परेशान हो जायेंगे ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नवीन नियमों में रेत के मूल्य पर नियंत्रण हेतु प्रावधान किये गये हैं, उसमें प्रदेश के लोडिंग पर प्रतिघन मीटर सीलिंग प्राईज निर्धारित किया गया है । इसके विक्रय की सूचना पटल घाटों पर प्रदर्शित की जायेगी । इसके साथ ही परिवहन में लगे वाहन और ट्रांसपोर्टर के नाम भी उसमें होंगे । इसके लिए उड़नदस्ता भी गठित किया गया है । इसके साथ ही आपने जो सुझाव दिया है कि ट्रोल फ्री नंबर जिला पुलिस में होना चाहिये, आपकी चिन्ता से उसकी भी व्यवस्था हम कर देंगे, दूसरा उसका प्रावधान पहले से ही है । आपने जो एस.डी.एम. से अनुमति लेने बात की है, तो वह निश्चित रूप से एस.डी.एम. से अनुमति लेकर जो वहां स्थानीय निर्माण होगा, जिसके बारे में आपने चिन्ता जाहिर की है, उसकी भी इसमें व्यवस्था है ।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ..।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, इस पर जिन लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, उनके नाम लेकर बुला रहा हूँ । आपने इस पर स्थगन दिया है क्या ? आपने इस पर स्थगन दिया है क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ ..।

अध्यक्ष महोदय :-स्थगन दिया है क्या ?

श्री बृहस्पत सिंह :- स्थगन नहीं है, ध्यानाकर्षण है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- कुछ तो नियम से चलने दीजिए ? पहले जिन्होंने स्थगन दिया है, उनके नाम मैं पुकार रहा हूँ ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में रेत का जो विषय है, वह बहुत गंभीर विषय है और अवैध रेत उत्खनन से, उँचे दामों पर रेत मिलने से, आम आदमी, आम जनता जो है, वह कराह रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ, उन्होंने अपने वक्तव्य में, अपने उत्तर में, सारी बातों को दर्शाया है, उन्होंने बताया है कि 125 रेत खदानों की नीलामी अभी तक नहीं हुई है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाना चाहूंगा कि 125 रेत खदानों की नीलामी की निविदा नहीं बुलाई गई है, उन रेत खदानों में अभी कौन उत्खनन कर रहा है, किस एजेंसी के द्वारा काम किया जा रहा है ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, जो खदान खुले ही नहीं है वहां तो संचालित करने का सवाल ही नहीं उठता। यदि अवैध उत्खनन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्हीं खदानों से तो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और औने-पौने दामों में उस क्षेत्र में रेत को बेचा जा रहा है। धर्मजीत सिंह जी ने 8 हजार 9 हजार रूपये बताया मैं आपको बता रहा हूं कि 14 हजार-15 हजार रूपये प्रति ट्रक बिक रहा है और ये रेत दूसरे प्रदेशों में भी जा रहा है, सीमावर्ती प्रदेशों में भी जा रहा है। महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं कि महानदी में जो शिवरीनारायण का पाट है, आप जानते हैं उस महानदी की जो लंबाई है जहां पर रेत निकलता है वह 23 किलोमीटर का है और वहां पर सिर्फ 4 ठेके दिये गये हैं और वहां पर शिवनाथ और सोन नदी का संगम है। जिन पाटों में सिर्फ 4 रेत खदान अधिकृत हैं और जो 23 किलोमीटर के रेंज में अवैध उत्खनन हो रहा है क्या उसकी जांच करायेंगे क्या?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने उत्तर में ही बताया है कि जहां 61 खदानों की पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलन में है तो जैसे ही सम्मति मिल जाती है, तत्काल उसको शुरू कर देंगे। 65 ऑलरेडी संचालित है और 60 की अभी प्रचलन में है जैसे ही वह होगा, मिल जायेगा और जैसे-जैसे ये स्वीकृति मिलेगी हम लोग लगभग 300 खदानें संचालित करेंगे। क्योंकि एन.जी.टी. का डायरेक्शन है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एन.जी.टी. का जो डायरेक्शन है उसके कारण पूरे देशभर में रेत खदान के मामले में चर्चा हुई और इस कारण से कड़े निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया और एन.जी.टी. इसका लगातार परीक्षण कर रही है और इसी के तहत आपने देखा होगा कि पहले जिले स्तर की कमेटी थी, उसको भंग कर दिया गया है और केवल अब प्रदेश स्तर का है और पूरे प्रदेश स्तर में जो कमेटी बनी है वह विशेषज्ञों की बनी है और उसके सामने उसे रखा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जाता है, परीक्षण करके वह सहमति देते हैं उसके बाद ही उत्खनन की कार्यवाही शुरू होती है, तो 65 की सहमति मिल चुकी है, 60 की प्रचलन में है और उसके बाद जैसे-जैसे प्रकरण आते जायेंगे उन प्रकरणों का निपटारा होगा और वैसे ही रेत खदान शुरू होगा। जहां तक जांजगीर की बात है तो 14 खदानें संचालित हैं, तो रेट की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय मुख्यमंत्री जी,मैंने जो आपको शिवरीनारायण का पाट बताया है, वहां पर और नये खदानों की आवश्यकता है, कि नये लोगों को हम लोग दें।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही बात है। दो- तीन महीने के अंदर 22 और खदानों की स्वीकृति मिल जायेगी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी दोनों प्रश्नकर्ताओं के प्रश्न में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य आया है कि भविष्य वाला है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, वैस करने जा रहे हैं और ऐसा होगा। जिस दिन नई रेत नीति की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में की थी उससे अब तक छः-आठ महीने निकल गये हैं। तो ये छः-आठ महीने में माईनिंग तो हो रही है और जो होगा वह भविष्य में होगा, जैसा आपने उत्तर दिया है। जितनी कार्यवाही है उससे यह साबित है कि अवैध माईनिंग हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 183 निविदायें कब खोली गई और सिर्फ 65 खदानों को पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है, पर्यावरणीय स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन का ही पर्यावरण विभाग देता है तो उसमें कितने दिन में पर्यावरण स्वीकृति देने के नियम हैं और वह पर्यावरण स्वीकृति किसके नाम से दी जायेगी?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय जी बहुत विद्वान सदस्य हैं और उनके क्षेत्र में खदान है तो बहुत बारीकी से उसको जानते भी है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- उनका नाम शांतिलाल रख दिया जाए। अध्यक्ष जी, अगर ये शांत रहते हैं तो फिर पूरा सदन शांत है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके कारण मुझे सर्दी पकड़ ली है, मैं आज नेपकीन लेकर आया हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह शांति से प्रश्न पूछ रहे हैं तो भी तकलीफ हो रही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एन.जी.टी. की गाईडलाईन है उसमें जून से लेकर 15 अक्टूबर तक कोई खदान संचालित हो ही नहीं सकता। तो इस बीच में जो उत्खनन हुए हैं अवैध हुए हैं और अवैध उत्खनन के खिलाफ हमने, आपने पिछले साल केवल 1700 केसेस बनाये थे, इस समय हम लोगों ने 10 महीने में 3200 केसेस बनाये हैं, मेरे लिखित उत्तर में है। 3200 प्रकरण हमने दर्ज किये हैं। जो उत्खनन अब वैधानिक रूप से होगा, वह 15 अक्टूबर के बाद ही होगा। अब 15 जून से 30 अक्टूबर अब तक बहुत कम खदानें संचालित हुई है उसके बाद भी 1 करोड़ 8 लाख रूपये की रायल्टी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हमको मिल चुकी है। दूसरी जो बात है, क्षमा चाहूंगा। दूसरा यह कहना चाहूंगा कि यह जो समिति है, यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एन.जी.टी के द्वारा विशेषज्ञों की समिति बनायी जाती है। इसमें शासन के लोग नहीं बैठते हैं। उसमें समिति के लोग रहते हैं, विशेषज्ञ रहते हैं। उसमें माईनिंग सेक्रेटरी एक मेंबर के रूप में होते हैं। यह उस प्रक्रिया से गुजर रहा है तो हम एन.जी.टी. का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जो 65 प्रकरण है वह पूर्व से ही स्वीकृत है और 60 प्रकरण प्रचलित है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा है कि एन.जी.टी. का पालन कर रहे हैं, मैं एन.जी.टी. का निर्देश में अभी आऊंगा। मैंने यह पूछा है कि 65 जो एन.ओ.सी मिली है वह ग्राम पंचायत के नाम से मिली है, ठेकेदार के नाम से मिली है, किसकी मिली है, कितनी अवधि के लिये मिल है ?

श्री भूपेश बघेल :- आऊंगा मतलब क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, यह तय किया गया था कि जिन लोगों ने इस पर स्थगन प्रस्ताव दिया है उनको एक-एक प्रश्न देने के लिए है, इसमें चर्चा नहीं हो सकती।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्न को ही कर रहा हूं, मैं दूसरा प्रश्न नहीं करूंगा। मेरा मूल प्रश्न है कि जो 65 खदान है उसमें यदि एन.जी.टी. के नियम लागू करते हैं, वह ठीक है, मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने यह पूछा कि किसके नाम से एन.ओ.सी. दी गयी है, पंचायत के नाम से कि ठेकेदार के नाम से, कितनी अवधि के लिए दी गयी है। ये पूछा था। किसके नाम से एन.ओ.सी. दी गयी है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पट्टेदार के नाम से स्वीकृत होता है और यह जो खनिज पट्टा है वह दो वर्ष के लिये है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से शराब माफिया (व्यवधान) उसी प्रकार रेत की खदानों को लेने के लिए भी माफिया एक खदान के लिये 20 बार आवेदन दे रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- खनिज से संबंधित प्रश्न पूछिये न।

श्री रामकुमार यादव :- खनिज से संबंधित प्रश्न पूछने बोलो न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि रायपुर जिले में कितनी खदानें हैं और कितनी खदानों की नीलामी के लिये टेंडर बुलाया गया है और कितने लोगों ने आवेदन डाला है, ये जरा आप बता दें? आवेदन डालने वाले जो लोग हैं, क्या उनके पीछे एक ही व्यक्ति है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि Reverse bidding है। उसमें गवर्नमेंट के द्वारा एक हर जिले में कलेक्टर के द्वारा एक रेट निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें आपके लोडिंग के, डी.एम.एच. के उपकर के ये सारे राशि जोड़कर बता दिया जाता है कि इतने राशि प्रति टन, प्रति घनमीटर इसका रेट होगा। उसके बाद Reverse bidding शुरू होती है। लेकिन ये भी शर्त हमने कर दिया है कि 50 प्रतिशत से नीचे आप नहीं जा सकते। जो अंतर की राशि है यदि वह Reverse meeting में आते हैं यदि 50 प्रतिशत को 60 प्रतिशत करता है तो अंतर की राशि जो 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत है उसको राज्य सरकार को जो पट्टेदार हैं, वह इसमें राज्य शासन के खजाने में जमा करेगा। दूसरी बात यह है, आपने रायपुर के मामले में पूछा है, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, रायपुर में गौरभाट, कालादेही, कुरूद, पाड़ागांव इतने में संचालित हो रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कितने लोगों ने आवेदन डाला है मैं यह जानना चाहता हूं। मेरा आरोप यही है कि शराब ठेकदार जैसे शराब का ठेका लेते थे, वैसे रेत के ठेके लेने के लिए सौ-सौ आवेदन एक-एक ठेकेदार डाल रहा है। रायपुर में इन चार खदानों के लिये कितने आवेदन आये हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपको हर खदान में कितने डाले हैं, पूरे प्रदेश भर में 10 हजार आवेदन आये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं रायपुर जिले का पूछ रहा हूं। रायपुर जिले में कितने आये हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- आपको अतिरिक्त जानकारी दे देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप अभी बताईये न।

श्री भूपेश बघेल :- अभी बताओ, कोई कसम खाई है क्या ? अभी बताओ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी जो चिंता है कि माफिया रेत खदानों में आ रहे हैं। मेरी जो चिंता है मैं आपको इसलिए ...।

श्री भूपेश बघेल :- अब सुन लीजिए, नियम यह है कि इसमें पारदर्शिता बरती गयी है। एक आदमी एक ही जगह आवेदन कर सकता है, दूसरा जगह आवेदन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है, दूसरा आवेदन नहीं कर सकता। ये सारे नियम है। उसके द्वारा दिया गया, उसके बाद Reverse bidding की गई और जो नाम बच गये उसका नाम, उसको बक्से में भरा गया और सबके सामने वह उससे पर्ची निकाली गयी और जिसके नाम से आया, उसको खदान आबंटित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि रायपुर में जो मेरी जानकारी में है 4 खदानों के लिए 700 से ज्यादा आवेदन आये और 4 दिन तक कलेक्टर उसका

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

निर्णय नहीं कर पाया तो जितने शराब के ठेकेदार हैं क्योंकि शराब की ठेकेदारी खत्म हो गई।शराब के ठेकेदार अब रेत के खदानों का ठेका लेने आ गये और ये दुर्भाग्यजनक है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय बृजमोहन भईया, 15 सालों तक आप लोगों ने इन शराब माफियाओं को पोषित किया। अब उन्हीं लोग तो रेत खदान में आवेदन डाल रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 खदानों के लिए 3200 नाम आये हैं और आप जो 4 खदान बोले हैं, उसमें 700 आवेदन आये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिए।

अध्यक्ष महोदय :- उसको क्या देखेंगे ? उसको आप लोग देखिए।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी में एक सवाल था..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके पुराने साथी लोग आये हैं। आपके पुराने साथी लोगों ने आवेदन किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चिंता का विषय है कि इसमें माफिया शामिल हो रहे हैं और आपको माफियाओं को रोकना पड़ेगा। नहीं तो वह छत्तीसगढ़ में भी माफिया राज कायम हो जाएगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें ये क्लॉज डाला है कि वह व्यक्ति जो रेत खदान के लिए आवेदन देगा, वह छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, कोई बाहर का आदमी आकर रेत खदान नहीं चलायेगा। आपके समय में बाहर के लोग आकर के शराब की भट्ठी चलाते थे, उस प्रकार से नहीं हो रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ध्यानाकर्षण की चर्चा में रेत खदान सी.एम.डी.सी. के माध्यम से चलाने की घोषणा की थी और जब स्वयं रेत नीति बनाये तो उससे पलट गये।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न पूछिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप पहले तो यह बता दीजिए कि आपने घोषणा की और अपने घोषणा के विपरित जाकर, आपने इसको खनिज विभाग से क्यों आमंत्रित किया? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि 247 खदानों हेतु रेत निविदा आमंत्रित की गई और 143 खोली गई तो शेष को क्यों नहीं खोले? कब खोलेगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कितने सवाल एक साथ करते हैं। एक बार में एक ही सवाल तो आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- हां।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहला तो यह बता दीजिए कि सदन में घोषणा करने के बाद आप रेत नीति में पलट क्यों गये? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें मैंने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दिया है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सी.एम.डी.सी. के चेयरमेन पहले कौन थे? माननीय शिवरतन जी थे। मुझे यह नहीं पता था कि इनके विभाग में कोई कर्मचारी ही नहीं है। केवल ये अध्यक्ष हैं और 2-4 और हैं, लेकिन ये जो रेत खनन के संचालन के बारे में है जब समीक्षा हुई और फिर ये बात केबिनेट में आयी कि इतने बड़े अमले की आवश्यकता पड़ेगी और ये केवल सी.एम.डी.सी. से नहीं हो सकता। इसलिए कैबिनेट ने डिसिजन लिया कि इसे विभाग के तौर पर कराया जाये। दूसरी बात जो आपने सवाल किया कि 183 किये, बचत क्यों नहीं किये? वह वनांचल जो क्षेत्र है जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां चूंकि पेशा कानून का पालन नहीं हुआ था इसलिए वह टेण्डर खोलने के पहले ही उसको निरस्त कर दिया गया और फिर से आवेदन मंगाये गये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। अगर सदन में कोई घोषणा की गई है और उसमें अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको उसकी घोषणा सदन में ही करना चाहिए, उसका कैबिनेट निर्णय नहीं कर सकता। सदन की घोषणा सदन में होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पहले कार्यकर्त्ता रहे हो, आपको पता नहीं है?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने विभाग का उत्तर तो दे नहीं सकते। बीच में टांय-टांय करते हो और अपने विभाग का उत्तर देने के लिए दूसरे के सलाह की आवश्यकता पड़ती है।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात नोट करें। ये ठीक बात नहीं है। माननीय शिवरतन जी कितनी गलत बात कर रहे हैं। आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ। इनके उत्तर के लिए तो संसदीय कार्य मंत्री जी को खड़ा होना पड़ा और ये चुपचाप बैठे रहे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- माननीय मंत्री जी सही जवाब देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से रेत, अवैध उत्खनन और गैंगवार की बात आयी। निश्चित रूप से ये प्रदेश में चिंता का विषय है कि बालोद में गोलियां भी चल गईं, जगह-जगह लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये जानना चाहता हूँ कि यह जो खदान के बाद में इसमें कोई भण्डारण का नियम है क्या ? दूसरे जगह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लेकर, डम्प करते हैं, भण्डारण करते हैं ? और क्या भण्डारण का लाईसेंस दिया जाता है ? और लाईसेंस देने के बाद में आज 4 गुना रेट में जो वृद्धि हो रही है, वह खदान के कारण नहीं है, वह भण्डारण के कारण है। एक तो यह कि उसके नियम, शर्तें क्या हैं ? और दूसरी बात जो बिलासपुर में घटना घटी। माननीय शैलेष पाण्डे जी भी बैठे है, अनुराग साहू की बहुत दुखदपूर्ण घटना है। खदान में गढ्ढे के कारण में उनकी मृत्यु हुई है, इस विभाग के अंतर्गत ही क्या उनको कोई क्षतिपूर्ति की राशि देने की मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भंडारण के प्रावधान हैं, दूसरी बात यह है कि इसके पहले पंचायत के माध्यम से हो जाता था, उसके बाद जो भी रायल्टी पटाता था, उसके बाद अंधाधुंध खुदाई हो जाती थी, इस सब को ध्यान में रखते हुए ही शासन ने ये फैसला किया है और एन.जी.टी. के नियमों का कड़ाई से पालन भी कर रहे हैं ताकि नदी में जो रेत है, वह बनी रहे। बहुत सारी नदियां हैं बिल्कुल खाली हो गई हैं। आज अरपा सूख रही है, उसका कारण यही है। उसी प्रकार से और भी नदियां हैं रेत से खाली होने के कारण बहाव बंद हो गया है। इसलिए एन.जी.टी. के नियमों का हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं और नेता जी भंडारण के प्रावधान हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं अनुराग साहू के बारे में बोला।

श्री भूपेश बघेल :- जो आपने कहा है, उसको मैं दिखवा लेता हूं। मेरे संज्ञान में जैसे आयेगा, उसको क्या है, मैं देख लेता हूं।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि लोडिंग का एक अधिकतम रेट निर्धारित किया जायेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या यह रेट पूरे प्रदेश के लिए एक होगा या जिले में अलग-अलग होगा ? अगर होगा तो क्या रेट होगा ? यह पारदर्शिता से पता चले कि रेट क्या होगा, जो रेत लेने जाये, वह कम से कम बता सके कि ये रेट है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सदस्य जी, जिले में अलग-अलग होंगे।

श्री सौरभ सिंह :- उसको एक बार प्रसारित किया जाये।

श्री भूपेश बघेल :- इसीलिए जिले में जो रेट तय किया गया है, रिवर्स बीडिंग में किये हैं कि कहीं पर 100 रुपये है, 105 रुपये है, 109 रुपये है, वह सब इसी अंतर के कारण से आया है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपने स्थगन दिया है, हॉ या ना में जवाब दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजैपुर) :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि जांजगीर-चांपा जिला में 14 खदान है जो अभी ठेके पर दे दिया गया है, कार्य कर रहे हैं। जांजगीर-चांपा जिला नदियों से भरा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हुआ है और बहुत सारी रेत खदान पूर्व में प्रचलित थी। पहला तो मेरा यह निवेदन है कि 14 के अलावा बाकी खदान को भी टेन्डर कर दें, ठेके पर दे दें ताकि लोगों को आसानी से रेत उपलब्ध हो जाये। दूसरी चीज ये है कि आप जो 14 खदान दिये हैं, अनुबंध के आधार पर क्या उन ठेकेदारों को सीमांकन करके आपने जगह निर्धारित की है? जनप्रतिनिधि और गांव वालों के बीच में जगह निर्धारित किया है? ये केवल वहीं उत्खनन करेंगे या पूरी नदी में कब्जा करके उत्खनन करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में ही माननीय सदस्यों ने जो सवाल पूछे, उसका जवाब दे दिया है। चन्द्रा जी फिर से वही सवाल को रिपीट कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, माईनिंग प्लान बनेगा, वह माईनिंग प्लान के अनुसार ही उत्खनन कर पायेगा, उसके अतिरिक्त नहीं। आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा कि जांजगीर जिले में अभी 14 खदानें प्रचलित हैं, 22 खदान के लिए बहुत जल्दी यह प्रकियाधीन है, यह जल्दी हो जायेगा तो जो रेट की आप चिंता कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें गिरावट आयेगी।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- श्री रामकुमार यादव। मैं आपको अवसर दे रहा हूं, जो पहले आये हैं, उनको पहले अवसर पाने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो एक स्थगन लगा ही दो, भले सत्तारूढ़ दल के हो, आप बार-बार खड़े होने से बच जाओगे।

श्री रामकुमार यादव :- रहन दे ना, बोलन दे भईया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में रेत के मामले को लेकर गंभीर समस्या आई है कि पूरे प्रदेश में रेत नहीं मिल रही है, मंहगे दर पर मिल रही है। सरकार उसको रेग्यूराईज करने के लिए कार्यवाही कर रही है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि 9 खदानों के लिए 3200 आवेदन आये हैं।

श्री भूपेश बघेल :- उसमें बुरा क्या है भई ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बुरा ये है कि हम आपको ये बता रहे हैं, आप जांच करवा लें कि जो लोग शराब के ठेके में आवेदन देते थे, उन लोगों ने आवेदन दिया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ.शिवकुमार डहरिया) :- वह कौन लोग थे जिसको आप शराब का ठेका देते थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसको देख लें। माफिया राज कायम होगा, दादागिरी कायम होगी, यू.पी. बिहार के लठैत लोगों को काम में लगाया जा रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद दुख हो रहा है, माननीय वरिष्ठ सदस्य

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं, मंत्री रहे हैं, 11 महीने पहले तो सरकार में थे। इन्होंने ठेकेदारी प्रथा बंद की, अब ठेकेदार, ठेकेदार क्यों रट रहे हैं ? अब ठेकेदार ही नहीं रहा, कहां कोई ठेकेदार है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रेत में ठेकेदार आ रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एन.जी.टी. की गाईडलाईन है, उसके हिसाब से कर रहे हैं, पूरे हिन्दुस्तान में पहला राज्य है, जहां रिवर्स बीडिंग हुई है। रेत के रेट में नियंत्रण होगा, दूसरी जगह में 65 हजार, 1-1 लाख रूपये तक की कीमत है । यहां नियंत्रित रहेगा । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, आपको यह बताना चाहिए कि माफिया तैयार नहीं हो, हमारा यही आग्रह है । माफिया तैयार होंगे तो प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद्तर होगी । मैं रायपुर के लिये विशेष रूप से चिंतित हूं, 3200 लोग कहीं नहीं आये । रायपुर में 3200 लोग हैं, मैं जानता हूं कि किन लोगों ने आवेदन किये। वे सब माफिया लोग हैं और इसलिये आपको इसके ऊपर चिंता करनी चाहिए । (व्यवधान) यदि आप इसको हंसी में टाल रहे हैं तो भविष्य में आपको समझ में आयेगा कि कानून व्यवस्था की स्थिति रेत के कारण पैदा होगी इसलिये ऐसे लोग इसमें नहीं आयें उसमें कोई लठैतों को नहीं रखा जाये इस बात की चिंता करनी की आवश्यकता है और अभी भी आपके रेगुलाईज नहीं करने के कारण सरकारी काम भी नहीं हो पा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे हैं और लोगों के मकान नहीं बन पा रहे हैं इसलिये आपको चिंता करनी चाहिए । (व्यवधान)

श्री अजीत जोगी :- रेत को फ्री कर दिया था, फिर कर दो । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूंओं कि कुरूद क्षेत्र में कई वर्षों से गाताडीह, मेघा, राजपुर, नारी में अवैध रूप से जो खदान संचालित हो रही हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या उस ठेकेदार के ऊपर और उस ठेकेदार को जिसने संरक्षण दिया है क्या उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है अवैध खदान और माफिया की इसके बारे में कोई बात ही नहीं आ रही है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- यहां गोलियां चल रही हैं । (व्यवधान) सरकार कुछ कर नहीं रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम सबसे अच्छा चला रहे हैं । (व्यवधान) इस माफिया राज को रोकना पड़ेगा । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शासन का ठीक जवाब नहीं आ रहा है । (व्यवधान) हम मुख्यमंत्री जी के जवाब के विरोध में सदन से बहिर्गमन करते हैं । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:52 बजे

**बहिर्गमन**

**भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में**

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

श्री भूपेश बघेल :- रंछौर जी, मैं जवाब दे रहा हूं । प्रश्न करो ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री बृहस्पत सिंह जी आप अपना सवाल करें ।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो कुरूद क्षेत्र है । जहां हमारे बहुत ही बड़े साथी श्री चंद्राकर जी को जान से मारने की धमकी दी गयी है उस क्षेत्र की बात कर रहा हूं । वहां पर 3-4 खदान हैं । गाड़ाडीह, मेघा, राजपुर, नारी में अवैध रूप से खदान संचालित है, वहां पर अवैध उत्खनन करने वालों का मनोबल काफी बढ़ गया है और बहुत उंची पहुंच रखने वालों का संरक्षण प्राप्त है । माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे संरक्षण देने वालों को, ऐसा अवैध उत्खनन करने वालों के खिलाफ आप कार्यवाही करेंगे ? आप विस्तार से जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- (श्री अजय चंद्राकर, सदस्य के बहिर्गमन कर वापस सदन में आकर बैठने पर) आप तो बहिर्गमन कर चुके थे । आप इस विषय में बहिर्गमन कर चुके हैं । (हंसी) आप ध्यानाकर्षण में बहिर्गमन कर चुके थे । (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं आपके संरक्षण की बात कर रहा हूं । (हंसी)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मैं भी उसका संरक्षण करती हूं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय चंद्राकर जी को जान से मारने की धमकी दी गयी है तो क्या इसलिये जांच करायेंगे ? बहुत गंभीर बात है ।

श्री धनेंद्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मेरा एक निवेदन था कि पर्यावरण विभाग ने बहुत जगह सेमीमैकनाइज्ड पद्धति से रेत उत्खनन करने या भरने की अनुमति दे दी है, ऐसे बहुत सारे रेत खदान हैं जहां पर गांव के मजदूरों की संख्या काफी बड़े पैमाने पर है । जहां मजदूर लोग हैं, जहां मजदूरों से भराई हो सकती है ऐसी जगह मशीन को परमिशन न दी जाये । जहां यदि मजदूर नहीं मिल रहे हैं वहां पर मशीन लगायी जाये । माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे खदानों पर पुनर्विचार करेंगे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन जी ने सवाल किया और उत्तर लिये बिना ही बहिर्गमन कर गये । भगवान कृष्ण का नाम मोहन भी था और रंछौर भी, ये रण छोड़कर भाग गये । (व्यवधान) इस विषय में बहिर्गमन कर चुके हैं । (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति यह है कि जिस विषय पर विपक्ष के सदस्यों ने बहिर्गमन कर लिया है । अब वह विषय चल रहा है, दूसरे सदस्य उठा रहे हैं, ऐसे समय में बहिर्गमन करने वाले सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नहीं पूछ सकते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने बृजमोहन जी को रणछोड़ कहा, वास्तव में रणछोड़ आप हैं । क्योकि आपने घोषणा करने के बाद नीति में परिवर्तन किया ।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन इस प्रश्न में आप भगेड़ू घोषित हो चुके हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- आप तो इस चर्चा में भाग ही नहीं ले सकते हुजूर । आप शांतिपूर्वक बैठे रहिए ।

श्री कवासी लखमा :- या तो बाहर रहना था ।

श्री भूपेश बघेल :- सवाल यह है कि 2006 से लेकर 2019 तक यह किस प्रक्रिया में चला रहे थे । कौन लोग थे जो चलाते थे । सारी शिकायतें आई । ये रेत माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय थे । चाहे कोरिया जिले की बात करें या दूसरे क्षेत्रों की बात करें, हमारी बहुत सारी नदियों को नंगी करके चले गए हैं । बेहिसाब उत्खनन् होता रहा । पहली बार हमने कानून बनाया और एन.जी.टी. के नियमों का हम कड़ाई से पालन करेंगे । हमने माइनिंग प्लान बनाया, इसके पहले माइनिंग प्लान नहीं होता था । अब माइनिंग प्लान होगा और वे चिन्हित होंगे, आप भले ही 850 खदानों की बात करें लेकिन छोटी-बड़ी खदानें मिलाकर 400 से अधिक खदानें कभी संचालित नहीं हुईं । हम लोगों ने 300 खदानों को चिन्हित किया है, 5 हेक्टेयर तक रहेगा । माइनिंग प्लान रहेगा उसके अनुरूप खुदाई होगी । वहां बोर्ड टंगेगा कि क्या-क्या रेट है । यहां गड़बड़ी नहीं होगी । ये लोग जबरदस्ती गैंगवार का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं । बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी (मेजो की थपथपाहट) । दोनों सदस्यों ने जो बात कही है । आप कागज दे दीजिए मैं उसकी जांच करवा लूंगा । माननीय धनेन्द्र साहू जी ने जो बात कही है, मजदूर किस प्रकार से उत्खनन कर रहे हैं, कितनी भराई करते हैं, यह बात आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता । माननीय अजय जी से ज्यादा कोई नहीं जानता । क्योंकि खदानें आपके क्षेत्र में हैं, वे भरते हैं या बैठे रहते हैं, उसके बारे में सबको पता है । इसीलिए सेमीमेक्नाइज्ड किया गया है । अध्यक्ष महोदय, एन.जी.टी. की जो गाइड लाईन है, जहां 10 मीटर से ऊपर है वहां सेमी मेक्नाइज किया जाता है लेकिन जहां कम हो तो उसके बाद मेन्युअल किया जाता है, हम नियमों का पूरा पालन करेंगे और यह सदन को आश्वस्त करता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से पर्टिक्यूलर 4 जगहों का पूछा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज दशहरा के नीलकंठ फिर से आ गए हैं ।

श्री अजीत जोगी :- आप नहीं बोल सकते, आप बहिर्गमन कर चुके हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अमितेश शुक्ल आज विधान सभा में आए हैं। हम उनका अभिनन्दन करते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- दशहरा के नीलकंठ दर्शन देने आए हैं या दर्शन करने आए हैं ।

श्री कवासी लखमा :- इनके विपक्ष के नेता नहीं आए, बृजमोहन जी नहीं आए, केवल दो लोग आकर चिल्ला रहे हैं ।

श्री अजीत जोगी :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं । नियमों में ऐसा संशोधन कर दें कि जिस वाहन से रेत का अवैध परिवहन किया जाए, वह वाहन भी जप्त होगा । जैसा कि फॉरेस्ट में कानून है । अपने आप रेत का अवैध उत्खनन कम हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा सुझाव है ।

श्री अजीत जोगी :- वाहन भी जप्त किया जाए, चाहे वह हाईवा हो, चाहे वह ट्रक हो, उसको भी जप्त करिये ।

श्री भूपेश बघेल :- परिवहन के जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं, उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी ।

श्री अजीत जोगी :- नियम सुधार दीजिए ना, नियम बदल दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय जोगी जी, ऐसे नियम सुधारेंगे तो गांवों में घर बनाने वाले जो ट्रैक्टर से ले जाते हैं, उनका क्या होगा ? उनको भी राजसात करवा देंगे। यह हिटलरशाही फरमान होगा, ऐसा करना उचित नहीं है । यह गांव वालों के साथ अन्याय होगा ।

श्री अजीत जोगी :- उनके लिए तो छूट है, बृहस्पत सिंह जी ।

**(2) खैरागढ़ नगरपालिका परिषद् के अंतर्गत जल आवर्धन योजना में अनियमितता की जाना.**

श्री देवव्रत सिंह (खैरागढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :- संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, रायपुर के अधिकारियों एवं तकनीकी अधिकारी तथा तकनीकी मार्गदर्शक कंपनी मार्स प्लानिंग इंजीनियरिंग सर्विस तथा ठेकेदार के द्वारा मिलीभगत

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

करके खैरागढ़ नगर पालिका परिषद के अंतर्गत जल आवर्धन योजना की राशि रूपए 31.00 करोड़ लागत का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें टंकी निर्माण, पाईप लाइन विस्तार का कार्य किया जाना है एवं छुईखदान स्थित रानी रश्मिदेवी जलाशय (पिपरिया जलाशय) से जल स्त्रोत प्राप्त करके सिंचाई जलाशय से ग्रेविटी पद्धति से पाइप के माध्यम से वर्तमान में 1.67 एम.क्यू.एम. (मिलियन घन मीटर पानी) प्रतिवर्ष बांध से छोड़ने की योजना है तथा वस्तुस्थिति यह है कि कार्ययोजना मंजूर हो गई है, ठेकेदार को कार्यादेश दे दिया गया है। पाईप लाइन का कार्य चालू कर दिया गया है, जबकि जल संसाधन विभाग के अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक जल संसाधन विभाग से न ही एन.ओ.सी./अनापत्ति प्रमाण पत्र किया है और न ही राज्य शासन से इस कार्ययोजना हेतु जल संसाधन विभाग की ओर से कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुई है तथा उतनी अधिक जल क्षमता 1.67 एम.क्यू.एम.(मिलियन घन मीटर पानी) जल 1 वर्ष में प्रदाय किया जाना संभव नहीं है ।

समय :
1:00 बजे

जनमानस में यह जानकारी आने पर जल आवर्धन योजना अधूरी रह जायेगी। नगरीय प्रशासन विभाग अधिकारी एवं ठेकेदार द्वारा मिलीभगत के चलते केवल पाइप लाइन बिछा करके, संभवत: ठेकेदार को पाइप लाइन कार्य का भुगतान प्राप्त कर योजना योजना को ठंडे बस्ते में डाल देगा। इस कार्यायोजना में अधिकारियों एवं ठेकेदार तथा मार्गदर्शी कंपनी 'मार्स' की मिलीभगत के चलते तथा जल संसाधन विभाग के बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के जल निकासी की कार्ययोजना को मंजूर किया जाना राज्य शासन के बजट के पैसे को दुरूपयोग है। खैरागढ़ के लोगों में जल आवर्धन योजना में इतने बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी मिलने पर रोष व्याप्त है तथा जनमानस में इस बात को लेकर भी रोष है कि बिना जल संसाधन विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र के इस कार्ययोजाना में पाइप लाइन बिछाने का कार्य ठेकेदार को कार्य आबंटित किये जाने से आम जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खैरागढ़ नगर की वर्तमान जनसंख्या लगभग 27,443 है। वर्तमान में नगर की जलप्रदाय व्यवस्था नलकूपों पर आधारित है। वर्तमान आबादी के लिए लगभग 4.36 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन आवश्यक है जो नलकूपों के माध्यम से पूर्ति नहीं हो पा रही है। सामान्य दिनों में नगर की जनता को लगभग 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय हो रहा है एवं ग्रीष्म ऋतु में यह मात्रा घटकर लगभग 25 से 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन हो जाती है। नगरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 135 लीटर जलप्रदाय का लक्ष्य निर्धारित है। जनता एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मांग पर वर्ष 2016-17 के बजट में खैरागढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

नगर के लिए जलप्रदाय के सुदृढ़ीकरण का कार्य लिया गया। 08 अगस्त, 2017 को रू. 3314.90 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई तथा 05 अक्टूबर, 2018 को शासन द्वारा अधोसंरचना मद में रू. 3314.90 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई। स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन से वर्ष 2035 में लगभग 39,000 जनसंख्या के लिए 6.19 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल प्रदाय तथा वर्ष 2050 में लगभग 54841 जनसंख्या के लिए 8.71 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल प्रदाय सुनिश्चित होगा।

यह सही है कि मेसर्स मार्स प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा रू. 3135.65 लाख की संशोधित जल आवर्धन योजना तैयार की गई है, जिसकी तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई है, परंतु यह सही नहीं है कि इसमें मात्र टंकी निर्माण एवं पाइप लाइन विस्तार का कार्य किया जाना है, परंतु तथ्य यह है कि इसमें उक्त दोनों कार्य के अतिरिक्त जल संसाधन विभाग द्वारा उनके केनाल में हेड रेग्यूलेटर स्ट्रक्चर के निर्माण, 6.50 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के ट्रीटमेंट प्लांट, अहाता निर्माण एवं शुद्ध जल पम्पिंग मशीनरी का भी प्रावधान है। यह सही है कि योजना हेतु रानी रश्मि देवी जलाशय (पिपरिया जलाशय) को स्रोत के रूप में लिया गया है, परंतु यह सही नहीं है कि जल संसाधन विभाग से एन.ओ.सी. नहीं ली गई है तथा 1.67 मिलियन घन मीटर पानी प्रतिवर्ष दिया जाना संभव नहीं है, बल्कि तथ्य यह है कि कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान, जिला-राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 2935 दिनांक 18/07/2019 द्वारा नगर पालिका खैरागढ़ को अवगत कराया गया है कि "पिपरिया जलाशय की कुल उपयोगी जल भराव क्षमता 40.56 मिलियन घन मीटर है, जिसमें वाष्पीकरण, खरीफ एवं रबी फसल तथा ग्रीष्मकाल में निस्तार हेतु तालाबों को भरने के लिए आवश्यक जल के पश्चात् 4.70 मिलियन घन मीटर जल शेष बचता है, जिसमें से नगर पालिका खैरागढ़ को पेयजल हेतु वर्ष 2050 की आवश्यकता के अनुसार 3.337 मिलियन घन मीटर जल दिया जा सकता है।"

यह कथन कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारी एवं ठेकेदारों द्वारा मिलीभगत के चलते केवल पाइप लाइन बिछाने के बाद संभवत: ठेकेदार को पाइप लाइन कार्य का भुगतान कर योजना को ठण्डे बस्ते में डाल देना भी तथ्य से परे है। जनहित में प्रश्नाधीन योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। चूंकि रानी रश्मि देवी जलाशय (पिपरिया जलाशय) में खैरागढ़ जल आवर्धन योजना हेतु पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है एवं कार्य जनहित का है तथा योजना का कार्य प्रारंभ किया गया है। अत: जनता में कोई रोष एवं आक्रोश व्याप्त नहीं है।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब से जो बातें उद्भुत हुई हैं, उसमें मेरी मुख्य भावना यह है कि चूंकि यह योजना 2016 में प्रारंभ हुई, 2017 में टी0एस0 और 2018 में इसका टेण्डर हुआ तथा अभी इसका कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मंत्री जी से केवल यह कहना चाहूंगा कि योजना को प्रारंभ लगभग 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने स्पष्ट जवाब में लिखा है कि जब तक नगरीय प्रशासन मंत्रालय द्वारा मेन केनाल में क्रास रेगुलेटर बनाने के लिए लगभग ढाई करोड़ रूपये, वहां पर एनीकट बनाने के लिए लगभग साढ़े छः करोड़ रूपये, किसानों को जो मुआवजा दिया जाना है, जहां से इनटेकवेल की नाली जानी है, उस पर लगभग ढाई करोड़ रूपये की राशि जानी है। कुल मिलाकर 11 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान जल संसाधन विभाग के बजट में होगा। राज्य के जल संसाधन विभाग की जो जल उपयोगिता समिति है, उसमें अन्तर विभागीय बैठक के बाद उतना जल हस्तान्तरण का निर्णय जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं होगा, तब तक हम किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार पानी का वितरण नहीं कर सकते हैं। कार्यपालन यंत्री ने यह स्पष्ट कहा है, मुझे जवाब में कहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि चूंकि योजना पिछली सरकार ने 4 वर्ष पूर्व बनाई थी, तब भी प्रावधान नहीं हुआ था। पाईप लाईन का काम दो महीने में समाप्त हो जायेगा। अगर आज प्रावधान नहीं होगा तो उसके बाद योजना ठंडे बस्ते में चली जायेगी। तो मेरा निवेदन है, मैं आपसे प्रश्न के माध्यम से केवल यह आश्वासन चाहता हूँ कि आप माननीय जल संसाधन मंत्री जी से निवेदन करके जल संसाधन विभाग के अंदर लगभग साढ़े ग्यारह करोड़ रूपये का बजट ट्रांसफर करवा दें। जब जल संसाधन विभाग पूर्ण से अनुमति देगा तभी यह योजना सफल हो पायेगी। मैं केवल यह आश्वासन चाहता हूँ और मेरी भावना केवल यही है कि जल संसाधन विभाग को बजट ट्रांसफर करके एनीकट और रगुलेटर बनाया जाये। साथ ही मुआवजा का प्रावधान किया जाये, उसके बाद ही वहां से जल स्त्रोत मिल पायेगा। तो मैं सदन में आपसे केवल यह आश्वासन चाहता हूँ कि इस पर कार्यवाही और बजट प्रावधान किया जाये।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले से, आलरेडी एनीकट बना हुआ है। जल संसाधन विभाग से भी चर्चा हुई है, वहां से पानी मिलेगा। पानी मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। माननीय सदस्य की चिंता है कि पानी नहीं मिलेगा। तो मैं आश्वासन देता हूँ कि उनको पानी जरूर मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं अलग से राशि देने की व्यवस्था नहीं है। जो हमारा प्रावधान है, उसमें ही हो जायेगा। अगर जरूरत पड़ेगी, माननीय सदस्य बतायेंगे, अगर कहीं कोई काम करना है तो उसको दिखवा लेंगे, उसको करवा देंगे।

श्री देवव्रत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल यह चाहता हूँ कि बजट में इसकी राशि मिल जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**(3) बिलासपुर शहर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होना।**

श्री शैलेश पाण्डे (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यान आकर्षण सूचना इस प्रकार है :-

बिलासपुर शहर में दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या बनी हुई है। अब भी पेयजल की पाईप लाईन नालियों के अंदर से होकर गुजर रही है, जिससे पीलिया, डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जल आवर्द्धन योजना का हस्तान्तरण नगर निगम को अब तक नहीं किया गया है, जिससे महत्वपूर्ण जल आपूर्ति योजना दो विभागों नगर निगम और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बीच में फंसकर रह गई है, जिसका नुकसान शहर की जनता को हो रहा है। गत वर्ष बिलासपुर में गंभीर पेयजल संकट आया था। आगामी वर्ष भी गंभीर संकट आ सकता है इसके लिए पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता है। दूषित पेयजल की समस्या का समाधान करने और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित न किए जाने से शहर की जनता में असंतोष व्याप्त है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, यह सही नहीं है कि बिलासपुर शहर में दूषित पेयजल सप्लाई की समस्या बनी हुई है। बिलासपुर शहर में पेयजल व्यवस्था उच्च स्तरीय जलागारों की वितरण पाईप लाईन एवं नलकूपों पर स्थापित पावर पंपों से सीधी जल प्रदाय पाईप लाईन की संयुक्त प्रणाली के द्वारा किया जा रहा है। शहर की प्रथम व्यवस्थित पेयजल प्रणाली 1960 के दशक की है, जिसका आवर्द्धन समय-समय पर सी0आई0, ए0सी0, जी0आई0 एवं डी0आई0 पाईपों को बिछाकर तथा नवीन जलागारों का निर्माण कर लिया गया है।

यह भी सही नहीं है कि पेयजल की पाईप लाईन नालियों के अंदर से होकर गुजर रही है, जिससे नालियों का पानी घरों तक पहुंच जा रहा है, जिससे पीलिया, डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैल रही है। बिलासपुर शहर में नगर निगम के द्वारा सभी वार्डों में विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियां निरन्तर प्रगति पर है। जिसके अन्तर्गत सड़कों की खुदाई व भारी मशीनों से कार्य होने पर पाईप लाईन क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गंदे पानी की शिकायत आती है, जिसका त्वरित निवारण सूचना प्राप्त होने पर किया जाता है। इस कैलेण्डर वर्ष में माह अक्टूबर तक नगर निगम द्वारा 50, 80 एवं 100 मि0मी0 व्यास की लगभग 937 मीटर खराब/क्षतिग्रस्त पाईपों को बदलने का कार्य किया गया है। नगर पालिक निगम बिलासपुर को इस कैलेण्डर वर्ष में जल जनित व्यापक संक्रमण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

यह सही है कि पी.एच.ई. विभाग की जल आवर्धन योजना का हस्तांतरण नगर निगम को अब तक नहीं किया गया है । वस्तुत: स्थिति यह है कि विभाग द्वारा बिलासपुर शहर की जल आवर्धन योजना का समस्त कार्य पूर्ण कर योजना का परीक्षण कार्य मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिया गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वर्तमान में हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । नगर पालिक निगम द्वारा समस्त योजना के भौतिक आधिपत्य दिनांक 01.04.2018 से लिया जाकर वर्तमान तक संचालन/संधारण का कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा है ।

यह सही नहीं है कि गत वर्ष बिलासपुर में गंभीर पेयजल संकट आया था। बिलासपुर शहर की पेयजल व्यवस्था वर्तमान में नलकूपों पर आधारित है। कम गहराई के कुछ नलकूपों का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण कुछ क्षेत्रों में पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी । भविष्य की पेयजल आपूर्ति को सुगम बनाने हेतु खूंटाघाट जलाशय के सतही स्त्रोत पर आधारित आवर्धन योजना लागत रू. 30159.76 लाख की अमृत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत योजना का कार्य प्रगतिरत है, जिसे अप्रैल 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

जल प्रदाय की कार्यों की पर्याप्त निगरानी एवं पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है । बिलासपुर शहर की जनता में पेयजल व्यवस्था हेतु असंतोष व्याप्त नहीं है ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री को इसका जवाब देना पड़ रहा है । माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं । विभाग यहां पर बिल्कुल गलत और झूठ बोल रहा है । बिलासपुर में जब से हमारी सरकार आई है, 1 जनवरी से अक्टूबर तक 10 महीने का उल्टी, दस्त, डायरिया, पीलिया से संबंधित डेटा है, यह बिलासपुर जिला अस्पताल की रिपोर्ट है, मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाना चाहता हूं । जिला अस्पताल में जनवरी में 41 मरीज, फरवरी में 51 मरीज, मार्च में 81 मरीज, अप्रैल में 79, मई-जून-जुलाई जो सबसे खतरनाक होता है, उसमें क्रमश: 152, 185 और 157 मरीज थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, झूठ बोलने का आरोप हमने नहीं, आपकी पार्टी के विधायक ने लगाया है । हम लोग उसके समर्थन में हैं । आपकी पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया है, ध्यान रखिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- किस पर लगाया है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके ऊपर ।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, नहीं ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- आपके पुराने अधिकारी के ऊपर लगाया है, जिससे आप काम करवाते हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर लगाया है, आप रिकार्ड निकालकर देख लीजिए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- प्रश्न पूरा आ जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- यह ह विभाग ऊपर हे, व्यवस्था ला सुधारे मा समय लागथे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप लोग ऐसा मत बोलो, ले-देकर तो पहली बार कोई बोला है कि झूठ बोल रहे हो । बाकी तो बेचारे डर में रहते हैं, थोड़ा सा बोलने दो। बोलिए, बोलिए । आप बढ़िया बोल रहे हैं ।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 10 महीने में जिला अस्पताल में उल्टी, दस्त, डायरिया, पीलिया के 967 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं और विभाग का उत्तर आया है, जो अभी माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि बिलासपुर के अधिकारी, जिसने यह जवाब बनाया है, उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि सदन को गलत जानकारी दी गई है, पहली चीज । दूसरी चीज, मैं कहना चाहता हूं कि एक साल पूर्व हाईकोर्ट का निर्णय अखबारों में आया था कि ऐसे विभाग को बंद कर देना चाहिए, जो विभाग दूषित पेयजल पिलाता है। तीसरी बात यह है कि बिलासपुर से 8 करोड़ लीटर पानी निकाला जाता है और वह गंदे पानी के रूप में अरपा में रोज-रोज डाला जाता है और वही गंदा पानी बिलासपुर में नीचे जल में आता है, वही बोर में जाता है, वही गंदा पानी लोगों के पास जाता है, लोग बीमार होते रहते हैं । यह सच्चाई है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न को खोज लीजिए कि कहां पर है ?

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला प्रश्न यही है कि मैं इस प्रकार से सदन को गुमराह करने के लिए जो गलत जवाब बनाकर दिया गया है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए । दूसरी बात यह है कि जल आवर्धन योजना 100 करोड़ की योजना थी, इसका डी.पी.आर. बना था, जो 30 वर्षों के लिए लागू किया गया था । 2011-12 में यह जल आवर्धन योजना 100 करोड़ की थी, जिसमें 16 पानी की टंकियां बिलासपुर में बनाई गई, जिससे बिलासपुर के लिए जल आपूर्ति की जानी थी, लेकिन आज 8 साल हो गए हैं, 8 साल में भी एक भी जल आवर्धन योजना की टंकियां नगर-निगम को हस्तांतरित नहीं की गई, जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिला । ये कैसे परियोजना बनाई गई है, जिसमें 100 करोड़ रूपए का भ्रष्टाचार किया गया है ? मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से यह विनती करता हूँ कि आठ साल हो गये हैं, सौ करोड़ बहुत बड़ी वेल्यू होती है, बिलासपुर की जनता को पानी तक नसीब नहीं हुआ, आज तक नगर निगम को ड्राइंग, डिजाईन, भी हैण्डओव्हर नहीं किया गया । कहां पर वाल्व है, कहां पर ज्वाईंट है, कहां पर पाईपलाईन का नेटवर्क है ? किसी को पता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप शार्ट करिये ।

श्री शैलेष पाण्डे :- मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें विधान सभा की समिति द्वारा इसकी जांच होनी चाहिये, तभी बिलासपुर की जनता को न्याय मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । माननीय मंत्री जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, मामला तो गंभीर है । दो-तीन बातें उत्तर में हमने जो कहा, वहां जो सिवरेज लाईन का काम जो चल रहा है, क्यों चल रहा है, किसके संरक्षण में चल रहा है ? यह राजनीतिक बातें हो जायेंगी, आप बहुत खुश हो रहे थे ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं खुश नहीं हो रहा हूँ । सदस्य ने पूरे भाषण के बाद एक ही प्रश्न किया है कि क्या सदन की जांच समिति से जांच करायेंगे ? आपके पार्टी के सदस्यों को जांच कराने की घोषणा कर दीजिए । सारा सच सामने आ जायेगा । अगर कुछ हो रहा है तो 11 महीने में आप क्या कर रहे हो ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवरेज की बात है तो सिवरेज में तो 11 महीने में कुछ हुआ नहीं है। न 11 महीना में स्काईअप में कुछ हुआ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके पार्टी के सदस्य ने बात की है, आप घोषणा कीजिए । हम लोग आपकी घोषणा का स्वागत करेंगे ।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह ठाकुर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हैण्डओव्हर वाली बात जब मैं पार्षद थी, तब से लंबित है । मैं भी माननीय शैलेष जी का समर्थन करूंगी कि हैण्डओव्हर की प्रक्रिया अतिशीघ्र की जाये । ये निर्देश किया जा सकता है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी...।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मेरे ही क्षेत्र का है तो एक मिनट ।

अध्यक्ष महोदय :- बिलासपुर कैसे आपका क्षेत्र हो गया ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर के एक लाख मतदाता हैं और जो अभी वृहत नगर निगम हुआ है, आधा विधान सभा मेरा है । इसमें माननीय सदस्य शैलेष जी ने जो विषय उठाया है, वास्तव में बिलासपुर के राजकिशोर नगर, 22 हजार मतदाता वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है । वहां जो चंदन आवास, तुलसी आवास कालोनियां हैं, वहां पाईप लाईन पुरानी है, उसके कारण वहां का पानी गंदा आ रहा है। पूरे क्षेत्र में कई ऐसे स्थान है, जहां पानी खराब आ रहा है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं । माननीयमंत्री जी भी बैठे हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री जी भी बैठे हैं, दूसरी बात दो मिनट और ...।

अध्यक्ष महोदय :- कह दीजिए ना कि इस मामले में मैं उनके साथ हूँ ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- जी ।

अध्यक्ष महोदय :- इस मामले में उनके साथ हूँ ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- उनके साथ-साथ मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि हैण्डओव्हर नगरीय प्रशासन करे या पी.एच.ई. करे, दोनों में से कोई जल्दी इसका निराकरण करे । गर्मी के दिनों में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पूरे बिलासपुर में बहुत ज्यादा पेयजल का संकट था । दूसरा, अमृत मिशन का जो चल रहा है, माननीय धर्मजीत भईया ने यह विषय उठाया था कि हमारा पहला जो पार्ट है, अहिरन नदी जो कटघोरा से है, उसका खूंटाघाट में पानी लाना, वह पार्ट 1 और अमृत मिशन का काम हो गया है । इरिगेशन विभाग और नगरीय निकाय के पास जो एम.ओ.यू. है, उसमें साफ-साफ यह लिखा है कि पहले अहिरन नदी का पानी खूंटाघाट में आयेगा । उसके बाद फिर जलप्रदाय बिलासपुर नगर निगम को होगा । पहला पार्ट में कुछ काम नहीं हुआ है, दूसरे पार्ट में लगभग 75 परशेंट का काम हो चुका है । इसलिए मेरा आग्रह है कि अहिरन नदी वाला जो भाग है, माननीय मंत्री जी उसको भी करेंगे । अमृत मिशन का काम पूर्ण हो जायेगा तो बिलासपुर को जलआपूर्ति में बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय :-आपने जो प्रश्न किया है, आपका जवाब बहुत ही संक्षिप्त में आ जाये, यही मेरा निवेदन है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- जितना प्रश्न आया है, उसका संक्षिप्त में जवाब दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सारी चर्चा हुई, स्वास्थ्य विभाग के बारे में, स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं । स्थानीय नगरीय निकाय अरबन डेवलपमेंट के बारे में माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं । सदन की भी चिन्ता है, आपकी भी चिन्ता है...।

अध्यक्ष महोदय :- मैं एक प्रश्न पूछता हूँ । देवव्रत जी का जो जल आवर्धन एवं जल संवर्धन वाली जो बात है, उसका जवाब वह दे रहे थे, यहां की जो जल की बात है, उसका भी जवाब आप दे रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे:- यही एक विडम्बना है अध्यक्ष जी, कुछ योजनायें पी.एच.ई. कर रही है, कुछ योजनायें अरबन बॉडीस करती है । अरबन बॉडीस खैरागढ़ का कर रहे हैं, उसका उत्तर अरबन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से आया है । यह योजना पी.एच.ई. से संचालित हो रहा था । शुरूआत हो रहा था । इसलिए इसका उत्तर पी.एच.ई. से आया है ।

अध्यक्ष महोदय:- एकीकरण के बारे में बात करिये । उल्टे-उल्टे देने से गड़बड़ हो जायेगा ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में चर्चा हुई है । उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय का काम है, पी.एच.ई. है, उसको नगरीय निकाय में दिया जायेगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 15 साल तक तो यही गड़बड़ करते रहे । 15 साल जो गड़बड़ किये, उसको ....।

श्री शिवरतन शर्मा :- 11 महीनों में आप क्या किये, यह तो बता दो ? बार-बार 15 साल रटते हो, 11 महीने का हिसाब बताओ ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले :- यह हड़बड़ में है । गड़बड़ की बात नहीं है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- ये ममा, तें बईठ तो।

अध्यक्ष जी, सच्चाई है कि 2006 में 42 करोड़ और वर्ष 2007 में पुनरीक्षित करके लगभग 80 करोड़ रूपये की यह योजना थी। 16 टंकियों का निर्माण किया जा चुका है लेकिन अभी तक एक भी टंकी में पानी नहीं पहुंच पा रहा है यह भी सच्चाई है। उससे 11-12 साल कोई लाभ बिलासपुर को नहीं मिला ये भी सच्चाई है और इतनी बड़ी वॉटरसप्लाई की स्कीम को ट्यूबवेल बेस बनाया गया तो मैं समझता हूं कि प्रायमाफेसी यहीं से गलती की शुरूआत हो रही है लेकिन मिशन अमृत के बारे में आप सब लोगों ने कहा कि अहिरन-खारून से लाकर के करें तो इसकी व्यवस्था बहुत जल्दी ही कर रहे हैं। आपके कल के विधानसभा प्रश्न में हसदेव में दो बड़े बैराज बनाने की भी हमने घोषणा की है लेकिन इस पूरी विधानसभा के माननीय सदस्यों की जिस तरीके से भावना आई, इसका एस्टीमेट बनाने और शुरूआत करने से लेकर ज्यादा दिन तक जो वहां कार्यपालन यंत्री रहे हैं, संजीव बृजपुरिया उनको आज मैं निलंबित करता हूं और अपने पी.एच.ई. विभाग के ई.एन.सी. से इसकी तत्काल जांच करने का मैं निर्देश करता हूं। (मेजों की थपथपाहट) आने वाले समय में उससे भी कोई संतुष्टि या कार्यवाही नहीं होगी तो जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं हम लोग उस तरीके से भी करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता बिलासपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना है और उस दिशा में पहल होनी चाहिए।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे अधिकारीगण जो वर्षों से पी.एच.ई. विभाग में वहां जमे हुए हैं वह ही इस प्रकार की गड़बड़ियों के लिए जवाबदार हैं। मैं उनके विरूद्ध कार्यवाही का निवेदन करती हूं क्योंकि वह वर्षों से वहां पर जमे हुए हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कहा न कि जितने भी अधिकारी उसमें सम्मिलित हैं, इस कार्य को लगातार लंबित करने में, विलंब कराने में सबके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है, शुरूआत अभी एक निलंबन से हुई है मैं विभाग के ई.एन.सी. से इसकी जांच कराऊंगा और उसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न बच गया। माननीय मंत्री जी, जो 8 करोड़ लीटर पानी रोज निकल रहा है इसके लिए हमको नाला बनाने की जरूरत है क्योंकि वह अरपा में भेजा जा रहा है और अरपा को गंदा किया जा रहा है। वह पानी फिर नीचे जाता है जो चार्जिंग में पहुंच जाता है और फिर से बोर में गंदा पानी आता है। उसी से तो बीमारियां हो रही हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उस नाले के पानी को आप कहां डायवर्ट करेंगे? मैं भी इसमें पूछना चाहता हूं, मैं भी बिलासपुर जाता रहता हूं वह जो पानी नाले से भेजेंगे उसको कहां डायवर्ट करेंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पानी का प्यूरीफिकेशन किया जाना है, जो कि वहां पर एस.टी.पी. बनाया गया है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सदस्य बेहद समझदार भी हैं एवं बुद्धिमान भी हैं। अध्यक्ष जी, तैयारी है। दो बैराज कल हमने जल संसाधन विभाग से स्वीकृत किया है और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) बनाकर हम जितना पानी साफ कर पायेंगे हम उसमें बहायेंगे और जो नहीं हो पायेगा उसके लिए व्यवस्था की जायेगी। पी.एच.ई. और हम सब मिलकर काम करेंगे और आखिरी बात आपने कही कि माननीय महाराज साहब को हमने कह दिया है कि पिछले साल जितनी बीमारी हुई, आपने अभी 900-900 का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि इतना तो नहीं होगा और यदि होगा तो माननीय महाराज साहब देखेंगे, स्वास्थ्य विभाग देखेगा।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जिला अस्पताल का पत्र है। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, मंत्री जी को भी धन्यवाद।

**(4) प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या में वृद्धि**

श्री धनेन्द्र साहू (अभनपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है : छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रति वर्ष कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा कैंसर से पीड़ित लोगों की मौतें भी काफी बड़ी संख्या में हो रही हैं। प्रदेश के एकमात्र शासकीय कैंसर अस्पताल रायपुर में इस वर्ष हजारों की संख्या में लोग ईलाज कराने भर्ती हुए हैं। उनमें से हजारों लोगों की मौत इस वर्ष हुई है। कैंसर पीड़ित मरीजों में सर्वाधिक मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या अधिक है तथा चिकित्सकों के अनुसार मुंह में कैंसर होने का प्रमुख कारण बीड़ी, सिगरेट, जर्दायुक्त गुटका, तंबाखू एवं पान मसाले का उपयोग करना बताया जाता है। प्रदेश शासन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में जर्दायुक्त गुटका के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, परंतु प्रदेश के सारे गांव, कस्बे एवं शहरों में खुलेआम प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटका की बिक्री हो रही है। कैंसर की बीमारी के प्रमुख कारण इन तम्बाखू युक्त उत्पादों को शासन द्वारा बंद नहीं किया जाना है इस कारण कैंसर से हो रही मौतों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसकी रोकथाम करने हेतु शासन द्वारा समुचित रूप से प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे आम जनता में शासन के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- यह सही है कि कैंसर मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रदेश के एक मात्र क्षेत्रीय कैंसर संस्थान, रायपुर के सांख्यिकी पर गौर करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कैंसर के मरीजों की संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। संस्थान में विगत वर्षों में उपचार हेतु उपस्थित मरीजों की संख्या का अवलोकन निम्न तालिका से किया जा सकता है :-

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

| क्र. | वर्ष | कुल कैंसर मरीजों की संख्या | मुख कैंसर मरीजों की संख्या | कैंसर से कुल मौत | मुख कैंसर से कुल मौत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 51102 | 994 | 541 | 162 |
| 2 | 2018 | 62369 | 1136 | 722 | 217 |
| 3 | 2019 (15 नवंबर की स्थिति में) | 53355 | 517 | 715 | 214 |

आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि यह संख्या चिंताजनक है, अन्य कैंसरों की तुलना में अकेले मुख कैंसर की संख्या तथा उससे होने वाले मौत अधिक है।

राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के कैंसर की प्रिव्हलेन्स 70 प्रति लाख आबादी आंकी गई है। इस आंकड़े के आधार पर प्रदेश में कुल 21 हजार कैंसर पीड़ित प्रतिवर्ष होने चाहिए, परन्तु क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में अन्य राज्यों में भी आये मरीजों की आंकड़ा के कारण यह संख्या राष्ट्रीय मानक से अधिक परिलक्षित हो रहा है। आंकड़ों से यह निर्विवाद सत्य है कि कैंसर पीड़ितों में मुख कैंसर पीड़ितों की संख्या अन्य कैंसरों की तुलना से अधिक है।

यह सही है कि, मुंह में कैंसर होने का प्रमुख कारण बीड़ी, सिगरेट, जर्दायुक्त गुटका, तम्बाखू, पान मसाला तथा गुड़ाखु का सेवन है। शासन द्वारा प्रदेश में जर्दायुक्त गुटका के बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है इसके बावजूद प्रदेश के अधिकांश गांव कस्बे एवं शहरों में प्रतिबंधित जर्दायुक्त गुटका की बिक्री हो रही है। जैसा कि, पूर्व में ही कहा गया है कि ये सब वस्तुएं मुख कैंसर के प्रमुख कारण हैं, परन्तु यह कहना सही नहीं हैं कि शासन द्वारा जर्दायुक्त गुटका के उत्पादन को बंद नहीं किया जा रहा है अपितु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (विक्रय प्रतिषेध और निर्बन्धन), 2011 की कंडिका 2.3.4 में किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पाद में संघटकों के रूप में तम्बाखू और निकोटिन का उपयोग वर्जित किया गया है तथा जर्दायुक्त गुटका के विनिर्माण, भंडारण एवं विक्रय देश एवं प्रदेश में प्रतिबंधित है। राज्य शासन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश में जर्दायुक्त गुटखा के विनिर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर सतत् निगरानी रखी जा रही है तथा समय-समय पर इनके नमूने भी संकलित किये गये हैं।

वर्ष 2015-16 में 18 नमूने, 2016-17 में 40 नमूने, 2017-18 में 7 नमूने और 2018-19 में 8 नमूने, 2019-20 का 7 नमूने संकलित किये जा चुके हैं। इस प्रकार विगत 5 वर्षों में 80 नमूने लिये गये तथा कईयों के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिसमें से 4 प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदंड

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी रोपित की गई है, जबकि 64 प्रकरण अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा 12 प्रकरणों की विवेचना की जा रही है। इस प्रकार जर्दायुक्त गुटका, तम्बाखू इत्यादि की रोकथाम के लिये शासन सतत् प्रयास कर रहा है। राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी रायपुर में की गई है, जहां ऐसे प्राप्त नमूनों की त्वरित जांच की जाती है। असुरक्षित पाये जाने पर विवेचना कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया जाता है। इसके अतिरिक्त जन सामान्य को इस संबंध में शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिसके लिये हेल्प लाईन नंबर 93405-97097 सुनिश्चित किया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत् निरंतर कार्यवाही कर रही है।

वैधानिक प्रतिरोधात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तम्बाखू सेवन के विरूद्ध जन चेतना फैलाने के लिये व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तम्बाखू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में जर्दायुक्त गुटका के सेवन के विरूद्ध जागरूकता फैलाने के लिये तम्बाखू नशा मुक्ति केन्द्र (टी.सी.सी.) खोलकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा गुटका छोड़ने के लिये प्रेरित किया जा रहा है। इतना ही नहीं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एन.आर.टी.) जैसे भेषज निदान का भी लाभ मरीजों को दिया जा रहा है।

इस प्रकार यह कहना उचित नहीं है कि, प्रशासन तम्बाखू जर्दायुक्त गुटका आदि के विक्रय के रोकथाम के प्रति उदासीन है अपितु राज्य शासन निरंतर रोकथाम तथा वैधानिक प्रतिबन्धत्मक क्रिया-कलापों के साथ-साथ जन चेतना से रोकथाम के उपाय भी किये जा रहे हैं। जनता में इस कार्यक्रम के प्रति रूचि दर्शायी जा रही तथा कोई आक्रोश परिलक्षित नहीं है।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से व्यापक उत्तर आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं...।

**<u>सदन को सूचना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यसूची के पद 6 (3) तक का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूँ सदन सहमत है।

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)**

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वह आंकड़े भी बताये हैं कि जिसमें ये तम्बाखू युक्त उत्पादन, भण्डारण और बिक्री पर जांच गई है, कार्यवाही की गई है और कार्यवाही प्रचलन में भी है, लेकिन फिर भी आज पूरे प्रदेश के हर जगह जितने बड़े पैमाने पर ये तम्बाखूयुक्त उत्पाद की बिक्री हो रही है तो उसके पैमाने में जो कार्यवाही हुई है, जो नमूने लिये गये हैं वह काफी कम है इसमें और यदि अधिक संख्या में इस पर बढ़ाया जाए, दबाव बनाया जाये, अधिक से अधिक जांच की जाये और अधिक से अधिक सैम्पल लिये जाएं और अधिक से अधिक कार्यवाही की जाये तो मैं समझता हूँ कि इस पर सार्थक परिणाम आ सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस पर और भी जो जांच करने वाली टीम है, जो दल है उसको और भी अधिक से अधिक बढ़ायें ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह नि:संदेह चिंता का विषय है और मैं समस्त सदन के सदस्यों, मीडिया के साथियों, एन.जी.ओ. और नागरिकों से आग्रह भी करूंगा कि अगर कहीं भी आपको जानकारी उपलब्ध होती है, हम लोगों को तत्काल उपलब्ध करा दें। इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तम्बाखूयुक्त पदार्थों में गुड़ाखू का भी जिक्र किया है। छत्तीसगढ़ में हम लोग जो देख रहे हैं विशेषकर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं और विशेषकर उसमें महिलाओं की बड़ी संख्या है वे गुड़ाखू का सेवन कर रहे हैं। केवल मंजन के रूप में ही नहीं, घण्टों-घण्टों तम्बाखू को खाद्य पदार्थ की तरह गुड़ाखू को महिलाएं उसका उपयोग कर रही हैं और इसके कारण से मुंह के कैंसरों की संख्या काफी अधिक यहां पर बढ़ी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आप पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर गुड़ाखू का उत्पादन हो रहा है, ये स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है ? क्या इसका समुचित चिकित्सकीय परीक्षण उस उत्पाद का, खाद्य पदार्थ के रूप में उसका कभी परीक्षण हुआ है, परीक्षण के दौरान में गुड़ाखू के संबंध में क्या पाया गया है ? कि यह कितना हानिकारक है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाहते हैं कि अगर इसमें और गंभीरता से जांच हो जाए तो इसकी जांच भी करा ली जायेगी और इसमें कोई दो बात नहीं है कि तम्बाखू से एक बड़ी प्रतिशत आबादी प्रभावित है, जिनको की कैंसर होता है और आपने तम्बाखूयुक्त पदार्थों की भी बात कही और गुड़ाखू की भी बात कही और उसके अतिरिक्त भी, मैं चाहूंगा क्योंकि आपने ये प्रश्न उठाया है। सभी नागरिकों को ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सामान्य गुटखा भी, तम्बाखू न

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मिला हुआ गुटखा भी ये भी आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है और विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि उसके सेवन से उदाहरण के लिए अगर सामान्य रूप से आप मुंह खोलें और उसमें चार उंगली समा जाये, अगर आप गुटखा का सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जबड़े दो ही उंगली तक बराबरी में खुलें यानी इसका प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है तो जागरूकता और शासन के माध्यम से जो पदार्थ रेग्युलेटेड नहीं है, जो रेग्युलेटेड हैं उनको बेन करना केन्द्र सरकार की सूची है, वह उसमें नहीं आता है, वह नियंत्रण में है और जो नियंत्रण की सूची के बाहर है जिनको बैन होना चाहिए। सरकार उसको जरूर बैन करेगी और इसमें आप अगर जांच कराने की कह रहे हैं तो हम लोग इसकी सघन जांच करा देंगे।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा चिंता का विषय वही है कि आज पूरे प्रदेश में जिस बड़े पैमाने पर ये गुड़ाखू का उत्पादन हो रहा है, बिक्री हो रही है, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि इसका परीक्षण करे कि ये कितना हानिकारक है ? यदि वह उत्पाद प्रतिबंध लगाने योग्य है तो क्या शासन उस पर कार्यवाही करेगी, उस परीक्षण के उपरांत ?

अध्यक्ष महोदय :- करेक्ट, अवश्य करेगी।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच करके, शासन के समक्ष जानकारी प्रस्तुत कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- अवश्य करेगी।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जांच करके शासन के समक्ष जानकारी प्रस्तुत कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धनेन्द्र साहू जी को बड़ी चिंता है। इसलिए मैं उनकी चिंता में शामिल रहते हुए अपने आपको शामिल करते हुए आपसे ये निवेदन कर रहा हूं तम्बाखू, बीड़ी, सिगरेट, गुड़ाखू, तम्बाखूयुक्त जितने भी पदार्थ हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, गुडाखू के लिए आप आसंदी से चिंता व्यक्त कर रहे हैं, हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- इन सब बातों की आप जांच करायें कि किससे, कितने प्रतिशत मुंह का कैंसर होता है? मुंह के कैंसर से और अन्य स्थानों के कैंसर से मृत्यु की दर कितनी बढ़ रही है?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं कार्यसूची के पद 4 के उप पद (5) से (24) तक सूचना देने वाले सदस्यों के नाम पुकारूंगा, उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे :-

05. श्री धर्मजीत सिंह

06. श्री सत्यनारायण शर्मा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

07. श्री सौरभ सिंह
08. श्री धनेन्द्र साहू, लालजीत सिंह राठिया
09. श्री सौरभ सिंह
10. श्री सौरभ सिंह
11. श्री धर्मजीत सिंह
12. श्री धर्मजीत सिंह, शिवरतन शर्मा
13. श्री धर्मजीत सिंह
18. श्री संतराम नेताम
19. श्री धर्मजीत सिंह
20. श्री सौरभ सिंह
22. श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर
23. श्री देवव्रत सिंह
24. श्री सौरभ सिंह

समय :
1:36 बजे

**नियम 267- 'क' के अंतर्गत विषय**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 'क'' (2) को शिथिल कर आज दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को मैंने सदन में 17 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा।

01. श्री सत्यनारायण शर्मा
02. श्री सौरभ सिंह
03. श्री धर्मजीत सिंह
04. श्री लालजीत सिंह राठिया
05. श्री संतराम नेताम
06. श्री देवव्रत सिंह
07. श्री बघेल लखेश्वर
09. श्री रामपुकार सिंह
10. श्री यू.डी.मिंज
11. श्री शिवरतन शर्मा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1:37 बजे

**याचिकाओं की प्रस्तुति**

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित उपस्थित माननीय सदस्यों की याचिकायें सभा में पढ़ी हुई मानी जायेंगी :-

01. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
02. सुश्री शकुन्तला साहू
03. श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर
04. श्री कुंवरसिंह निषाद
05. श्री सौरभ सिंह
06. श्री बघेल लखेश्वर

समय :
1:38 बजे

**शासकीय विधि विषयक कार्य**

**(1) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) का पुर:स्थापन**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

**अनुमति प्रदान की गई।**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं।

**(2) छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019)**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गई।**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

**(3) महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019)**

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

**अनुमति प्रदान की गई।**

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) का पुर:स्थापन करता हूं ।

समय :
1:41 बजे

**शासकीय विधि विषयक कार्य**

अध्यक्ष महोदय :- शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु मैंने उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया है, जो इस प्रकार है :-

| | निर्धारित समय |
|---|---|
| 1. छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) | 1 घंटा |
| 2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 24 सन् 2019) | 30 मिनट |
| 3. महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (क्रमांक 25 सन् 2019) | 1 घंटा |

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)**

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही भोजन अवकाश के लिये अपराहन 3.00 बजे तक स्थगित ।

**(अपराहन 1.42 से 3.02 बजे तक अंतराल)**

समय :
03:02 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय :- प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 23 के तहत आज की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए निर्धारित हैं । कार्यसूची के पद 6 (7) का कार्य पूर्ण होने के उपरांत अशासकीय कार्य लिया जाएगा । मैं समझता हूं सदन सहमत है ।

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)**

**(4) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019**

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति महोदय, मैं, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19, सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

सभापति महोदय :- कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- (हंसी) संसदीय कार्यमंत्री जी, आप तो हैं, कल की तरह।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पूरा उत्तर दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो ?

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19, सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- सभापति जी, संशोधन और विधेयक पर साथ-साथ चर्चा होगी या अलग से करेंगे ? उसकी मुझे सूचना नहीं दी गई ।

सभापति महोदय :- संशोधन तो अस्वीकृत हो चुके हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, मुझे अस्वीकृत होने की सूचना नहीं मिली है ।

सभापति महोदय :- खाने में देखिए सूचना होगी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- और अगर संशोधन है भी तो खंडों में होगा । जब खंडों पर विचार होगा, उस समय चर्चा होगी । उस समय आप अपनी बात कह लेंगे ।

सभापति महोदय :- संसदीय कार्य मंत्री जी, संशोधन स्वीकृत नहीं हुए ।

श्री रविन्द्र चौबे :- गलत संशोधन बनाकर देते हैं, अब बताइए ये क्या है ? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, कल मैंने पुर:स्थापन के समय सारी बातें कही थी । उन बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं । स्थिति ऐसी बनी की भारसाधक मंत्री इस सदन में उपस्थित थे । भारसाधक मंत्री की उपस्थिति में शुरूआत में ही, बिना किसी ऐसी स्थिति के, संसदीय कार्यमंत्री जी को जवाब देने के लिए आना पड़ा । यह स्थिति सदन में पहली बार निर्मित हुई सभापति महोदय । ऐसे महान भारसाधक मंत्री जी इस सदन में हर पल, हर विषय में खड़े होते हैं । मुझे कल समझ में नहीं आया कि माननीय रविन्द्र चौबे जी को ऐसा लगा कि मैदान में उतरना पड़ा ।

सभापति महोदय :- समझ में नहीं आया तो जाने दीजिए उस बात को ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- प्रश्न पूछोगे तो खड़े तो होना पड़ेगा ।

सभापति महोदय :- जो चीज समझ न आए, उसके बारे में क्या बात करना।

श्री अजय चन्द्राकर :- जी सर। माननीय सभापति महोदय, मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस केबिनेट ने, जिस सरकार ने डायरेक्ट चुनाव का निर्णय लिया था, माननीय रविन्द्र चौबे जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उस केबिनेट के सदस्य थे और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी पद्धति में चुनाव करवाए। लोकतंत्र में मैंने कहा था। मौलिक अधिकारों पर जब हमने बातचीत की थी कि एक निर्वाचक सदस्य के अधिकारों को न्यून करने की की कोशिश क्यों की जा रही है? क्यों इस बात की जरूरत है? क्या ऐसा कारण है कि सरकार को अप्रत्यक्ष चुनाव पदों के रिजर्वेशन के बाद करवाना पड़ रहा है। सारे पद निर्वाचित हो गये तो यह कहां पर युक्तिसंगत है कि हम एक आदमी को निर्देशित करें कि आप इस वर्ग के इस व्यक्ति को महापौर या अध्यक्ष चुनिए। यह तो लोकतंत्र के सर्वथा विपरीत है। दूसरी बात जो मैंने कल उठायी थी, मैं फिर कह उस बात को देता हूं कि यदि कोई निर्वाचित सदस्य किसी एक वर्ग का चुनकर आता है और पार्षद दूसरे दल के आते हैं तो क्या यह संविधान सम्मत होगा कि वह अपने मन के विपरीत जाकर वोट दे। यह कौन सा विधेयक है? यह हमारे कौन से अधिकारों को परिभाषित कर रहा है? बल्कि यह हमारे अधिकारों को न्यून कर रहा है। तीसरी बात जो मैंने कही थी कि एक वर्ग का अध्यक्ष चुनकर आ गया और बाकी पार्षद दूसरे दल के हैं। कार्य संचालन कैसे होगा? छत्तीसगढ़ की 26 से 27 प्रतिशत जनता शहरी क्षेत्र में है और जो सरकार है वह शहरी क्षेत्र का और विस्तार कर रही है। भिलाई क्षेत्र में कुछ गांव को मिलाकर और निगम बना रहे हैं। हो सकता है कि उसमें एकाक प्रतिशत और वृद्धि हो जाए तो कार्य संचालन कैसे होगा? बिलासपुर में नया नगरीय क्षेत्र

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बना रहे हैं, कार्य संचालन कैसे होगा ? जो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोकतंत्र में आप मुझे कैसे निर्देशित कर सकते हैं ? मैंने कल भी कहा था कि वर्ष 1993-94 में जब मध्यप्रदेश में पहली बार चुनाव संचालित किया। मैं पंचायती राज देखता था। दिग्विजय सिंह जी और वहां के पंचायती राज मंत्री हमेशा यह कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जिसने 73वें और 74वें संशोधन के अनुरूप यह चुनाव संपादित करवाया। माननीय सभापति महोदय, उस समय पदों के रिजर्वेशन नहीं था। वार्डों का रिजर्वेशन था। पदों के रिजर्वेशन के बाद आप किसी को निर्देश नहीं कर सकते। यह संविधान विरोधी है, यह मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं। इसे रोका जाना चाहिए, इसलिए मैंने कल पुर: स्थापन में रोक दिया था। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इसके राजनीतिक निहितार्थ हैं। आप अपने राजनीतिक निहितार्थ के कारण किसी भी आम नागरिक का हिन्दुस्तान के आम नागरिक का चूंकि वह कांग्रेस या भाजपा का नहीं होता, वह जनता होती है। उसको किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी विचारधारा को वोट देने का अधिकार है, को आप कैसे निर्देशित कर सकते हैं कि आप इसे अध्यक्ष चुनो। यह युक्तिसंगत नहीं है और मैं चाहता हूं कि कम से कम मेरे इस प्रश्न का कि मुझे माननीय रविन्द्र चौबे जी कैसे निर्देशित कर सकते हैं ? मैं तो आज उन्हें भी भारसाधक मंत्री कहूंगा, क्योंकि कल वे खड़े हुए थे। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी थी, तो आज भी वे उत्तर देंगे। मैं तो यही अपेक्षा करता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, इसे दुनिया का कोई भी आदमी निर्देशित नहीं कर सकता।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि आपकी राजनीतिक मजबूरी है। जब आप दो उपचुनाव जीते हैं और यदि जनता का समर्थन प्राप्त है तो आप किन कारणों से अप्रत्यक्ष कर रहे हैं। आज तक का इतिहास रहा है कि जब भी इन डायरेक्ट इलेक्शन हुए हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। खरीद-फरोख्त हुई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चाहे कांग्रेस को बहुमत मिला हो, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेच्योर मेनडेट दिया। झारखण्ड की तरह या महाराष्ट्र की तरह खंडित जनादेश नहीं दिया। छत्तीसगढ़ जो तेजी से बढ़ा, उसका कारण यह मेच्योर मेनडेट होना। स्थानीय संस्थाएं तब विकास करेंगी, जब हॉर्स ट्रेडिंग रूकेगी। यह सरकार खरीद-फरोख्त, जनबल, धनबल को प्रोत्साहित करना चाहती है । छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक सूचिता थी, छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो परस्पर संबंध हावी होते थे, परस्पर सम्बन्धों की जो मर्यादा होती थीं, उसका स्थान यह पैसा लेगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को अपना नंबर बढ़ाना है कि आप हारे क्यों ? दुर्ग शहरी जिला माना जाता है। सबसे ज्यादा सघन शहरी क्षेत्र दुर्ग और बेमेतरा है। कांग्रेस की आज तक के इतिहास की सबसे भीषण पराजय हुई। रायपुर शहरी संसदीय क्षेत्र है, संसदीय इतिहास में कांग्रेस की आज तक की सबसे भीषण पराजय हुई। इसने शहरी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मतदाताओं के जो परिणाम है, उसने इनको अंदर तक हिला दिया। तो इन्होंने हार्स ट्रेडिंग का तरीका अपनाया। इसके प्रति न तो विकास की अवधारणा है, न इसके प्रति कोई राजनीतिक चिंतन है। छत्तीसगढ़ की जनता के अधिकारों के हनन का विधेयक है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि संसदीय कार्यमंत्री जी जैसे कल खड़े हुए थे, आज इसका बिन्दुवार उत्तर देंगे।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा जो विधेयक लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह तो आपकी ड्यूटी है।

श्री संतराम नेताम :- इसके पहले तो आपकी क्या ड्यूटी थी ?

श्री अजय चन्द्राकर :- विषय में बोलना।

श्री संतराम नेताम :- मैं आपके एक-एक शब्द का जवाब दूंगा। सभापति महोदय, लोकतन्त्र में लोगों का हनन नहीं है। पहले महापौर का चुनाव होता था। लेकिन काम में पार्षदों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था, तो कार्य संचालन में तकलीफ होती थी। इस पद्धति के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पार्षद लोग और महापौर के तालमेल से काम होगा। जिस प्रकार हमारे साथी अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि यह लोकतन्त्र की हत्या है, लोकतन्त्र पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सभापति महोदय, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी माननीय सदस्य जी बोल रहे थे कि नंबर बढ़ाने के लिए लाये हैं। सभापति कोई नंबर के लिए नहीं है। पिछली बार हमारी पार्टी की निगमों में अच्छा बहुमत आया था। हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, वह अच्छा है। इसमें धन-बल का प्रयोग नहीं होगा। आप सब लोग जानते हैं कि सारे पार्षद चुनकर आयेंगे। सब शिक्षित लोग हैं। कोई धन-बल नहीं होगा। उनको प्रशासन द्वारा दबाया नहीं जायेगा। सबको अपनी-अपनी बात कहने का अधिकार है। हमारे चन्द्राकर जी के द्वारा एक राजनीतिक मजबूरी की बात कही गई है, मेरा यह कहना है कि यह बिलकुल सही नहीं है। सभापति महोदय, इन लोग तो माहिर हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ ? महाराष्ट्र में इन लोग धन और बल सिखाते हैं। हमारे पार्टी के मन ऐसा विचार नहीं रहता है। यह पद्धति आने से पार्षद और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष और निगम के महापौर एक साथ तालमेल बैठा कर काम करेंगे। पहले क्या होता था कि निगम के पार्षद अलग चलते थे और महापौर अलग चलते थे। इस प्रक्रिया से, इस विधेयक के आने से हमारे महापौर और पार्षद लोग बढ़िया तालमेल करेंगे। विकास में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आयेगी। मैं समझता हूँ कि यह अच्छा विधेयक है। इसको पारित किया जाना चाहिए। मैं यही पर अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- आदरणीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने यह जो संशोधन विधेयक पेश किया है, यह प्रजातन्त्र की हत्या है। कुल मिलाकर जनादेश को तोड़-मरोड़कर अपने पक्ष में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाने की कुचेष्ठा है। सभापति महोदय, यह पुराने समय से होता आया है कि अगर एक नगर निगम में चुनाव हो रहा है, जो दो-तीन मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं, वे चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। जनता की च्वाईस होती है कि वह किसको चुने और किसको न चुने। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि यह सरकार बहुत डरी हुई, सहमी हुई, भयभीत, थरथर कांपती हुई सरकार हो चुकी है, खासकर इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि अगर आप सीधे जनादेश लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप छत्तीसगढ़ के किसी भी नगर निगम में चुनाव नहीं जीत सक रहे हैं, नहीं जीत सकते हैं। आपने हमारे विद्वान मंत्री गुरूदेव श्री रविन्द्र चौबे जी के नेतृत्व में...।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, भैया, आप एकदम भविष्यवाणी कैसे कर दिए कि आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते । हिन्दुस्तान में जो बहुमत का फैसला हुआ है, वह कहीं नहीं हुआ है । आप ऐसा फोरकास्टिंग कैसे कर रहे हो।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो आपके बहुमत को सलाम करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, आपके दृष्टिकोण में 15 साल में अंतर क्यों आ गया ? आपने ही तो यह नियम बनाया था, उस समय सदन में आप मंत्री थे तो यह अचानक आपके दृष्टिकोण में 15 साल बाद परिवर्तन क्यों आ गया?

पंचायत मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय सभापति महोदय, प्रजातंत्र की हत्या की बात आई तो क्या राष्ट्रपति जी का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, प्रधानमंत्री का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है तो प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, मुख्यमंत्रियों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है तो क्या प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जिला पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है तो क्या प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जनपद पंचायतों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहा है तो क्या प्रजातंत्र की हत्या हो रही है ? और एकरूपता लाया जा रहा है । प्रश्न इस बात का है कि हमारे देश ने कौन सी पद्धति को अपनाया ? अमेरिका में प्रेसीडेंसियल फार्म ऑफ गवर्नमेंट है । वहां राष्ट्रपति का चुनाव पूरा देश करता है, वे लोग उस चुनाव की पद्धति से चलते हैं । हमारे देश ने अप्रत्यक्ष और पार्लियामेंट्री प्रणाली को अपनाया है । किस प्रजातंत्र की हत्या हो रही है ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- आखिर वोट जनता तो ही देगी न ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बहुत ही विद्वान और नेता प्रतिपक्ष रहे..

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तै तो बोल चुके हस अउ के बेर बोलबे ? एक बार तो खड़े होकर बोल डारे हस ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं तो आपकी किसी बात का नोटिस लेता नहीं। मैं तो संसदीय कार्यमंत्री जी से बात कर रहा हूं । माननीय टी. एस. सिंहदेव साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है । मेरा जो प्रश्न

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

का उत्तर है, वह आप खड़े होकर दे दीजिए कि आप पदों के रिजर्वेशन को हटा दीजिए और पार्षद से अप्रत्यक्ष रूप से करवा दीजिए । प्रधानमंत्री इसको चुना जाएगा, राष्ट्रपति इसको चुना जाएगा, जनता का अध्यक्ष इस वर्ग से चुना जाएगा, आप निर्देश नहीं दे सकते । आप उसको हटा दीजिए, अप्रत्यक्ष करा लीजिए । हम आपको समर्थन देते हैं । आप यह बताईए कि कौन सी संसदीय प्रणाली में यह नियम है कि आपको इसको चुनना पड़ेगा, यह आप बता दीजिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- चुनाव परिणामों की बात हुई तो आपको भी याद होगा कि आपने पिछली बार नगर निगमों के प्रत्यक्ष चुनाव कराए । केवल एक नगर निगम कांग्रेस के बहुमत का था, जिसमें पार्षद और मेयर थे, बाकी सब में कांग्रेस के मेयर थे और अप्रत्यक्ष प्रणाली में विकल्प ज्यादा थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कांग्रेस-भाजपा का सवाल नहीं है । आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि यदि मैं पार्षद चुनकर आता हूं तो मैं फलां वर्ग को चुनूं। आप ये कहिए कि पार्षद जिसको चुनना है, उसको चुनें ।

सभापति महोदय :- चन्द्राकर जी, आप बैठिए, आपकी बात आ गई ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- एस.सी. सीट आरक्षित है तो ये तो देश के प्रावधान का हिस्सा है । आप नया प्रावधान बनाना ही चाहते हो, देश का नया संविधान बना लो फिर ।

श्री अजय चन्द्राकर :- देश में कहीं पर ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन होने के बाद आप पार्षद को कहें । देश भर में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है ।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर :- अजय भैया, आप तो पंचायत मंत्री रेहेव ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, आपने बहुत अच्छे-अच्छे उदाहरण दिए, हम भी उसको समझ रहे हैं, लेकिन पहले इस प्रदेश में, जब हम मध्यप्रदेश में थे तो एक समय था कि उसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होता था और आपके गुरूजी दिग्विजय सिंह जी ने ही उसको देखा और इस प्रणाली में खामी पाई इसीलिए उन्होंने यह नियम बनाया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैया, वो समय इकरो गुरू रिहीसे, तोरो भी तो गुरू रिहीसे न ।

श्री धर्मजीत सिंह :- दिग्विजय सिंह जी मेरे गुरू नहीं थे, मेरे गुरू तो विद्याचरण जी थे ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- मेरे भी गुरू नहीं थे, दादा भाई, बड़े भाई थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, आपके दादा भाई थे, किसी के गुरू होंगे, किसी के मित्र होंगे । मेरा कहने का आशय यह है कि माननीय श्री दिग्विजय सिंह ने इस प्रक्रिया को बदला था तो क्या वे अज्ञानी थे या लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं थी कि लोकतंत्र की हत्या नहीं करना चाहते थे या हत्या कर दिए? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने पारदर्शिता लाने, राजनीति में सुचिता लाने, राजनीति में

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जनता की बेस्ट च्वाईस क्या हो सकती है, उसको लाने के लिए उन्होंने उस सिस्टम को एडाप्ट किया । अब आप कर रहे हैं कि 68 का बहुमत है । आदरणीय, हम तो आपके बहुमत के आगे में नत-मस्तक हैं । 68 नहीं, 69 हो गया है और भगवान न करे कि अभी उपचुनाव और होंगे तो वह 70-71 भी पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें इतना गुरूर भी करने की जरूरत नहीं है । मैंने कल भी कहा था कि साहब, इतना अहंकार मत कीजिए, वक्त के समन्दर में बड़े-बड़े सिकंदर डूब चुके हैं । आपको बहुमत मिला है, आप उसको विनम्रता से, शालीनता से जनता के बीच, जनता के हित के लिए उसका उपयोग करें तो ज्यादा अच्छा होगा और ये कोई चुनौती नहीं है । अध्यक्ष महोदय, अगर आप 69 सीट जीते थे, लोक सभा में आपकी इतनी दुर्दशा कैसे हुई । आप वहीं से एलर्ट हुये, आप वहीं से चिंतित हुये, इस प्रदेश में कांग्रेस का बुरी तरह से सफाया हुआ ।

श्री अजय चन्द्राकर :- एलर्ट हुये कि विक्षिप्त हुये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- परेशान हुये । आप हारे । मैं यह कह सकता हूँ कि किसी भी नगर निगम में पिछले 11 महीने में आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, जिसमें आपको जनता, डायरेक्ट या इन्डायरेक्ट चुनाव में वोट दे । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंस्वयं इस निर्णय का विरोधी था, इसलिए मैं हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया । धर्मजीत सिंह वर्सेस स्टेट केस चल रहा है और परसों हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने जवाब पेश किया । मैं उसका दो-तीन अंश पढ़ना चाहूंगा । जो एफिडेविट आपके सरकारी अफसरों ने दिया, व्हेरीफाईड साईन ऑन द 27 डे ऑफ नवम्बर 2019. यानी 27 तारीख को आपने यह एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया । इसमें सिर्फ तीन लकीर पढ़ूंगा । कितनी भयभीत थरथर कांपती हुई सरकार है, उसका एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ । अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने लिखा है कि बट इन ऑल फेयरनेस इट इज सबमिटेड दैट सीज द लैजिसलैटिव एसेंबली इज इन रिसेस. यह जो पिटीशन दायर हुआ है, हमको जो अध्यादेश जारी करना पड़ा, नियम नहीं बना पाये, वह इसलिए कि विधान सभा नहीं चल रही है । कब बोलता है सरकार का वकील, 27 तारीख को, कहां बोलता है, हाई कोर्ट में, अध्यक्ष महोदय 25 से विधान सभा चल रही है, 25, 26, 27, 28, 29, और आपकी सरकार को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वहां फैसला जो भी हो, कम से कम सही जानकारी तो आपको हाईकोर्ट में देना चाहिये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- विधान सभा चल रहा है, इसलिए उसको यहां लाये हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं बात दूसरी कह रहा हूँ । मैं यह कह रहा हूँ कि आप जितने कि खातिर, आप सफलता की खातिर, आप अपने अभिमान के खातिर, किसी भी हद तक जाकर झूठा एफिडेविट हाई कोर्ट में दिया है । यह मेंरा बताने का आशय था । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, फिर दूसरे पैरा में बोलते

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हैं, इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट सेशन इज ऑलरेडी रेसेस । दोबारा बोल दिया । अध्यक्षस महोदय, इस तरीके की बात करके...।

श्री रविन्द्र चौबे :- धर्मजीत भईया, जिस तारीख को जमा किया गया, उसका आप जिक्र कर रहे हैं, पूरा पढ़ेंगे तो उसका आशय यह है ..।

श्री धर्मजीत सिंह :- पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ । मैं तो तीन लकीर बोला था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यादेश जब जारी हुआ, तब विधान सभा का नोटिफिकेशन नहीं हुआ था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अतिविद्वान हमारे ...।

श्री रविन्द्र चौबे :- विद्वान नहीं, तारीख बता दें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको बता रहा हूँ ना ।

श्री रविन्द्र चौबे :- 25 अक्टूबर को आर्डिनेंस जारी हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली बार आसन्दी से घोषणा हुई थी कि 26 नवम्बर से 6 दिसम्बर तक विधान सभा होगी । आप उस स्थिति को जानते थे । उसके बाद आपने आर्डिनेंस जारी किया और दूसरे दिन नोटिफिकेशन किया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, यह तो और दुर्भाग्य है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इतने दिन रूक सकते थे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं, इससदन को कब आहूत किया जाना है, इसलिए जारी हुआ है, ऐसा नहीं है । हमेंशा विधान सभा सत्र के समापन अवसर पर माननीय आसंदी से यह तारीखें टेनटेटिव दिया जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने टेनटेटिव कहा । पहलीबार ऐसाहुआ था कि 26-11.2019 और 6-12-2019 घोषित हुआ था ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं कह रहा हूँ ना । जब भी आर्डिनेंस जारी होता है, दो सत्रों के बीच की अवधि में ही होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहली बात आपको मालूम था कि 26-11-2019 से 6-12-2019 तक सत्र होने वाला है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मालूम था । आपको भी मालूम रहता है, लेकिन अध्यादेश दो सत्रों के बीच में ही जारी होता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह ठीक है, आपने एक दिन पहले जारी किया ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब आप मूल भावना में आ गये । अब आ गये आप । अध्यादेश पहले जारी हुआ, असेंबली के सत्र का नोटिफिकेशन बाद में हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है पांडे जी, ऐसी चीजें विधानसभा में कभी-कभी होती हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि अध्यादेश कोई पहली बार नहीं आया है, बहुत से समयों पर विभिन्न सरकारें चाहें दिल्ली की हों, आपकी हों, आपने किया है। लेकिन कम से कम हाईकोर्ट में तो ठीक बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और कोड करना चाहता हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सभापति महोदय, जब ये एफीडेविड जमा किया गया था उस समय विधानसभा चालू नहीं थी। जब उसको बुलाया गया तब उसने इस बात को रखा। फिर बाद में आप ही बोल रहे हो कि दूसरी बार बताया, जब विधानसभा का सत्र चल रहा है तो उसमें इस बात को लाया जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं नहीं बोला। विधानसभा का सत्र चल ही नहीं रहा है वह तो विधानसभा बंद कर दिया और विधानसभा के बारे में इनके उद्गार और क्या हैं? मंत्री जी, सुनो। 69 के बहुमत में तो आप पास करा लेंगे, क्यों टेंशन पाल रहे हैं पर हमको बोलने तो दीजिए, अपनी बात तो कह लेने दीजिए। विधानसभा के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। मैंने उसमें लिखा था कि it is hypothetically submitted by the petitioner, if the ordinance is failed in the floor of the Assembly then the hole process cannot be returned back. The same is the situation having no base. मैंने अगर ये कहा कि मान लीजिए कि किसी सदन में बहुमत पास न हो जैसा कि महाराष्ट्र में नहीं हुआ, मान लो किसी सदन में बहुमत पास न हो जैसा कि डॉ. चरण सिंह जी के समय में हुआ, मान लो कोई बहुमत पास न हो जैसा कि चन्द्रशेखर जी के समय में हुआ, मानलो कोई और ऐसा बहुमत पास हो जैसा कुमारस्वामी जी के समय हुआ तो अध्यक्ष महोदय, आपके वकील वहां पर पहले से बोलते हैं कि hypothecated है? सदन का निर्णय सदन के अंदर होगा, उसके बारे में आप सुप्रीम कोर्ट/होईकोर्ट में ओपिनियन नहीं दे सकते। ये आपत्तिजनक है और हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपका ये बिल अभी फेल हो जाए। सदन में बगैर परीक्षण के, बिना अध्यक्ष महोदय की अनुमति के वह पास नहीं होगा। जब वह देखेंगे कि हॉ की जीत हुई तब पास होगा, ना कि हार हुई तब वह फेल होगा। आप आखिर वहां पर किस प्रकार के वकील रखे हैं जो ठीक से डेट नहीं दे सकते, जो ठीक से पैरवी नहीं कर सकते, जो ठीक से प्ली नहीं कर सकते? हमें न्यायालय के ऊपर भरोसा है, हम न्यायालय गये हैं, जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे लेकिन आप ये मत भूलिए कि जब आप पार्षदों से चुनाव करायेंगे तो पार्षदों की खरीद और फरोख्त, हार्स ट्रेडिंग का काम इस प्रदेश में बड़े पैमाने पर होगा और मेरा यह आरोप है, मेरी यह शंका है कि पुलिस, थानेदार, दरोगा क्योंकि जब आप किसी लड़के को कोई एक आपके विधायक को मुख्य अतिथि बना दिया तो शाम को उसको धारा 307 में अंदर करा दिये तो ये पार्षद के पिताजी लोग कहीं से बचकर जायेंगे? आपकी पुलिस जब बचाने जायेगी तो पिताजी सहित वह आपके पास खड़े हो जायेंगे। मतलब आप जनादेश को कुचलने, रौंदने, मरोड़ने, ध्वस्त करने का काम इस अध्यादेश के माध्यम से कर रहे हैं। यह प्रजातंत्र के

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लिए अच्छा लक्षण नहीं है। फर्ज करिए कि इस सबके बाद यदि आप चुनाव हार गये तो आपको कितना बुरा लगेगा। आप अच्छे व्यक्ति के चयन के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। आप दो नंबर के रास्ते पर जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह आरोप है कि जिन नगर निगमों में सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल बचा है उसमें आपने अभी एल्डरमैन की नियुक्ति की है। मेरी ये शंका है कि अगर आपको बहुमत नहीं दिखेगा तो एक आर्डिनेंश लाकर आप उनको भी वोटिंग राईट्स देने का जघन्य पाप करेंगे और येन-केन-प्रकारेण सत्ता में काबिज होने का आप षड़यंत्र रचेंगे। लेकिन इस प्रदेश की जनता के ऊपर हमको भरोसा है कि आप चाहे ऐसे दसों अध्यादेश ले आईये, जब जनता की अदालत में कोई फैसला होगा तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी क्योंकि आपने कोई विकास का काम नहीं किया है। जो दंश हम बिलासपुर और बड़े-बड़े शहरों के लोग झेल रहे हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, पीने का पानी नहीं है, पीलिया, मलेरिया, डायरिया से लोग परेशान हैं, सड़कों की हालत यह है कि यदि उसमें आप चले जाएं तो स्पेंडिलाईटिश के मरीज हो जायेंगे और तरह-तरह की तकलीफों से हम गुजर रहे हैं। इस तकलीफ को, दर्द को जनता भूली नहीं है और मेरा तो यह भी कहना है कि आपके पास तो बेहतर कोई चेहरा भी नहीं है। नगर निगमों में आपके पास कोई बेहतर चेहरा नहीं है। चाहे आप जितनी भी मीटिंग करके प्रत्याशी उतारेंगे उसको जनता पराजित करेगी और उस पराजय के माध्यम से आपको सबक देगी कि प्रजातंत्र के मूल्यों की हत्या करने का जघन्य पाप करने के बाद जनता किस तरीके से जवाब देती है, वह आप देखेंगे। मुझे मालूम है कि आप बहुमत में हैं, बड़ी संख्या में हैं, हम अल्पमत में हैं, आप क्वानटीटी में बहुत हैं, लेकिन माफ करियेगा, हमारी भी क्वालिटी बहुत खराब नहीं है। आपको हर बात सचेत कर रहे हैं, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है और आप अगर मान जायेंगे तो अच्छी बात है। नहीं मानेंगे, तो दो महीने के बाद जनता की अदालत में आपसे दो-दो हाथ करने के लिये हम जायेंगे और देखेंगे कि आपका निर्णय सही था या हम लोग बोल रहे हैं वह सही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2 से 20 इस विधेयक का अंग बने।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पारित किया जाय।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी उत्तर दे देते, कल वे खड़े हुए थे और नहीं तो बिना बहस के पारित हो जाये।

सभापति महोदय :- चलिये, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पारित किया जाय।

प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 19 सन् 2019) पारित किया जाय।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

**(मेजों की थपथपाहट)**

**(5) छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019)**

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, लगभग वही बात जो मैंने पूर्व में ही कही, वही बात इसमें भी है। नई बात सिर्फ इतनी है कि माननीय धर्मजीत जी ने जो बहस की। माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं इस दौर में उन्होंने विधानसभा की अवमानना की एक नई परंपरा शुरू की है, जो बहुत चिंताजनक है। अभी हम बात कर रहे थे कि सत्र के बीच में आर्डिनेंस होता है, वहां तक ठीक है, उनकी हर बात को मैंने मान लिया। लेकिन सत्र चल रहा है, बिना उसको नियमित किये, अधिगमित किये, आपने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उन्होंने यह और दूसरा अपमान किया। संसदीय कार्य मंत्री जी लगातार जनमत को, नियम को, प्रक्रियाओं को और आप जानते हैं, इस सदन के विद्वान सदस्य हैं, सदन सिर्फ नियमों से नहीं चलता, परंपराओं से भी चलता है।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- सभापति महोदय, ये नियम का पालन करते हैं। 6 बजे रात को, महाराष्ट्र में 6 बजे कुकरा भी नहीं उठा था, उस समय शपथ ले रहे थे। महाराष्ट्र में नियम कहां से पालन करते थे। हम लोग सो के नहीं उठे ये शपथ ले रहे थे। ये नियम का पालन कहां करते हैं बताओ। नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं, नियम कहां पालन होता है बताओ ? लोकसभा में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनायेंगे बोलते हैं। भारत रत्न देने की मांग करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय, की व्यवस्था आ चुकी है। क्या है अब एक-दो लोगों से डर लगता है कुछ बोल दो फिर यहां जातिवादक सूचक जुड़ जाता हैं, इसलिए ज्यादा बोलना बेकार है।

श्री कवासी लखमा :- हम सही बात को बोल रहे हैं और महाराष्ट्र में तीसरे दिन सब छोड-छाड़ के भग गये।

श्री अजय चन्द्राकर :- उधर संसदीय कार्यमंत्री जी पर्याप्त हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय जी, संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछ लीजिए कि कौन सा नंबर है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैंने जो बात प्रथम में कही थी, वही बात फिर से कहता हूँ कि ये जनमत की पूरी तरह अवेहलना है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, विधेयक की चर्चा के पूर्व आदरणीय अजय जी ने आपत्ति की। अध्यादेश जारी हो गया इसका मतलब ये अधिनियमित हो गया, कानून बन गया। अध्यादेश के माध्यम से..।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिना विधान सभा में आये?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, फिर से मैं उसका उत्तर देता हूँ। आपने कहा कि इलेक्शन डिक्लियर कर दिया। विधान सभा में विधेयक पारित होने के पूर्व तो अध्यादेश क्यों जारी करते हैं ? अध्यादेश जारी हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी दृष्टि से उचित है तो अच्छा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, अध्यादेश जारी हुआ उसी के परिप्रेक्ष्य में यह चुनाव का प्रोग्राम जारी हुआ और विधान सभा में लाकर उसको अधिनियमित करना, यह अध्यादेश को विधान सभा सत्र में लाना, यह परम्परा है, आप जानते हो, इसमें आपत्ति जैसी कोई बात नहीं थी। पर आपको चर्चा करना है और हमारे प्रश्न का उत्तर मत दीजिए। माननीय कवासी जी ने जो कहा है..। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या है माननीय सभापति महोदय, मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है। मैंने पहले उसमें कहा था दूसरी बात जो कही उतना ही कहना चाहता हूँ और रहा सवाल। संसदीय

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कार्यमंत्री जी आप जिससे भी बोलवा लें, ऐसा कर लें, चाहे ऐसा कर लें समझ रहे हैं। उत्तर तो आपको ही देना है तो माननीय सभापति महोदय, यह पूरी तरह अलोकतांत्रिक है, लोगों के अधिकारों का हनन है और माननीय टी.एस.सिंहदेव साहब ने जो कहा कि इस देश में अप्रत्यक्ष प्रणाली है तो इसका मतलब की क्या प्रजातंत्र की हत्या होती है?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट, माननीय चन्द्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति का पद आरक्षित नहीं होता। विधायक को यह नहीं कहा जाता कि इस वर्ष के राष्ट्रपति को आपको वोट देना है, इस वर्ष के प्रधानमंत्री को आपको वोट देना है।

सभापति महोदय :- आपकी बात पहले आ जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष इनको मुख्यमंत्री बनाना है। ये नहीं कहा जाता। ये सरासर बिल्कुल गलत उदाहरण था। हिन्दुस्तान के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि हमको अपने जनप्रतिनिधि चुनने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये संविधान विरोधी है इसलिए इसको भी वापस लिया जाना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, बाकी समय में तो सीट के अंदर में रहते हैं और बोलना रहता है तो ऐसे निकलकर बोलते हैं यह कौन सा तरीका है?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्रीगण केवल इतना ही लेजिस्लेशन जानते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, और क्या जानेंगे बताईये?

सभापति महोदय :- श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर।

श्री विनोद सेवनलाल चन्द्राकर (महासमुन्द) :- माननीय सभापति महोदय, सदन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा हो रही है। मैं इसका स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ में ही जनपद पंचायत का चुनाव, जनपद सदस्यों के मार्फत से होता है उसी तरह जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जिला पंचायत के सदस्य ही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं अन्य सहकारी जो संस्थाएं हैं उसमें भी उसके डायरेक्टर उसका अध्यक्ष चुनते हैं। अभी माननीय अजय भईया बोल रहे थे कि यह अलोकतांत्रिक होगा। माननीय अजय चन्द्राकर जी पंचायत मंत्री रहे हैं तो उन्होंने ये जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट क्यों नहीं करवाया? अन्य सहकारी संस्थाओं में डायरेक्ट चुनाव क्यों करवाया? मेरा यह कहना है कि यह जो चुनाव होगा, इससे निश्चित ही कार्य में प्रगति आएगी, नगर पालिका, नगर निगम एक समानान्तर विचार धारा के लोग आएंगे। चूंकि जो पार्षद रहेंगे, वह अध्यक्ष चुनेंगे और दोनों के सामान्जस्य से जो प्रगति होगी, कार्य होगा, वह निश्चित ही क्षेत्र के लिए बड़ा सुनहरा होगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1994 में भी ऐसा चुनाव छत्तीसगढ़ में होते रहा है और कभी ऐसी घटना नहीं घटी, जिससे किसी भी अध्यक्ष या नगर पार्षदों के बीच तनाव की स्थिति हो, मारपीट या उठा लेने की ऐसी कोई घटना घटी हो। ऐसी घटना घटती तो यहां बहुत सारे चुनाव होते हैं जिसमें डायरेक्ट हमारे सदस्यगण अध्यक्ष का चुनाव करते रहते हैं और अभी धर्मजीत भईया बोल रहे थे कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं है। इसके पहले नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव को देखेंगे तो कांग्रेस के लोग ही भारी मात्रा में जीतकर आये थे। मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में हूँ और चाहूंगा कि ऐसे ही चुनाव हो। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ के पहले हम मध्यप्रदेश में थे, वर्ष 1994 तक नगरपालिका के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होते थे। वर्ष 1998 का चुनाव हुआ और 1999 में जब नगरीय निकायों के चुनाव हुए तो पहली बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया गया था। ये इत्तेफाक है कि जिस सरकार ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय लिया, उस सरकार के मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे, वह आज सदन के नेता हैं माननीय भूपेश बघेल जी, उस सरकार के जो सदस्य थे, आज संसदीय कार्यमंत्री के रूप में आदरणीय रविन्द्र चौबे जी बैठे हैं। माननीय सभापति जी, जहां तक मुझे याद है उस सरकार में आप स्वयं भी थे और माननीय धनेन्द्र साहू जी भी थे। मैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि आपने 1998 में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का निर्णय किया, वह निर्णय करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था और आप स्वयं आज उसको चेन्ज करके नगरीय निकाय में अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराना चाहते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है? या तो आप वर्ष 1999 में गलत थे या आज गलत हैं, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जवाब देने वाले हैं, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात वह स्पष्ट कर देंगे। माननीय सभापति जी, प्रत्यक्ष प्रणाली से जब चुनाव होता है तो पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र की जनता मत देती है और एक निष्पक्ष चुनाव होता है। जनप्रतिनिधि चुनाव जीत करके बिना किसी दबाव के अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनता के हित में काम कर सकता है। जब आज अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा तो सीधे-सीधे बात ये है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में दलबदल कानून तो है नहीं, सत्ता का दबाव चलेगा, खरीद-फरोख्त चलेगी, हर प्रकार का प्रलोभन दे करके नगरीय निकायों में कब्जा करने का प्रयास किया जायेगा।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय शिवरतन जी, जिस पद्धति का आप विरोध कर रहे है, उसी पद्धति से माननीय रमन सिंह जी पार्षद बने थे, आपको मालूम है ? आप अपने नेता के चुनाव की पद्धति का विरोध कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी। मैंने यह बात कही कि वर्ष 1999 में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया गया और जिस सरकार ने निर्णय लिया, उस सरकार के सदस्य माननीय भूपेश बघेल जी भी थे और माननीय रविन्द्र चौबे जी थे। आज भी अगर परिवर्तन कर रहे हैं तो सरकार का नेतृत्व करने वाले भूपेश बघेल जी और रविन्द्र चौबे जी हैं तो यह स्पष्ट करें कि इनने 1999 में गलती की थी या आज गलती कर रहे हैं ? माननीय सभापति जी, दूसरी बात कई बार ऐसी स्थिति बनती है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय शिवरतन जी, आप जिस पद्धति पर अभी आपत्ति कर रहे हैं, उसी पद्धति से ये सत्र चल रहा है, आप विधायक बने हैं, मैं विधायक बना हूं, मुख्यमंत्री बने हैं, इसी पद्धति से तो ये पूरा चल रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुन करके जनता के बीच से आये हैं और जनता के बीच से चुनकर आने के बाद मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है। यहां तो दलबदल कानून भी लागू है। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे आदरणीय विनोद चन्द्राकर जी उदाहरण दे रहे थे।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय, मैं यह बोला कि माननीय डॉ. रमन सिंह जी पहले पार्षद बने थे, आपको मालूम है या नहीं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- मेरे को सब मालूम है।

श्री अमरजीत भगत :- और इसी पद्धति से बने थे। आप अपने नेता के निर्वाचन का विरोध कर रहे हैं, बताईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- उस प्रणाली से पार्षद बने थे, अध्यक्ष नहीं बने थे।

श्री अमरजीत भगत :- निर्वाचन से पार्षद ही बने थे न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मैं तो रविन्द्र चौबे जी से सिर्फ यही जवाब चाहता हूं कि उनने वर्ष 1999 में अगर प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई तो उसके पीछे क्या कारण थे और आज अप्रत्यक्ष प्रणाली से आ रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण हैं ? यह बात स्पष्ट कर दें।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- शर्मा जी, 1994 की पद्धति की भी चर्चा करिये, 1994 में अप्रत्यक्ष प्रणाली थी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, आरक्षण की बात आती है, पदों का आरक्षण हो चुका है। अभी त्रिस्तरीय पंचायती राज में कई ऐसे उदाहरण आये कि एक दल विशेष को पंचायत में बहुमत मिल गया, पर उस वर्ग का आरक्षित कोई सदस्य जीतकर नहीं आया। वैसी स्थिति नगरीय निकाय में भी निर्मित होगी कि बहुमत किसी पार्टी का आ गया और पता चला कि जिस वर्ग के लिए अध्यक्ष का पद आरक्षित है, उस वर्ग का व्यक्ति कोई इस पार्टी का चुनकर ही नहीं आया । आप जनता के अधिकार को छीनने का काम क्यों कर रहे हैं ? यदि जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहती है तो

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जनता को अधिकार मिलना चाहिए और सीधे-सीधे यह मूलभूत अधिकारों का हनन करने का काम श्री भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है । माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी और भारसाधक मंत्री जी इसे वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा होगा और नहीं तो संसदीय कार्यमंत्री जी जरूर बतायेंगे कि 99 में आपने अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष क्यों किया और आज प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष क्यों कर रहे हैं? इसको जरूर स्पष्ट करेंगे । धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- श्री विकास उपाध्याय ।

श्री सौरभ सिंह :- आदरणीय सभापति महोदय, आदरणीया रश्मि आशीष सिंह जी बोल रहीं थीं कि सन् 1994 में बिलासपुर में क्या हुआ था ? मैं उनको बता रहा था कि सन् 1994 में बिलासपुर में क्या हुआ था ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट बोलूंगा। बिलासपुर में सन् 1994-96 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर महापौर का चुनाव किये थे, मैं रिकॉर्डेड बोल रहा हूं । आप जब बोल रहे हैं न कि अप्रत्यक्ष चुनाव का दुष्परिणाम । श्री बी.आर. यादव साहब मंत्री थे, श्री राजेश पाण्डे कांग्रेस के महापौर बने और उपमहापौर भाजपा से बना और जैसा अभी महाराष्ट्र में समझौता हुआ है न शिवसेना और आप लोगों का जो प्रेमसंबंध है वह प्रेमसंबंध बिलासपुर में ऐसे ही इंडॉयरेक्ट चुनाव में हुआ है ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- भैया, कश्मीर में भी हुआ था । कश्मीर में भाजपा और पी.डी.पी. । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- मुझे भाजपा से क्या लेना है ? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आजकल तो सभी पार्टियां कर रही हैं । (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- उन्होंने मिलकर सरकार बनायी थी । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, मैं आपको बोलने के लिये नाम पुकारूंगा । बोलने वालों में आपका नाम है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं मुझे नहीं बोलना है, मैंने यही बोल लिया ऐसा समझ लीजिये । साहब, बोलने से क्या मतलब है ? (हंसी)

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, आपने अपने भाषण में इसे बोल लिया ऐसा मान लिया जाये । (हंसी) क्या अब आप आगे भाषण नहीं देना चाहते हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- कोई फायदा तो है ही नहीं ।

श्री अजय चंद्राकर :- उपाध्यक्ष बना देते हैं । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री संतराम नेताम :- अगर आप नहीं बोलना चाह रहे हैं तो सर्वसम्मति से पास कर दिया जाये ।

श्री धर्मजीत सिंह :- आपसे गठबंधन भाजपा के साथ भी बिलासपुर में हो चुका है, यह पुरानी बात है और यह रिकॉर्डेड बात है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- आप लोग यहां कितना भी कहो लेकिन हम लोग आप लोगों को उपाध्यक्ष पद देने वाले नहीं हैं । (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- तो आपसे मांग कौन रहा है ? हम मांग ही नहीं रहे हैं ।

सभापति महोदय :- माननीय धर्मजीत जी, क्या आपने अपना भाषण बोल लिया ?

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो बोल ही रहा था लेकिन आपने मुझे बीच में रोक दिया था । (हंसी)

सभापति महोदय :- नहीं, मैं आपका नाम बुलाउंगा इसीलिये मैंने कहा ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं जो बोल रहा हूं आप इसी को मान लीजिये न । (हंसी)

सभापति महोदय :- इसी को मान लिया जाये ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हां । (हंसी)

सभापति महोदय :- चलिये, धन्यवाद ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- श्री धर्मजीत भैया, मैं आपसे यह पूछ रहा था कि इधर वाले तो पक्ष वाले हैं, ऊधर वाले विपक्ष वाले हैं तो आप किधर वाले हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- हम निष्पक्ष वाले हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- बीच वाले । बीच वाले को क्या बोलते हैं ? (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- जो आपको बोलना है बोल लीजिये लेकिन आपके महाराष्ट्र से ज्यादा अच्छी स्थिति में हम यहां हैं । महाराष्ट्र में आप चौथे नंबर पर हैं। हम यहां तीसरे नंबर की पार्टी हैं । माननीय सभापति महोदय, ये चाहे जितनी भी कोशिश कर लें इनका तो इतिहास भी इस बात की गवाही दे रहा है कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर इस अप्रत्यक्ष प्रणाली में बेशर्मी के संग आप सरकार बना लिये थे, पूरी जनता जान रही है और जिस दिन से ये सरकार बनाये थे, कांग्रेस वहां खत्म हो गयी थी । उसके बाद पहली बार कांग्रेस वहां जीती है, उसके बाद पहली बार श्री शैलेष पाण्डे वहां से चुनाव जीतकर आये हैं नहीं तो भाजपा ही जीत रही थी । आप तोड़-मरोड़ करो न, क्या दिक्कत है ? आप जितनी गलती करोगे, जितना ये बेकार-वेकार का निर्णय करते रहेंगे उतना ही हमारे लिये अच्छा है । हम तो समझा रहे हैं कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

देखो भाई सूरदास जी आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, कुंआ है, कुंआ है अब सूरदास जी को कुंआ में जाने की इच्छा ही है तो मैं क्या कर सकता हूं ? जाओ गिरो। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विकास उपाध्याय (रायपुर पश्चिम) :- माननीय सभापति महोदय, आज सदन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा है । मैं इसका समर्थन करता हूं और इसका स्वागत भी करता हूं । लगातार इस पर चर्चा हो रही है और हम लोग जिस प्रकार से नगरपालिका-नगर निगम इन तमाम् चुनावों को बहुत नजदीक से देखने का अवसर भी मिला है और काम करने का अवसर भी मिला। यह कोई नई प्रणाली नहीं है, पहले भी इसी सिस्टम में वर्ष 2000 तक चुनाव होते रहे हैं । पार्षद अलग-अलग बनते थे और अध्यक्ष का चयन करते थे । प्रस्तुत संशोधन विधेयक के द्वारा पार्षदों के बीच से उनके ही द्वारा अध्यक्ष का निर्वाचन होता था जिससे बहुमत प्राप्त व्यक्ति अध्यक्ष निर्वाचित होगा या कार्य सुनिश्चित रूप से संचालित होगा । इसी प्रणाली से प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का भी चयन होता है और इसी प्रणाली से इस देश के प्रधानमंत्री का भी चयन होता है । यह कोई नया सिस्टम नहीं है और यह कोई अनोखा प्रयोग सरकार नहीं कर रही है । इस देश के 18 प्रदेशों में इसी व्यवस्था से चुनाव किये जा रहे हैं और हो रहे हैं । जिस प्रकार से वर्तमान परिवेश में प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों द्वारा नियम अनुसार आनुपातिक राशि व्यय करनी पड़ती है एवं उस व्यय पर भी समस्या आती है जो कि भविष्य में निर्वाचन याचिकाओं का आधार बनती है । अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने से राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय में कमी होगी तथा व्यय भी कम होगा । साथ ही साथ समय बचेगा । स्थानीय जनप्रतिनिधि है उसको ताकत मिलेगी । अभी अजय चन्द्राकर जी जिक्र कर रहे थे और इस प्रणाली को लोकतंत्र का अपमान कह रहे थे । इसी प्रणाली से तमाम चुनाव कराये जा रहे हैं । दूसरी महतवपूर्ण बात यह है कि इस प्रदेश के दो वरिष्ठ नेता, एक प्रदेश के मुखिया भी बने, माननीय रमन सिंह जी यहां बैठे हैं जो कि नगर पालिका के पार्षद थे, वे मुख्यमंत्री बने और रमेश बैस जी त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, वे भी पार्षद बनकर इसी प्रणाली से ऊपर गए हैं । मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्याय जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं । सभापति महोदय, यदि ये पदों का रिजर्वेशन हटा दें तो हम भी अप्रत्यक्ष प्रणाली को समर्थन दे सकते हैं । हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। हम तो दूसरी कोई बात ही नहीं कह रहे हैं, आप किसी भी प्रणाली से करवा लो ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय सभापति महोदय, हमारे सभी सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार रखे । मूल बात यह है कि एक तरफ हम सब लोग आगे जा रहे हैं । आपकी सरकार का निर्देश है कि नामांकन फार्म ऑनलाईन जमा करें और दूसरी तरफ आप मतपत्र की तरफ जा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रहे हैं, बैलेट पेपर की तरफ जा रहे हैं । ये दोनों में विसंगति है । पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेक सभाओं में, प्रेस में ऐलान कर दिया कि हम प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा इस चुनाव को कराएंगे, सरकार अडिग है । हमने जो बोल दिया वही होगा और उसके 8,10,15 दिनों बाद उस बयान से फिर पलटते हैं और कहते हैं कि मंत्रिमंडल कर समिति ने यह फैसला किया है । जब मंत्रिमंडल की समिति से फैसला ही करवाना था तो बयान क्यों दिये । हम प्रदेश की जनता को गुमराह न करें । सभापति महोदय, अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने से बहुत तरह की विसंगति आएगी । न्यूसेंस होगा और इसलिए वह जो प्रयोग एक-एक व्यक्ति चाहे वह नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो । समाज के अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति भी सीधे मतदान प्रणाली द्वारा अपना महापौर, अपने नगर का अध्यक्ष चुनता था । हमने उस अधिकार से उसको वंचित किया, यह उचित नहीं है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को वापस लें और प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था जो कायम है उसी से चुनाव होना चाहिए, हम इस बात का समर्थन करते हैं । धन्यवाद् ।

सभापति महोदय :- श्री देवेन्द्र यादव ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ये तो डायरेक्ट चुनकर आए हैं ।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- जी हां, इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर अपनी भावनाएं व्यक्त कर पाउंगा । माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर तीन सरकारें हैं, देश की सरकार, राज्य की सरकार और शहर की सरकार । पिछले समय में देखा गया है कि जब-जब शहर की सरकार की बात आती है तो शहर की सरकार कहीं न कहीं उपेक्षित होती है, चाहे अधिकारियों की बात हो, राजस्व की बात हो या जो कार्यप्रणाली पिछले समय में जिस तरह से उनके अधिकारों में संशोधन करते गए, उसकी बात हो । आज चूंकि मैं प्रत्यक्ष प्रणाली, डायरेक्ट वोटिंग से मेयर बनकर आया । मैंने अपनी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था । मैंने कहा साहब, आपने टिकिट दे दिया, हम लोग चुनाव लड़े और जीतकर आए । बहुत सारी उम्मीदें हमारे मन में भी रही और हमने भी लोगों से खूब वायदे किये कि हम इस पॉलिसी पर काम करेंगे, हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे, हम ऐसा डेव्हलपमेंट करेंगे, हम पॉलिसीज़ पर वर्क करके पॉजिसीज़ को चेंज करेंगे । हमने बहुत सारी बातें कीं । चूंकि मैं डायरेक्ट वोटिंग से मेयर बना, मैं मेयर तो बन गया लेकिन जो हमारी सभा का नेता दूसरे पक्ष का बन गया क्योंकि उनके पार्षद ज्यादा थे । अब मैं किसी पॉलिसी को लेकर आता था, महापौर परिषद में रखता था। महापौर परिषद में उसे पास करता था और इसके बाद मैं सामान्य सभा की तैयार करता था। सामान्य सभा में जाता था और पूरी जिम्मेदारी से उस विषय को रखता था। उसमें जो जनता को फायदे होंगे, उसे मैं बताता था। चूंकि सामान्य सभा में हमारा बहुमत नहीं है, बहुमत दूसरे दल का है तो राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हमारी पॉलिसिस को, हमोर विषय को इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जाता है। यह बेसिक इश्यू है, जिसे समझने की जरूरत है। यह कोई राजनीति की बात नहीं हो रही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिम्मेदारी हे कि शहर की सरकार को हम मजबूत करें। शहर की सरकार को हम सशक्त करें। आज अन्य देशों में देखा जा सकता है कि म्यूनिसिपल के क्या पावर होते हैं ? मेयर्स के क्या responsiblilities होती हैं और वे कैसे अपने कामों को डिलीवर कर पाते हैं ? लेकिन इस बात का दुख है कि पिछले 15 सालों में मेयर्स को, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को, शहर के सरकारों के अधिकारों का हनन किया गया है। मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूं कि हम लोगों ने पिछली बार एक नया सामान्य सभा का जो हमारी वर्किंग है, उसके लिए शासन से एक निर्देश आया। जिस तरीके से सदन चलता है। विधान सभा चलती है, उसी प्रणाली में हमारी सामान्य सभा को भी संचालित करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहां पर भी प्रश्न लगते हैं। वहां पर भी हम लोग प्रश्न के उत्तर देते हैं। हमारे एम.आई.सी. सदस्य रहते हैं और पूरी जो कार्यप्रणाली है जैसे इस सदन के अंदर होती है, वैसी ही वहां पर भी होती है तो क्यों हम अपनी शहर की सरकारों को और मजबूत करने का काम न करें। क्यों हम अपनी शहर की सरकारों को उनके और उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं, उनको और अधिकार देने का काम न करें। अगर यह संशोधन पास होगा और यह निश्चित रूप से यह संशोधन पास होगा। इस संशोधन से शहर की सरकार की व्यवस्था मजबूत होगी। शहर की सरकार में चुना हुआ जनप्रतिनिधि मजबूत होगा और निश्चित रूप से वह अपने किये गये वायदों को, अपनी बातों को और अपने कर्त्तव्यों को पूरे अधिकार से अपने निर्वाचन क्षेत्र में डिलीवर कर पायेगा। इसलिए यह संशोधन आवश्यक है। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करता हूं कि हमारी राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के विचारों में परिवर्तन हो सकता है। हमारा दल कुछ और सोचेगा, आप कुछ और समझेंगे। आप कुछ और सोचेंगे, आपका विषय कुछ और होगा और हमारा विषय कुछ और होगा, लेकिन जो कार्यप्रणाली है, जो कार्य की नीति है, उसके लिए आवश्यक है कि एक दल का नगरीय निकाय में शहर की सरकार में एक विचारधारा या एक तरह से लोग आकर वहां पर बैठे ताकि वे कार्य को बेहतर कर पायें। हम किसी प्रपोजल को लेकर आते हैं, वह डेढ़ करोड़ से ऊपर होता है तो सामान्य सभा में जाता है। मैं आपको एक example बताता हूं कि साढ़े 6 हजार रूपये नल कनेक्शन का पैसा लगता है, जिनके बी.पी.एल. नहीं है और जिनके बी.पी.एल. हैं, उनको साढ़े तीन हजार का लगता है। हमने उसमें महापौर परिषद में संशोधन लाया और हमने यह संशोधन लाया कि यह पैसा पार्ट-पार्ट में दे दिया जाए। साढ़े 3 का 2 हजार कर दिया जाए और साढ़े 6 हजार का 5 हजार कर दिया जाए। 100 रूपये और 200 रूपये के आधार पर बी.पी.एल. और ए.पी.एल. को हटाते हुए इनकम टैक्स पेयी और नॉन इनकम टैक्स पेयी लेकर हम इसे कर लें। हमने महापौर परिषद में पास कर दिया। सामान्य सभा में गये तो वहां पर समस्या। इस तरीके से बहुत सारे व्यवधान होते हैं और निश्चित रूप से हमारा यह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

काम है। यह जो सदन होता है वह किसी एक बात को करके भविष्य में उसमें अगर कुछ improvement हो सके, उसमें कुछ development हो सके, कुछ अपग्रेडेशन हो सके, उसे स्वीकार करने का काम भी इस सदन का ही है। निश्चित रूप से जिस समय माननीय दिग्विजय सिंह साहब ने यह प्रणाली यहां पर लागू की थी तो समय की मांग यह थी। आप लोगों ने पिछले 15 सालों में इस पर काम करने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने इसकी खामियों को सुधारने की कोशिश नहीं की। आप लोगों ने इसमें जो-जो कमियां थीं, उन्हें सुधारने में कभी रूचि नहीं दिखायी। क्योंकि आपको शहर की सरकार के अंदर राज्य सरकार का हस्तक्षेप चाहिए था। उस हस्तक्षेप को कम करने के लिए और शहरी सरकार को मजबूत करने के लिए जो संशोधन माननीय मंत्री जी ने लाया है, मैं उसका पूरे तहेदिल से स्वागत करता हूं और सभी सम्माननीय सदस्यों से भी यह कहता हूं कि आप भी इसका स्वागत करें। इस संशोधन से निश्चित रूप से शहर की सरकार मजबूत होगी। शहर का जनप्रतिनिधि मजबूत होगा तो वह ज्यादा जनता से करीब रहता है और ज्यादा बेहतरी से शहर के विकास के लिए काम कर पायेगा। आप लोगों ने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं इस संशोधन का समर्थन करते हुए अपनी बात को रखता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय मंत्री जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, आज सदन में छत्तीसगढ़ नगर-पालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक नगरीय निकायों के अध्यक्ष के प्रत्यक्ष निर्वाचन से संबंधित है । माननीय सभापति महोदय, अविभाजित मध्यप्रदेश राज्य में 1999 के पूर्व नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों में अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता था। प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन और वर्तमान प्रणाली में नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत का गठन दो भागों में होता है। जिसमें प्रथम भाग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष तथा द्वितीय भाग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदगण शामिल होते हैं। विगत वर्षों में यह देखा गया है कि अनेक नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अध्यक्षगण परिषद में बहुमतधारी दल के भिन्न दल से निर्वाचित होते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न कारणवश पी0आई0सी तथा सामान्य सभा के मध्य सामंजस्य की कमी तथा विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित होती है, जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। कई स्थितियों में नगरीय निकाय के बजट को भी पारित करने में विलंब होने से अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन भत्ते के भुगतान आदि में विलंब हुआ है। अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित पार्षदों के माध्यम से अध्यक्ष निर्वाचित किए जाने से उपरोक्त समस्या का हल की जाकर जनहित के कार्यों को अपेक्षाकृत गति प्रदान की जा सकती है। अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का निर्वाचन, निर्वाचित पार्षदों के द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष के पद पर आरक्षित प्रवर्ग हेतु ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, उसको पटल पर रखवा दीजिये। पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या सुनेंगे। हमको कोई प्रश्न करना नहीं है और न हमको को जिज्ञासा है। पढ़ रहे हैं तो पटल में रखवा दीजिये, वितरित करवा दीजिये। खानेदार आलमारी से ले लेंगे।

सभापति महोदय :- सदन को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं।

डॉ0 शिवकुमार डहरिया :- तोर पेट मा काबर दरद होवत हे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, अभी दो दिन पहले हमारे नये साथियों के व्यवहार को लेकर सम्मानित सदस्यों की ओर से बहुत आपत्ति और टिप्पणी आ रही थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम, आप वरिष्ठों को देखकर ही सीखते हैं और आप वरिष्ठों की टोका-टाकी को देखकर ही हम लोग भी बोलते हैं। तो कृपया सदन की गरिमा बनाये रखें।

डॉ0 शिव कुमार डहरिया :- माननीय सभापति जी, अप्रत्यक्ष रूप से अध्यक्ष का निर्वाचन, निर्वाचित पार्षदों के द्वारा किया जायेगा। अध्यक्ष के पद आरक्षित प्रवर्ग हेतु आरक्षित होने पर संबंधित प्रवर्ग से निर्वाचित व्यक्ति ही प्रत्याशी बन सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन उपरांत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्वाचन हेतु निर्वाचित पार्षदों का सम्मेलन बुलाया जायेगा। प्रस्तावित व्यवस्था में अध्यक्ष को वापिस बुलाने की व्यवस्था को विलोप किया जाना प्रस्तावित है तथा निर्वाचन अर्जी पार्षदों के द्वारा पेश किया जा सकेगा। पार्षदों के प्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचन व्यय की सीमा पृथक से निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषद् के मामले में डेढ़ लाख तक तथा नगर पंचायत के मामले में 50 हजार रूपये होगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में पार्षदों के पद पर निर्वाचन हेतु न्यूतनम आयु 21 वर्ष निर्धारित किया गया है, जो पहले ज्यादा थी। अत: इससे युवा वर्ग को अध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार की मंशा अनुरूप नगरीय निकायों में वार्ड को सशक्त बनाये जाने हेतु वार्ड कार्यालय के गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचन कराये जाने से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उत्तरदायित्व का बेहतर निर्धारण किया जा सकेगा। उपरोक्त कारणों से लोकतन्त्र को मजबूती प्राप्त होगी। आदरणीय सभापति महोदय, अत: नगरीय निकायों के अध्यक्ष के निर्वाचन को अप्रत्यक्ष रीति से कराये जाने संबंधी विधेयक को पारित किया जाये।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सभापति महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2 से 21 इस विधेयक का अंग बने।**



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक को पारित किया जाए ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, सन् 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पारित किया जाए।

सभापति महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, सन् 2019 (क्रमांक 20 सन् 2019) पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**विधेयक पारित हुआ ।**

**(6) छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21, सन् 2019)**

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21, सन् 2019) पर विचार किया जाए ।

माननीय सभापति जी, सदन के विचार के लिए बहुत संक्षिप्त सा संशोधन है और बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण दो भाग में विभाजन होने के कारण पहले क्रमांक में बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र विकास प्राधिकरण और दूसरा 23 में सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्थान पर मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण जो जोड़ा गया है, इसलिए इसको लाने की जरूरत पड़ी । भूतलक्षी प्रभाव से निर्णय करके इसको लागू कर दिया गया है । इसलिए इसको लाने की जरूरत पड़ी ।

माननीय सभापति जी, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के गठन का भी निर्णय लिया है तो उसको भी इसमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ी इसलिए संक्षिप्त रूप से यह संशोधन विधेयक आया है । सरल क्रमांक 128 के पश्चात् 129 में छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण और 130 में मध्यक्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण को निरर्हता निवारण संशोधन कानून के तहत उसकी परिधि में लाया गया, इसलिए संशोधन पेश किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि चूंकि इसके पूर्व भी एक बार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

संशोधन हो चुका है, मध्यप्रदेश से हम लोगों ने जो अनुपालन किया था, उसके परिप्रेक्ष्य में और यह केवल दो बिन्दुओं पर संशोधन है तो मैं समझता हूं कि बहस का मुद्दा नहीं है। इस विधेयक को सर्वनुमति से पारित किया जाना चाहिए, आपसे आग्रह करता हूं ।

सभापति महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21, सन् 2019) पर विचार किया जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह करते हैं । हम सर्वसम्मति से पारित भी कर देते, लेकिन आजकल तो उनके मंत्रिगण आदेश करते हैं कि इस विधेयक को पारित किया जाए । इससे पहले हम लोग यह बोलते थे कि सदन से आग्रह करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए, अभी आपने सुना है । इससे पहले आपने सुना है पारित किया जाए करके ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हमने भी आग्रह किया है, सुनने का तरीका अलग होता है ।

श्री अमरजीत भगत :- मेरे आग्रह का क्या होगा, आप अंदर होकर बात करिए न । बाहर निकलकर बात करते हैं, वह ठीक नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरा पहला प्रश्न है, जिसको माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जरूर उत्तर देंगे । छत्तीसगढ़ में खेल प्राधिकरण बन गया है क्या ? मैं उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, हम लोगों ने खेल प्राधिकरण बनाने की तैयारी कर ली है और उसका गठन शीघ्र किया जा रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, भविष्य में बनेगा, उसका लेजिस्लेशन हम आज कर सकते हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं, खेल प्राधिकरण का गठन । प्राधिकरण बनाने का निर्णय हो चुका है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो अभी बना नहीं है, जिसके स्वरूप में बारे में कुछ नहीं मालूम, उसको ऑफिस ऑफ प्राफिट में आज अलग किया जाए, क्या इसमें बहस हो सकती है ? यह बताने का कष्ट करें । सभापति महोदय, इसमें व्यवस्था दें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति जी, मैंने पहले ही कहा कि केबिनेट ने और सरकार ने खेल प्राधिकरण के गठन का निर्णय ले लिया है।

सभापति महोदय :- निर्णय हो चुका है इसलिए लाया जा सकता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आप भी संसदीय कार्यमंत्री रहे हैं । मैं किसी भी बात में प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, मैं यह पूछ रहा हूं कि हाऊस में इस संबंध में जब विधान सभा चल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

रही है तो किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि खेल प्राधिकरण बन गया है या नहीं बन गया है, उस अज्ञात में हम कैसे सहमति देंगे । ये मेरा प्रश्न है, इसको आप स्पष्ट कर दें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ।

सभापति महोदय :- सरकार का निर्णय तो बहुत पहले संशोधित हो चुका है । विधान सभा के पहले ही हो चुका है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि विधान सभा को मालूम नहीं है और विधान सभा उसमें मत दे । उसमें मत दे, ऐसा कैसे हो जायेगा ।

सभापति महोदय:- माननीय विधान सभा के सभी सदस्यों को इस बात की पूरी जानकारी है, प्राधिकरण बनाये जाने का सरकार ने निर्णय ले लिया है । मैं समझता हूँ कि प्रस्ताव प्रस्तुत हो चुका है । आप चर्चा करें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, मैं चर्चा कर लूंगा । लेकिन जो परम्परा है, वह गलत डल रही है । हाऊस में किसी भी तरह का कोई चर्चा किसी सदस्य को नहीं मालूम, कैबिनेट में निर्णय हुआ होगा, मुझे असहमति नहीं है । लेकिन यदि किसी सदस्य को नहीं मालूम कि वह किस स्वरूप में हैं, कैसा है, उसके अध्यक्ष के पे-स्केल क्या होंगे, सी.ई.ओ. कौन होगा, किस-किस पद को वह आफिस ऑफ प्राफिट से अलग रखना चाहते हैं, खेल प्रशासक बनेगा कि राजनीतिक व्यक्ति रहेगा, क्या चीज होगी, जिसका हम आफिस ऑफ प्राफिट से अलग करना चाहते हैं । वह तो क्लियर हो । तब उसमें मैं कोई मत दूं या सभा कोई मत दे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- बैठ जायें थोड़ा सा, आग्रह है ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- कभी-कभी होता है।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप तो कभी-कभी कह रहे हैं । विधेयक के हर लाईन में आपको बोलना जरूरी है ।

श्री नारायण चंदेल :- कले चुप किया है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी कहा कि खेल प्राधिकरण का निर्णय हो चुका है । अब कौन व्यक्ति बनेगा, यह तो बाद में सरकार के ऊपर ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- कौन से पद को हम आऊट ऑफ प्राफिट से अलग रखना चाहते हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हर लाईन में थोड़ी न उत्तर देते हैं । उसके निर्णय, फिर खेल प्राधिकरण का वेतनमान क्या रहेगा, उसका स्केल क्या रहेगा, फिर उसकी क्राइटेरिया क्या रहेगी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप विशेष चर्चा करायेंगे तो बहुत सारे उत्तर दे देंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, बहुमत इतना प्रचन्ड है कि किसी भी चीज को पारित कर सकते हो । हाऊस में लाने की जरूरत नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- इसको देखकर इधर जाता है, उधर जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसमें यह लिख दिया जाये अध्यक्ष महोदय, सभा के किसी को मालूम नहीं है कोई भी क्या स्वरूप खेल प्राधिकरण का होगा । आप भी आसंदी में बैठे हैं, आपसे भी विधायक के नाते आग्रह करूंगा कि क्या आपको मालूम है कि खेल प्राधिकरण किस तरह बनेगा ।

सभापति महोदय :- कैबिनेट के हर निर्णय की जानकारी समाचार पत्रों में होती है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- केवल समाचार पत्रों में नहीं सभापति जी, 9-9-2019 को छत्तीसगढ़ राजपत्र के संस्करण में प्रकाशित हो चुका है ।

सभापति महोदय :- राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां है, बताओं ना । हमको क्यों नहीं दिये । हाऊस से क्यों बचना चाहते हो ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपको राजपत्र भेज दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज क्यों नहीं भेजे । बहस से पहले क्यों नहीं भेजे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति जी, यह तो बहुत ही दुर्भाग्य है कि देखते नहीं तो हम उसको क्या करें ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- ऑन लाईन से निकाल ले कर ।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, राजपत्र की प्रतिलिपि हर माननीय विधायक को प्रदान की जाती है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपकी व्यवस्था पर मैं कोई प्रश्न नहीं उठाऊंगा । बिल्कुल मैं मानूंगा लेकिन यह गलत परम्परा हाऊस में हो रही है जो संस्था का स्वरूप सामने नहीं आया है, उसका बिल लाते या जिस स्वरूप में पेश करते, उसी में लिख देते, इसको हाऊस ऑफ प्राफिट से अलग रखा जायेगा । उसी में लिख देते । अज्ञात को लाने की क्या जरूरत थी ।

सभापति महोदय :- यह हमेंशा आता ही है । सदस्यों को निर्हरता निवारण की जो सूची है, उसमें हमेंशा इनकार्पोरेट किया जाता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन को जनता ने चुना है, मैं भाग लूंगा । मेरे दल के साथी भाग लेंगे । लेकिन ऐसा लेजिसलेशन नहीं होता, जो चीजें विधान सभा के सामने में प्रस्तुत नहीं हुई है, आफिस ऑफ प्राफिट में रखें ।

सभापति महोदय :- मैंने अनुमति दी है । इसी सदन में उस समय आपको आपत्ति करना था । जब पुरस्थापन हुआ तब आपत्ति करना था । पुरस्थापन हुआ, तब आपने आपत्ति नहीं की ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम कानून बनाने की प्रक्रिया में है । कानून बनाने की प्रक्रिया में इस खेल विकास प्राधिकरण का उल्लेख किया है, वह खेल विकास प्राधिकरण के बारे में कोई प्रारूप नहीं बना है । उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है । एक कैबिनेट का निर्णय हो गया, कैबिनेट का निर्णय होकर वह अधिसूचित हो गया, इससे नहीं होता है । जब तक उसके बारे में कोई निर्णय नहीं हो जाये, पूरा प्रारूप नहीं बन जाये, तब तक काल्पनिक रूप से उसका उल्लेख करना यह औचित्यपूर्ण नहीं है । आप उसमें यह कर सकते थे...।

सभापति महोदय :- जब विधेयक पुरस्थापन हुआ, उस समय किसी ने आपत्ति नहीं की । हम सब ने उसकी अनुमति दे दी है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उसमें ये कर सकते थे। मैं आपको यह सुझाव भी देता हूं कि आप उसमें ये भी कर सकते थे कि और कोई ऐसे अन्य प्राधिकरण या अन्य आयोग या अन्य निगम जिसमें विधायक को बनाया जाता है उसको हम इससे अलग करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- राजपत्र में है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप इसको अलग से कर सकते हैं। राजपत्र में तो केवल आपका केबिनेट का डिसीजन आयेगा।

सभापति महोदय :- सदन में प्रस्ताव आ चुका है, अब इसे रोका नहीं जा सकता।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- रोकना नहीं है। हम रोक नहीं रहे हैं, हमारा कहना है कि प्राधिकरण शब्द का हटा दें। उसमें से खेल प्राधिकरण को हटा दें। उसमें से हटा दें। खेल विकास प्राधिकरण का जो उल्लेख किया है, उसमें से उसको हटा दें।

सभापति महोदय :- आप अपने भाषण में कहें, मंत्री जी को मंजूर होगा तो उसका जवाब देंगे। अपने रिप्लाई में मंत्री जी कहेंगे ना। देखिए, प्रथम दृष्टया जब पुर:स्थापन हुआ तब आप लोग सब खामोश थे, अब सदन में प्रस्ताव आ गया है तो इस पर चर्चा होगी। माननीय अजय चन्द्राकर जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, ये लेजिस्लेशन असेंबली है लेजिस्लेशन असेंबली में अगर लेजिस्लेशन पर चर्चा नहीं होगी, हम गलत लेजिस्लेशन पास करेंगे, बहुत कम चर्चा लेजिस्लेशन के बारे में होती है, मेरा आपसे आग्रह है कि।

सभापति महोदय :- पुर:स्थापन हुआ तब आप क्या कर रहे थे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं उस समय सो रहा था, मैं नहीं बोल पाया। आज मैं जाग गया हूं और मैं जागकर अपनी गलती स्वीकार कर बोल रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- आप सोते से जागेंगे तो विधानसभा रूक नहीं सकती। चलिए, चर्चा जारी रहेगी।

श्री संतराम नेताम :- आप पुन: एक बार सो जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, लेजिस्लेशन के मामले में मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, सुन तो लीजिए। आप बोल रहे हैं कि विचारण होगा, पारित होगा तब होगा लेकिन हमको सुनेंगे तब न आप। आप बृजमोहन जी जो बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए। सुनने के बाद फिर उसमें आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय :- वह वही बात कह रहे हैं जो पहले कह चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि इसी प्रकार से लेजिस्लेशन होगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है आप पारित कर दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यदि हमें लग रहा है कि कोई गलत निर्णय हो रहा है तो जिस समय गलत हो रहा है उसको रोका जा सकता है। आप केवल इसको नियमों की आड़ लेकर इसे रोक दें, बहुमत है, बहुमत में आप जो पारित करना चाहें कर दें परंतु रिकार्ड में यह भी दर्ज रहेगा कि जब गलत लेजिस्लेशन बन रहा था तब हमने आपत्ति की थी। हम चाहते हैं कि ये भी दर्ज होना चाहिए। आप आसंदी पर विराजमान हैं।

सभापति महोदय :- आप जो कह रहे हैं सब रिकार्ड हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, समय बेकार नहीं हो रहा है लेजिस्लेशन के मामले में। आप ये विधानसभा का अपमान कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं, आप जो कह रहे हैं सब रिकार्ड हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यदि लेजिसलेशन के मामले में समय बेकार हो रहा है तो यह विधानसभा का अपमान है। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, यह रिकार्ड में आयेगा कि लेजिस्लेशन में चर्चा से सदन का समय बर्बाद हो रहा है।

सभापति महोदय :- मैं कह रहा हूं कि आपकी बात रिकार्ड हो रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कानून बन रहा है, कानून के ऊपर चर्चा हो रही है और ये विधानसभा लेजिस्लेशन असेंबली है और यहां कानून के ऊपर चर्चा नहीं होगी तो किस पर होगी। आपको सुनना चाहिए। आप जो निर्णय करेंगे हम बाध्य होंगे, पर आप हमें यदि बोलने से रोकते हैं तो मुझे लगता है कि यह एक अच्छा निर्णय नहीं होगा, एक अच्छा आदर्श नहीं होगा और इसलिए जो हमारे विधानसभा के पटल पर अभी तक प्राधिकरण के मामले में भी सपलीमेंट्री बजट आया उसके लिए कोई बजट रखा गया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

क्या? मुख्य बजट में कोई बजट रखा गया क्या? असेंबली में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं हुआ है और जिन चीजों का असेंबली में उल्लेख नहीं हुआ है उन चीजों को किसी कानून में उसका उल्लेख करना ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि लेजिस्लेशन के विरूद्ध होगा। इसलिए खेल प्राधिकरण को आप हटा दें उसके बाद इसे पारित कर दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय :- देखिए, विधेयक की प्रति सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई जाती है। सर्कुलेट होती है और उसका आपने अध्ययन किया होगा। जब पुर:स्थापन हो रहा था तब आपने कोई आपत्ति नहीं ली, अब सदन में प्रसताव आ गया है इसलिए इस पर चर्चा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इस स्वरूप में यदि विधानसभा में चर्चा होती है, मध्य क्षेत्र और उसको आपने विभाजित किया, भूतलक्षी प्रभाव से भी आप लागू करने जा रहे हैं, उस संबंध में भी आपने विधानसभा को कोई सूचना नहीं दी है, केवल एक कानून का प्रारूप दे दिया है। आपने कितना कार्यक्षेत्र बनाया है, क्या कार्यक्षेत्र बनाया है, आप आफिस ऑफ प्राफिट से अलग कर लीजिए, हमारी उसमें सहमति है लेकिन आप फिर सुन लीजिए कि उसका स्वरूप क्या होगा, राजनीतिक व्यक्ति बैठेगा, गैर राजनीतिक व्यक्ति बैठेगा?

सभापति महोदय: - वह तो आयेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, (नाराजगी व्यक्त करते हुए) आप पारित कर लीजिए, चलिए। हम लोग कोई बहस नहीं करते।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि लेजिस्लेशन का काम हो रहा है, आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- नाराज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो नया स्टाईल ला रहे हैं न, आप लाईये और कर लीजिए, इतना प्रचंड बहुमत आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है। आप अच्छी-अच्छी परंपरा ला रहे हैं, पारित कर लीजिए। हमने सारी बातें सुन लीं।

श्री रविन्द्र चौबे :- सभापति महोदय, तो थोड़ा मुस्कराकर बोल दो।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय चौबे जी, सवाल, व्यक्ति से नाराज नहीं है, व्यवस्था से नाराज है। जिस प्रकार की आप व्यवस्था बनाना चाहते हैं, नाराजगी उससे है। माननीय वरिष्ठ सदस्य बोलना चाहते हैं, आप कोई कानून बनाना चाहते हैं, क्या सदन के सदस्य उस पर विचार व्यक्त नहीं कर सकते ?

श्री रविन्द्र चौबे :- किसने कहा, किसने मना किया ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX] [6] (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आसंदी पर ऐसा आरोप बिल्कुल नहीं लगाना है।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं, ऐसा अगर कहेंगे तो कैसे सदन चलेगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- बताईये, ऐसा आप कहेंगे तो कैसे सदन चलेगा ?

सभापति महोदय :- मैं माननीय बृजमोहन जी ने जो बात कही, उसे विलोपित करता हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, मेरे को अनुमति देंगे क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, मैं तो सदन में हंसी कर रहा हूं, आप क्यों नाराज हो रहे हैं ?

सभापति महोदय :- नाराज नहीं हो रहा हूं, आपने जो कहा है, उसको मैंने विलोपित किया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- सभापति जो, आप इतना गंभीर हो गये हैं, मुझे दिक्कत आ रही है। आप इतना गंभीर होना छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, आपकी आज्ञा हो तो बोलूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि, आप जब तक ज्यादा कोन्टे नहीं बनेंगे तब तक मजा नहीं आयेगा।

सभापति महोदय :- मुझे नीचे आने दीजिए, आपको मजा दिलाऊंगा। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं बोल लूं।

सभापति महोदय :- जी-जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- सभापति जी, यह आप जो निर्हरता कानून ला रहे हैं उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है। क्योंकि हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं। आप 13 लोगों को तो रोजगार मिला हुआ है, आप लोग 13 मंत्री हैं। बाकी लोगों की भी रोजगार का इंतजाम हो रहा है तो उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है। 100-150 तो पहले से उसमें मुफ्त हैं ही, उसमें आपके कुछ लोग अभी से रूमाल रख दिये हैं। कुछ हमारे भी इन साथियों को अगर आप रखेंगे तो उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप भले एक तरफ बयान दिये हैं कि 10 हजार लोगों को रोजगार दिये हैं, वह तो नहीं मिला है। 5 लाख लोगों को वह नहीं मिला है। 5 लाख नहीं आप अगर 50 की ही चिंता कर लें तो ठीक है। इनकी आपत्ति यह थी कि जो खेल प्राधिकरण के बाद उसका स्वरूप, बच्चा पैदा होने वाला है, नामकरण पहले हो रहा है। मान लो लड़की हो गया तो, मान लो लड़का हो गया तो, सीता नाम रखे हो, मान लो रमेश नाम रखे हो, सीता हो गयी तो या और कुछ हो जाये तो, पहले उसका पूरा स्वरूप बता दीजिए। मान लीजिए, कल आप इससे मुक्त करा लिये।

श्री कवासी लखमा :- साहब, ऐसा नहीं होगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- भैया सुनो न, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे यह बताईये मान लो पास

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होने के बाद वे फिर बोलेंगे कि प्राधिकरण के अध्यक्ष को 10 लाख रूपया मिलेगा, तेंदुलकर टाईप उसको महीना मिलेगा। फिर कैसे होगा ? उसका पूरा हिसाब-किताब बताकर कर लीजिए और मुक्त करिये। मैं तो चाहता हूं कि हमारे इन मुरझाये हुए चेहरों पर चमक आये। मैं चाहता हूं कि बेचारे गाल में हाथ रखे बैठे हैं, उनको भी वहां से कुछ मिले और आप इकट्ठे 100-200 पद को मुक्त करा लो, मैं बोल रहा हूं। इसमें आप लिख दो, सभापति जी, मैं आप सबके हित की बात कह रहा हूं। (हंसी) आप उसमें लिख दो, ये दो प्रति के रूप में लिखे गये हैं, अभी हम इसमें और 98 पद लाभ से मुक्त करेंगे। हम उसको भी राजी करेंगे लेकिन मैं हंसी देखना चाहता हूं। देखिए, जगदलपुर वाले चुप बैठे हैं, रामकुमार जी चुप बैठे हैं, साहब हम तो मुस्कुराहट बिखेरना चाहते हैं। आप सरकार से मुस्कुराहट लाने की कोशिश करिये। आप लोग तो मंत्री हो, अभी आप लोगों को दर्द समझ में नहीं आयेगा। मैं जो मंत्री नहीं हैं, उनके दर्द की बात कह रहा हूं। मैं तो इनके दर्द की बात कह रहा हूं। उनको एक-एक लाख रूपया, दो-दो लाख रूपये महीने वाला पद दो। इसमें लिख लो दो में और 98 जोड़ेंगे, 100 पद को हम मुक्त करते हैं। जो मन आये, वह पद को मुक्त करो, पर इनको कम से कम बना दो। यही हमारा कहना है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, यह जो है, आपका जो प्राधिकरण आया है। अभी अंधों की हाथी टाईप का है, एक नाटक है। वह सुड़ पकड़ेगा तो उसका सुड़ है, हाथी ऐसा बोलगा, कोई कान पकड़ेगा तो कान टाईप लग रहा है, पैर पकड़ेगा तो हाथी के पैर टाईप है। कोई बताने को तैयार नहीं है। (व्यवधान) आप अलग कर लो।

सभापति महोदय :- माननीय संतराम जी।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय।

श्री उमेश पटेल (खेल मंत्री) :- माननीय सभापति महोदय, केबिनेट में इसका फैसला हो चुका है, गठन भी हुआ है, राजपत्र में जारी भी हुआ है। अभी यह जो लेजिसलेशन लाया जा रहा है, वह सिर्फ प्राफिट के उससे हटाने के लिये किया जा रहा है। ये चीज पहले भी हुआ है। पहले जब कई सारे प्राधिकरण बने हैं, उसको हटाने के लिये इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया है। आज अचानक से आप लोग सब उसका विरोध कर रहे है। मुझे लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पहले भी इसी प्रक्रिया का उपयोग किया गया है। आज भी उसी प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है वैसे ही कैबिनेट से फैसला हुआ है, वैसे ही राजपत्र में जारी हुआ है और वैसी सारी चीजें चल रही है, बस इतना फर्क है कि आज अजय चन्द्राकर जी उधर बैठे हैं और हम लोग उधर बैठे है। मैं आप लोगों से निवेदन यही कर रहा हूँ कि ये बहुत सामान्य सी बात है और आप लोग इसको सर्वसम्मति से पास करें, यही मेरा आग्रह है।

श्री अजय चन्द्राकर :- विद्वान मंत्री, आपको मालूम होगा कि इतनी सारी प्रॉपर्टी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने बनायी, मैंने अपने बजट अभिभाषण में पहले जब आप खेल मंत्री थे तब कहा था

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि इन सब के मैटेनेंस, नियम के लिए प्राधिकरण बनायी जाये, मैं उसके समर्थन में हूँ। पर विधान सभा में लेजिस्लेशन को जिस तरीके से किया जा रहा है और जो परम्परा, माननीय संसदीय कार्यमंत्री का स्वरूप पिछली बार से बदला हुआ है वह आश्चर्यजनक है और विधान सभा की अवमानना है, मेरा विषय यह है। आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेरा विषय नहीं है।

श्री उमेश पटेल :- इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल तो पहले भी आप लोग किये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह पास है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो संशोधन विधेयक लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। बस्तर प्राधिकरण का ...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- यह पास हो गया, बोलने की क्या जरूरत है?

श्री संतराम नेताम :- नहीं।

श्री सौरभ सिंह :- एमा जेतका कन जुड़त हे, तेमा काकर, काकर का व्यवस्था हे, तेला बता देव पहली। ते बढ़िया चीज हे। तुहरे सब व्यवस्था होवत हे।

श्री संतराम नेताम :- वह 5 साल क्या, आप लोगों को 15 साल नहीं मिलने वाला।

श्री सौरभ सिंह :- हमन चाहत हन कि तुमन ला कुछु-कुछु सब मिल जतिस। बढ़िया हमर रामकुमार भाई ओदे बइठे हे।

श्री संतराम नेताम :- आपको सर्वसम्मति से पास कह देना था।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- हो गया।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, ऐसा। जैसा आपका आदेश। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अरे भईया विरोध करने वाले तो बाहर चले गये।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मेरा उसमें एक सुझाव है कि ये मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण सरगुजा और बस्तर पहले से है। मध्य क्षेत्र को नया बनाया गया है। सामान्य रूप से हमारा आशय यह था कि सरगुजा और बस्तर को छोड़कर जो बाकी जगह है जहां पर आदिवासी समाज बाहुतल्य में रहते है, ये सरगुजा और बस्तर से उनको सामान्यत: लाभ नहीं मिलता, ये वंचित हो जाते हैं। मध्य क्षेत्र प्राधिकरण बनने के बाद में इनको लाभ मिलेगा। लेकिन अभी जो उसका दायरा है उसमें वह शामिल नहीं हो रहे हैं केवल उसका पद सृजित हो रहा है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हीं को लाभ मिल रहा है जो उत्तर और दक्षिण बस्तर में रहे हैं। मेरा आग्रह यह है कि मध्य क्षेत्र में आदिवासी समाज बड़ी संख्या में निवास कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बल्कि उनको भी उसका लाभ मिले तो मुझे लगता है कि इसको बनाना सार्थक होगा। इस पर थोड़ा सा विचार कर लेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय सभापति महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी सुझाव दे रहे हैं। इसका गठन इसीलिये किया गया है कि उन वर्ग को जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, उनको लाभ मिले और उसके लिए भी निर्देश जारी हो चुका है जिस प्रकार से नार्थ और साउथ में बस्तर और सरगुजा के लिए विकास प्राधिकरण में हम लोगों ने सारे नार्म्स रखे हैं मध्य क्षेत्र के भी ट्रायबल क्षेत्र में विशेष रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हितग्राही मूलक योजनाओं में पोषण से, हैल्थ से एजुकेशन से और भी किस प्रकार से उनको मदद की जाये। ये सब जोड़ना है। इसलिए तय है निश्चित रूप से आपका सुझाव है गठन के समय इसमें चर्चा हुई है, लेकिन ..।

समय :
4:28 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं-नहीं। उसमें जो अभी पत्र गया था और जो सरगुजा और बस्तर में जो पुराने जो गांव जुड़े हुए, उसको छोड़कर के एक भी गांव शामिल नहीं है। अब क्या है यहां भी कुछ-कुछ मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन होता नहीं है और बाहर की बात तो छोड़ दीजिए कि आप लोग क्या-क्या बोलते हैं। हाऊस के अंदर बोलते हैं कम से कम आप लोग उसका तो निर्वहन करें, हाऊस के बाहर में उसको भी भूल जाते हैं। तो यदि इसका सार्थक तभी है जब मध्य क्षेत्र यदि जोड़े हैं तो मध्य क्षेत्र के आदिवासियों को उसका लाभ मिलना चाहिए, वे उससे वंचित मत रहे। ये आप सुनिश्चित कर लें।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो ऑफिस और प्रॉफिट से उसको अलग करने के लिए यह विधेयक था। गठन, उददेश्य किस तरीके से प्राधिकरण काम करेगा और खेल प्राधिकरण में कितना प्रश्न हुआ। माननीय अजय जी ने कह दिया कि उसको वेतन कितना मिलेगा ? दायरा क्या रहेगा। अजय जी, आज उस पर चर्चा नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो संसदीय कार्यमंत्री बोले कायदा, हमने इस पूरे सत्र में यह मान लिया और पूरी सरकार में हम यह मान लेते हैं। जो आप बोले वह कायदा और बाकी हम सब बेकायदा।

श्री रविन्द्र चौबे :- नहीं ऐसा नहीं है। आप यहां कानून बनाने जा रहे हो तो आप सबका 15 साल का अनुभव है। आप संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, बृजमोहन जी संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, आदरणीय धर्म भैया तो आसंदी तक रहे हैं, माननीय डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हैं, आप लोगों के सुझाव को निश्चित रूप से सदन में हम सुन रहे हैं और आने वाले समय में उसको क्रियान्वित करेंगे। माननीय अध्यक्ष

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, जैसी पूरे सदन की इच्छा है, इसको पारित किया जाये। मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि इसको सर्वानुमति से पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पर विचार किया जाय।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खंडों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विधान मण्डल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 21 सन् 2019) पारित किया जाय।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

**(7) छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019)**

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पर विचार किया जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, छततीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन पुलिस कर्मियों के विरूद्ध पीड़ित या उनके निकट संबंधी द्वारा शपथ पत्र समर्थित शिकायत या पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये गंभीर अवचार की जांच स्वतंत्र इकाई से कराने के उद्देश्य से किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदमी जब कोई विवाद होता है, कोई पीड़ित होता है, कोई घटना होती है तो न्याय पाने के लिए पुलिस के पास जाता है और पुलिस से अपेक्षा रखता है कि वहां से न्याय मिलेगा। लेकिन किसी व्यक्ति को, परिवार को अगर पुलिस के द्वारा प्रताड़ना हो रही हो, पीड़ित हो रहा हो तो व्यक्ति न्याय पाने के लिए कहां जाये? इसलिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत इस पुलिस प्राधिकार का गठन किया गया है। यहां व्यक्ति अपनी पीड़ा, अपनी समस्या, अपना शपथ पत्र दे सकता है और वहां पुलिस द्वारा प्रताड़ित है तो उसको न्याय मिले, छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकार का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायायल.।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कानून को पास करवाने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, आप देखें गृह विभाग का एक भी अधिकारी उपस्थित नहीं है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विभाग के सेक्रेटरी नहीं हैं, कानून पास हो रहा है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सेक्रेटरी बैठे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सेक्रेटरी नहीं हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सेक्रेटरी बैठे हैं। पुलिस विभाग के सेक्रेटरी बैठे हैं। पी.एस. नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कानून पास होते समय होना चाहिए या नहीं ? पी.एस. होना चाहिए या नहीं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सेक्रेटरी हैं, आपने सेक्रेटरी की बात उठाई, सेक्रेटरी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हमको उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, पर आपसे आग्रह है कि कम से कम जब कानून बने उस समय तो विभाग के वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी को उपस्थित रहना चाहिए। क्योंकि सदन में कानून बनाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। माननीय मंत्री जी, आपसे भी आग्रह है कि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें तो इससे विधानसभा का सम्मान बढेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, इससे विधानसभा का सम्मान बढ़ेगा । आपका सम्मान बढ़ेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- विधानसभा का सम्मान बढ़ेगा और आपकी लियाकत दिखती है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- भविष्य में ध्यान देंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इसका गठन हुआ है और अधिनियम 2007 की धारा-38 के अनुसार राज्य शासन द्वारा किया जाता है इसमें सेवानिवृत्त जो न्यायालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा-38

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के अनुसार राज्य शासन द्वारा किया गया है और इस संस्थान में राज्य शासन द्वारा सभापति सहित नामनिर्दिष्ट चार सदस्य होते हैं । संस्थान के सभापति पद पर माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नाम निर्दिष्ट किये जाते हैं । इनमें कम से कम एक महिला आवश्यक होती है, उनका नाम निर्दिष्ट किया जाता है । अभी वर्तमान में संस्थान में सभापति का और सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है और 2 साल उनका कार्यकाल समापन होने के पहले नई नियुक्ति हो जानी चाहिए । कभी-कभी कार्यकाल समाप्त होने लगता है और नई नियुक्ति नहीं हो पाती तो उसमें मात्र इतना किया गया है कि अधिकतम 6 माह तक या नई नियुक्ति तक जो अवधि कम हो इनको काम करने का दिया जाये, केवल यही हम इसमें संशोधन पेश कर रहे हैं । संस्थान के सभापति के पद पर राज्यशासन द्वारा उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नामनिर्दिष्ट करना होता है । कार्यकाल अवधि समाप्त हो जाने से पूर्व नये सभापति को नामनिर्दिष्ट करना होता है । नामनिर्दिष्ट होने में अपरिहार्य कारणों से विलंब की स्थिति में प्राधिकार का कार्य प्रभावित न हो, पीड़ित व्यक्ति को जल्दी से न्याय मिले । अगर वहां पर सदस्य नहीं है, कार्य बंद है तो पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता इसलिए इसको किया जा रहा है कि इसे ध्यान में रखकर यह संशोधन विधेयक सदन में लाया गया है । इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभापति अपने उत्तराधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने तक या आगामी 6 माह की अवधि तक जो भी पहले हो पद धारण करेंगे । मात्र इतना संशोधन है अत: विधेयक सदन में पारित किये जाने हेतु प्रस्तुत है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि- छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पर विचार किया जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

**खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने ।**

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि - छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 22 सन् 2019) पारित किया जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ ।**

समय :
4:40 बजे

**अशासकीय संकल्प**

**(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में अविलम्ब हवाई सेवा प्रारंभ की जाना.**

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से मांग करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में अविलम्ब हवाई सेवा प्रारंभ की जाए।"

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ कि सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में अविलम्ब हवाई सेवा प्रारंभ की जाए ।"

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख शहर है । जहां छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी हाईकोर्ट स्थित है । बिलासपुर में ही साऊथ इस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय है और इस मुख्यालय के माध्यम से पूरे देश में जितने कोयले का उत्पादन होता है उसका 25 प्रतिशत उत्पादन बिलासपुर के कोल फील्ड्स लिमिटेड से हम करके, पूरे देश को शक्ति देने का काम करते हैं । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में एन.टी.पी.सी. का बहुत बड़ा कारखाना है और कोरबा में एन.टी.पी.सी. के कारखाना सहित कोरबा में बालको का भी बहुत बड़ा कारखाना है, कोरबा में स्टेट पावर कंपनी का भी बहुत बड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है । साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है, वह पूरे देश में सबसे ज्यादा आमदनी देने वाला रेल्वे जोन भी है । इतने बड़े-बड़े संस्थान होने के बाद भी बिलासपुर में वायुसेवा की सुविधा न मिलना, हम सबके लिए अत्यंत निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । अध्यक्ष महोदय, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

राजधानी के बाद बिलासपुर की घनघोर उपेक्षा हो रही है, जब हम यहां राजधानी में घूमते हैं तो यहां की सड़कों को देखते हैं, यहां के हवाई अड्डे को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम कोई गांव में रहने लगे हैं । एक ज़माने में बिलासपुर का अपना बहुत महत्व रहा करता था । राजनीतिक रूप से भी उसकी पूरी दखलंदाजी हुआ करती थी और वहां पर से बड़े-बड़े निर्णय किये जाते थे। अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर में चकरभाठा का एयरपोर्ट, अंग्रेजों के समय का एयरपोर्ट है । मैं आपको विनम्रतापूर्वक यह भी बताना चाहता हूं कि जब डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार थी तो वहां पर 300 एकड़ सरकारी जमीन और 900 एकड़ गांव के किसानों ने अपनी जमीन को आर्मी बेस कैम्प के लिए मुआवजे लेकर दिया । यानी चकरभाठा के आसपास 1200 एकड़ सरकारी जमीन डिफेंस के पास रिज़र्व है । वह एयरपोर्ट भी डिफेंस के ही अंदर में है । सरकार की एक योजना चली रिज़नल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत डॉ. रमन सिंह की सरकार के समय जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में विमान सेवा का संचालन करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ प्रयास शुरू हुआ । डीजीसीए दिल्ली से सार्वजनिक उपयोग हेतु 2सीवीएफआर श्रेणी का लायसेंस बिलासपुर को प्राप्त हो गया है लेकिन इस एयरपोर्ट को 2सी लायसेंस मिला है तो एक छोटा सा ही एयरक्राफ्ट वहां पर उतर सकता है और वह एरोप्लेन हिंदुस्तान में किसी भी विमान कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है, जो उतने छोटे प्लेन की सर्विस दे सके और फायदेमंद भी नहीं है । इसलिए मैं यह चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री से मिलें और माननीय विमानन मंत्री से मिलकर बिलासपुर को हवाई सेवा देने के लिए 3सी लायसेंस की तत्काल रिक्वायरमेंट है । 3सी लायसेंस लेने के बाद वहां पर 1500 मीटर रनवे में 78 सीटर एटीआर विमान तुरंत उतर सकता है । इसके लिए थ्री सी. लाइसेंस मिलने के बाद वहां पर जो 1500 मीटर रन वे है, उसमें 78 सीटर ए.टी.आर. विमान तुरंत उतर सकता है। इसके लिए 3 सी. केटेगरी लाइसेंस के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार को सिर्फ 5 करोड़ रूपया बिलासपुर के लिए खर्च करना पड़ेगा और उससे विमानतल सर्वसुविधायुक्त होकर के 78 सीटर प्लेन उतरने के लायक हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के लिए मांग नहीं कर रहा हूं। मुझे इस बात में कोई नहीं है कि रिजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत वहां प्लेन चलाए जाएं। हम उसकी मांग भी नहीं कर रहे हैं। मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद रूचि लें और केन्द्रीय रक्षा मंत्री से चूंकि वह एयरपोर्ट भी डिफेन्स का ही है, उसमें 100 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी और मुश्किल से 5 से 10 करोड़ रूपये की जरूरत पड़ेगी, उसे आप जरा लगाकर वहां एयर स्ट्रीफ बढ़ा देंगे तो बड़ा विमान भी वहां उतरेगा। वह बहुत ही सुरक्षित जगह है। वह आर्मी के अंदर है और फोर सी. लाइसेंस को ही अगर आप लेंगे तो सिर्फ 2500 मीटर का 45 मीटर रन वे बनाने के लिए 100 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी और उसमें बड़ा वाला बोइंग भी उतर सकता है। अभी सब कुछ होने के बाद भी हमें हमारे

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हक से वंचित किया जा रहा है। बिलासपुर की जनता वहां आंदोलन कर रही है। सर्वदलीय आंदोलन हो रहा है। उस आंदोलन में कई दिन तक मैं बैठा और कई विधायक उसमें अपना समर्थन दे रहे हैं। अपने-अपने स्तर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब 2500 करोड़ रूपया रेत के ठेके से हमारी सरकार को मिल रहा है और उसमें रायपुर, बिलासपुर, और जांजगीर-चांपा, कोरबा का भी हिस्सा है तो मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि आप बिलासपुर के हित के लिए आगे आइए। आप बड़े दिल से आगे बढ़कर के हमारे बिलासपुर को चकरभाठा हवाई अड्डे के लिए मदद करके उसे बनाइए। एन.टी.पी.सी. बिलासपुर में है। वहां की जमीन का वितरण हुआ, किसानों से लिया गया। मैं उस मीटिंग में था। वहां पर इतना बड़ा विशाल प्लांट लगा। हमने उसे देखा। उसके उद्घाटन के अवसर पर भी हमने वहां देखा। बिलासपुर के एन.टी.पी.सी. के कारण वहां का तापमान गर्मियों के दिन में बहुत बढ़ा हुआ रहता है। वहां का सी.एस.आर. मद का पैसा जो कि करोड़ों रूपयों में है, वह रायपुर में लाकर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए किसी मेडिकल कॉलेज को वहां का पैसा यहां आ गया। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोल इंडिया बिलासपुर की धरती को चिरकर के जो कोयला निकाल रहा है। एन.टी.पी.सी. जो बिलासपुर की धरती पर धूल धुआं धक्का देकर हमारे लोगों को गर्मी दे रहा है। बिलासपुर में रेलवे के जो दूसरे संस्थान हैं साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड लिमिटेड और एस.ई.सी.आर. जो रेलवे का है, वह पूरी दुनिया को आमदनी दे रहा है। ट्रेक खाली नहीं है। उसमें अच्छी ट्रेन नहीं चल सकती है। हम पिछड़े क्षेत्र में जरूर हैं, लेकिन हवाई जहाज चढ़ने का हमारा भी अधिकार है और बाबा साहब, जब में चढ़ेंगे तो आपको दिल्ली जाने के लिए जब भी वहां से दिल्ली का बुलउवा होगा तो आप बिलासपुर से ही दिल्ली जा सकते हैं। मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बिलासपुर में दो सौ, डेढ़ सौ नहीं, तीन सौ वाला हवाई जहाज उतरे। अंबिकापुर क्यों छोड़ दे रहे हैं ?

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं कहां मना कर रहा हूं। मैंने तो पहले ही अंबिकापुर पढ़ा। आप शायद सुने नहीं कि डॉ. रमन सिंह के जमाने मे..।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- वो आपने क्षेत्रीय बोल दिया न कि आप उसमें विरोध कर रहे हैं तो..।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यह बोला कि कनेक्टिविटी योजना में बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर तीनों लिया गया है। वो चले। इसमें आपत्ति नहीं है। मैं यह मांग जोर देकर कर रहा हूं कि बिलासपुर से कलकत्ता, बिलासपुर से मुंबई, बिलासपुर से दिल्ली वाली बड़ी सुविधा हमें जरूर उसमें दिया जाए। उसके लिए जो बनाने के लिए आप..।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- बनारस भी।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, अंबिकापुर हो या बनारस कोई दिक्कत नहीं। अंबिकापुर से दिल्ली चले। हम तो चाहते हैं ही है। उसमें दिक्कत क्या है।

श्री कवासी लखमा :- ठाकुर साहब, हमारे चुनाव के समय नरेन्द्र मोदी जी ने बटन दबाया। कब उड़ने वाला है पता नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, उसके लिए पहल करो न। हम तो आपके साथ तैयार हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने बटन दबा दिया, कहां चले गया, हम आपके संग चलकर खोजेंगे।

श्री कवासी लखमा :- दोनों साथ चलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, वहां हाई कोर्ट भी है। हाई कोर्ट में बड़े-बड़े वकीलों को लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन से उनको आना पड़ता है। बहुत लंबा खर्चा लगता है। हाई कोर्ट में चार्टर्ड प्लेन वालों को दिक्कत नहीं होगी। अगर दिल्ली से वहां कोई प्लेन सर्विस शुरू हो जायेगा तो वे सीधे उतर जायेंगे। एक होटल बस का खर्चा लगेगा। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि कि बिलासपुर बहुत उपेक्षित रहा है। बिलासपुर अभी बहुत दंश झेल रहा । बिलासपुर के लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आज प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी से बहुत ही विन्रमतापूर्वक विनती करता हूँ कि आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) समर्थन करें।

श्री धर्मजीत सिंह :- हां, समर्थन भी करेंगे। बिलासपुर की मांग का कौन विरोध करेगा, मैं यहां सुनना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कौन विरोध में बोलेगा, बोले भला। (हंसी) तो अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आप दिल्ली में राजनाथ सिंह जी से मिल लीजिये। आर्मी की जमीन को आर्मी के एयरपोर्ट को देने में दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर आपको थोड़ा-बहुत खर्चा बताते हैं तो हम लोग अमीर धरती के अच्छे लोग हैं, गरीब जरूर है मगर हम लोग भी दिल के बड़े अमीर हैं। आप सरकार के पैसे 2,4,5 करोड़ के लिए बोल दीजिये कि हम बना देंगे, यदि आप नहीं बना सकते तो। जब आप ऐसा बोलेंगे न, तो वे प्लेन चलाने से मना नहीं कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी भी इच्छा है । पहले वहां वायुदूत चला करता था। पहले वहां से अर्चना एयरवेज का प्लेन चलता था। हमारी भी बड़ी दिली इच्छा है कि हम घर से एयरपोर्ट जा रहे हैं, करके बिलासपुर चकरभाठा में जाये और प्लेन में बैठकर दिल्ली में उतरें। तो हमारी इस इच्छा की पूर्ति आप करेंगे। बाबा साहब, आप भी करेंगे। अम्बिकापुर के चक्कर में बिलासपुर का गड़बड़ मत हो।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री टी0एस0 सिंहदेव) :- अम्बिकापुर को तो रीजनल में जोड़ दीजिये। हम लोग डायरेक्ट नहीं मांग रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- अम्बिकापुर में तो प्लेन ही प्लेन चलवाओ। क्योंकि अम्बिकापुर का रोड इस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लायक ही नहीं है कि हम अम्बिकापुर जा सके। आप प्लेन चलवा दो, हम आपको साधुवाद देंगे। दादी, आपको जगदलपुर से आने-जाने में तकलीफ नहीं होगी। प्लेन में आओ, प्लेन में जाओ। परन्तु मुख्यमंत्री जी को पहल करो। जो पिछली सरकार ने पहल किया था, 2सी केटगरी में प्लेन नहीं सकता। बड़ा प्लेन चलाना है। बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बनारस, इसको जोड़ना है। कृपा करके मुख्यमंत्री जी आ गए हैं। मैं बहुत ही आश्वस्त हो रहा हूँ कि आप इस गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री जी आये हैं। तो निश्चित रूप से इस सदन में वचन देंगे। प्रयास करने का हमको वायदा करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि इस सदन के इस इस संकल्प के माध्यम से दिल्ली की सरकार के ऊपर भी असर होगा। उसकी पहल करने के लिए आप विशेष रूप से मदद करियेगा। यही मैं विनती करता हूं। सदन के समस्त साथियों से, पक्ष और विपक्ष के सभी भाईयों और बहनों से, जो हमारी विधायक हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि बिलासपुर के इस मांग की पूर्ति के लिए आप सब अपना नैतिक समर्थन दें। बिलासपुर में हवाई अड्डा शुरू करें। कई प्रदेश ऐसे हैं, जहां 10-10 हवाई अड्डे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि सिर्फ एक हवाई अड्डा रायपुर है। आप बिलासपुर में हवाई अड्डा खोलकर इस दिशा में भी आगे बढ़ने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय, आपने अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूँ कि इस पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाहें तो कह लें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- सीधा मुख्यमंत्री जी से कहलवा रहा हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं भी आग्रह कर देता हूँ।

श्रीमती रश्मि आशीष सिंह :- हम लोग भी आग्रह करना चाहते हैं। नहीं तो पूरा क्रेडिट धर्मजीत भैय्या को मिल जायेगा। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपको बोलना है तो बोल लो। रश्मि सिंह को बोलवा दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सौरभ सिंह। एक-एक मिनट बोलिये ताकि आप लोगों का नाम जुड़ जाये।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जगह बिलासपुर है। माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है, उसके समर्थन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अगर पैसे की आवश्यकता है तो हमारे क्षेत्रों में सब कम्पनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो सी0एस0आर0 का पैसा ठीक से खर्च नहीं करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मीटिंग बुलाकर 5 करोड़ नहीं, 10 करोड़ रूपया लें। 10 करोड़ लेकर उसके पैसे की व्यवस्था करें, एक चीज।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट ट्रैफिक की गारन्टी मांग रहा है तो ट्रैफिक की गारन्टी दी जा सकती है कि इतने सीटर ए0टी0आर0, वह ए0टी0आर0 72 सीटर, 78 सीटर ए0टी0आर0 चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी चीज केन्द्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है कि उड़ान स्कीम के अन्तर्गत टेण्डर दिया जा रहा है। उड़ान स्कीम के अंदर टेण्डर दिया जायेगा तो उसका जो रेट होगा, वह 2600-3800 रूपये के आसपास होगा। वह एक लिमिट रेट है। वह रेट अच्छा होगा, हर आदमी प्लेन में चढ़ सकेगा, उस परिस्थिति में वह चढ़ सकेगा। क्योंकि उड़ान स्कीम के अंदर टेण्डर होगा और उड़ान स्कीम के अंदर टेण्डर होगा तो रेट जो होगा, वह रेट निर्धारित होगा। वह फ्ल्चूयेटिंग रेट नहीं होगा,जो वेबसाइट में फ्ल्चूयेटिंग रेट होता है। तो उन्होंने इस बात के लिए ट्वीट किया है कि हम उड़ान स्कीम में ले रहे हैं। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इसको कृपा पूर्वक बैठ कर, हम जितने जनप्रतिनिधि उत्तर छत्तीसगढ़, बिलासपुर संभाग से आते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि झारसुगड़ा में एयर सर्विस एक साल में चालू हुआ और झारसगुड़ा के एयर सर्विस का जबर्दस्त विस्तार हुआ है। पहले एक प्लेन से चालू हुआ, फिर दो प्लेन, तीन प्लेन फिर आगे बढ़ता गया। तो हम झारसुगड़ा जैसे बिलासपुर को भी उदाहरण बनाये। यही मेरा निवेदन है, धन्यवाद।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह (तखतपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अशासकीय संकल्प का स्वागत करती हूं और समर्थन करती हूं । अध्यक्ष महोदय, जब बिलासपुर 19 विधान सभा का पुराना जिला होता था, उसमें से एक विधान सभा क्षेत्र से आप एक प्रतिनिधि हैं तो मेरा भी आग्रह है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि विगत डेढ़ माह से बिलासपुर में एक सर्वदलीय मंच के रूप में इस एयरपोर्ट के लिए मांग की जा रही है । एक विसंगति यह हुई है कि सात वर्ष पूर्व सेना को जमीन दी गई, उसमें एयरपोर्ट के लिए राजस्व के हिसाब से कम जमीन रखी गई और सेना को जमीन दे दी गई तो उसमें पहला यह काम करने की आवश्यकता है कि सेना से कुछ जमीन वापस लेनी होगी, तब रन वे 25 सौ मीटर हो पाएगा और दूसरी आवश्यकता धन की है । बार-बार उसी रन वे में रिपेयरिंग कर दी जाती है, बार-बार उसी बिल्डिंग में कुछ खर्च कर दिया जाता है, उसकी बजाय रन वे विस्तार की जो प्राथमिक आवश्यकता है, उसके लिए मैं स्वयं बिलासपुर जिले की नागरिक होने के नाते आग्रह करती हूं कि चकरभाठा से वायु सेवा आरंभ की जाए । सन् 1988 में वायु दूत चलता था और जैसा कि धर्मजीत भैया ने कहा कि हाईकोर्ट के लिए बिलासपुर के चकरभाठा एयरपोर्ट में लगभग 15 दिन में कोई न कोई चार्टड प्लेन आ जाता होगा और मेडिकल की फैसिलिटी चाहने वाले लोग हैं, वहां महीने में चार-पांच बार एयर एम्बुलेंस मंगाकर मरीज को ले जाना पड़ता है क्योंकि बिलासपुर-रायपुर मार्ग से रायपुर तक लाकर ट्रैफिक के कारण मरीज के लिए समय नहीं होता है और इस बात से आप भी

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यथित हो चुके हैं तो मैं इस मुद्दे पर आप का भी समर्थन चाहूंगी । माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगी कि वहां के एयरपोर्ट के लिए अधिक से अधिक सहयोग करें ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि पहली बार अशासकीय संकल्प पर चर्चा हो रही है । माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो अशासकीय संकल्प लाया है कि न्यायधानी बिलासपुर को हवाई अड्डा सेवा से जोड़ा जाए । हम सब लोग धर्मजीत जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि उसमें तत्काल पहल करते हुए बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ की जाए ।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य श्री धर्मजीत सिंह जी ने जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस सेवा को बहाल करें । जैसा कि बताया गया कि बिलासपुर में एस.ई.सी.एल., एन.टी.पी.सी., रेल्वे जोन, हाईकोर्ट, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके साथ दो यूनिवर्सिटी और है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा खेल परिसर है और बिलासपुर संभागीय कार्यालय है, बहुत सारे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और व्यापारी हमेशा आते-जाते रहते हैं और बिलासपुर में पिछले कई दिनों से आन्दोलन भी चल रहा है । वर्षों से बिलासपुर के नागरिकों की मांग रही है तो मैं आज के इस अशासकीय संकल्प के माध्यम से मांग करता हूं कि इसको यथावत् जल्दी से जल्दी प्रारंभ करें । धन्यवाद ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी द्वारा हवाई सेवा के लिए अशासकीय संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि बहुत अच्छा है । मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत रूचि लें और जितने को-ऑर्डिनेशन समितियां बनी हुई हैं, उनके पास उसकी चर्चा हो । क्या दिक्कत आ रही हैं, किस विभाग से दिक्कतें आ रही हैं, उसमें व्यक्तिगत रूचि लेकर समाधान निकालें और दिल्ली में बात करने का प्रयास करें, यह आपसे अनुरोध है । मैं इसका समर्थन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, समर्थन करिए और जांजगीर में भी हवाई पट्टे की खोलने की बात कर दीजिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय धर्मजीत सिंह जी के द्वारा जो अशासकीय संकल्प लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हवाई पट्टे ऐसी बने कि इतना मजबूत हो कि हाथियों का जितना भी उत्पात हो, हवाई पट्टी तक हाथी नहीं पहुंच सके । आप उसमें यह भी मेंशन करो ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय राजधानी के लिए विवाद हो रहा था कि रायपुर में हो या बिलासपुर में, लेकिन सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि राजधानी रायपुर में बने और इस प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है, बिलासपुर में बने । आज वहां हाईकोर्ट स्थापित है, विभिन्न कार्यों के लिए केवल हाईकोर्ट ही नहीं, वहां एस.ई.सी.एल.का कार्यालय भी है, एन.टी.पी.सी. भी है, इन तमाम कार्यों के लिए आज वहां जो है, इसकी आवश्यकता है। मैं सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस अशासकीय संकल्प को पारित करें । माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करता हूँ कि व्यक्तिगत रूचि लेकर वहां हवाई सेवा प्रारंभ हो सके । इसके लिए जो है, पहल करें।

अध्यक्ष महोदय:- शैलेष पाण्डेय, विधायक बिलासपुर ।

श्री शैलेष पाण्डेय (बिलासपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया है । माननीय धर्मजीत सिंह जी ने जो हवाई सेवा के बारे में प्रस्ताव लाया है, उसका समर्थन करता हूँ । यह बात जरूर कहना चाहता हूँ कि पुरानी सरकार ने जो जनता से वादे किये थे कि हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा की जायेगी ।

अध्यक्ष महोदय:- आज के प्रस्ताव का समर्थन करिये ।

श्री शैलेश पाण्डे :- अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर की जनता को जिस तरह से ठगा गया था, चाहे वह एअरपोर्ट हो, चाहे वह सिवरेज हो, चाहे साफ-सफाई हो, चाहे अरपा नदी को टेम्स बनाया जायेगा, साबरमती बनाया जायेगा, इन सब तरह से जनता ठगी गई है । मैं माननीय केन्द्रीय उड्यन मंत्री माननीय हरदीप सिंह पुरी साहब हैं, उनसे मिलने गया था, माननीय बाबा साहब ने भी उनसे मिलने के लिए फोन किया था, उनसे पर्सनली मिलकर आया हूँ कि बिलासपुर में जितने जल्दी हो सकती है, उतनी जल्दी हवाई सेवा प्रारंभ की जाये । बिलासपुर की जनता जिस प्रकार से आंदोलन करते हुये पिछले डेढ़ महीने से बिलासपुर में सड़क पर बैठी हुई है, मोमबत्ती की यात्रा निकाल रही है, पूरे शहर में माहौल ऐसा बन गया है कि वहां के लोगों की आवश्यकता पूरी नहीं हुई तो इससे ज्यादा उग्र हो जायेंगे । मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उनकी इस बात का समर्थन करना चाहिये । बिलासपुर में हवाई सेवा के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिये । धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- रामकुमार जी यादव ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- दोबारा बिलासपुर की जनता ठगा सा महसूस न करे।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मोंर यही कहना हे कि मैं आपके माध्यम से विपक्ष ला कहना चाहथंव, हमर सरकार ह चाहे हवाई जहाज में चलने वाला हो, सईकिल में चलने वाला हो, सब के ख्याल रखथे । दूसरा बात, मैं आपके माध्यम से निवेदन करथंव कि हमर

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जगदलपुर ला घलो हवाई पट्टी बना दिया जाये । ऊंहो जहाज उतारे, रायपुर में बढ़ावा देवय, बिलासपुर में खोल देवय, अऊ रायगढ़ में खोल देवव साहब । वहु ला घेरके राखे हावव ।

अध्यक्ष महोदय :- जांजगीर, जांजगीर ।

श्री रामकुमार यादव :- जांजगीर मे तो कुछ रूपरेखा नई ये । कम से कम रायगढ़ ला घेरके राखे हन । जमीन ला घेर दे हे । चिरई पिला नई उतरथे । कई साल ल जमीन ला घेर के राखे हे । ऊंहा घांस जाम गे हे, अजगर मन किंजरथे, जहां वहां भी उतार दिहौ साहब, मोला नजदीक पड़ही ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जोशी जी । आप भी नाम लिखायेंगे ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय धर्मजीत सिंह जी के द्वारा अशासकीय संकल्प लाया गया है कि बिलासपुर को हवाई पट्टी से जोड़ा जाये । अब इसमें मुख्य रूप से पूर्व सरकार के द्वारा रिजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत में जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर, तीनों स्थान से हवाई सेवा शुरू करने के लिए यह प्रस्ताव आया था । उसके बाद में हमारा जगदलपुर का प्रारंभ हुआ था । मुझे लगता है कि कुछ बातचीत करने के बाद में रेगुलर सेवा शुरू हो जायेगी । हम जब यहां पर एअरपोर्ट में जाते हैं, जो पैसेंजर की संख्या है, उसमें 50 प्रतिशत जो पैसेंजर है, वह बिलासपुर और अंबिकापुर संभाग से है । मुझे पूरा विश्वास है कि पैसेंजर की कभी कमी वहां नहीं आयेगी । दूसरी बात, जिस बात का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि एक हाई कोर्ट होने के नाते वहां पर जो रेगुलर आवश्यकता है, वहां पर साऊथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की जो आफिस है, इसके साथ ही हमारे रेल्वे जोन, एन.टी.पी.सी. ऐसे व्यावसायिक सेंटर भी हैं, जहां पर लोगों की हवाई सेवा की आवश्यकतायें हैं, यदि हवाई सेवा से जुड़ेगी तो न केवल सुविधा का लाभ मिलेगा, बल्कि वहां के विकास भी वहां से जुड़ी हुई है । बाजार का भी विकास होगा, उपभोक्ता को लाभ होगा, व्यापारियों को लाभ होगा, इसके साथ ही साथ जो जरूरतमंद हैं, जो चिकित्सा सेवा के लिए जाने जाते हैं, न्याय के लिए जिनको वकील लाना है, ऐसे तमाम लोगों को जो असुविधा होती है, निश्चित रूप से उनका लाभ मिलेगा । मुझे याद है कि जब रायपुर के एयरपोर्ट की वृद्धि करनी थी उस समय स्टेट के बजट में उसको जोड़ा गया और जो निजी व्यक्ति हैं उनकी जमीन एक्वायर की गई। लगभग 100 करोड़ रूपये में जमीन की खरीदी की गई थी और 100 करोड़ रूपये में जमीन खरीदी के बाद इस एयरपोर्ट का विस्तार हुआ। आज तो बिलासपुर के लिए केवल 5 करोड़ और 10 करोड़ रूपये की बात आती है। वहां पर अभी लगभग 1200 एकड़ जमीन है जो कि आज रक्षा विभाग के पास है। मुझे लगता है कि यदि मुख्यमंत्री जी और बाकी लोग जाकर सार्थक पहल करेंगे, वहां पर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें असुविधा नहीं होगी। यदि आज 05-10 करोड़ रूपये की बात आ रही है तो इसे बजट में जोड़कर भी हम इसमें राशि दे सकते हैं। एक लाईसेंस वहां पर ऑलरेडी मिला हुआ है। अब उसको जो थ्री-सी लाईसेंस में विस्तार करने की बात है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तो मुझे नहीं लगता कि जब टू का लाईसेंस मिल गया है तो थ्री के लिए उसमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। उसमें केवल सार्थल पहल करने की आवश्यकता है। जहां तक जगदलपुर का मुझे याद है वहां पर शासकीय अंडरटेकिंग थी कि इतनी सीटें हम देंगे और उसके अंतर्गत वह हवाई सेवा प्रारंभ की गई थी। तो यहां पर भी जब किसी प्राईवेट कंपनी से बात होगी और बात आयेगी कि इतने सीटों की जवाबदारी लें तो वह सरकार के द्वारा ली जा सकती है। हालॉकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां तो बहुत कम प्रयास के बाद, बहुत कम खर्च के बाद रेगुलर सेवा प्रारंभ की जा सकती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सप्ताह में तीन-चार दिन मुख्यमंत्री जी का भी बिलासपुर दौरा होता है, हवाई सेवा से जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को लाभ मिलेगा, संभाग के लोगों को लाभ मिलेगा और आप नया जहाज ले रहे हैं, नये जहाज के लिए बजट में 50 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं तो उसके एयरपोर्ट के लिए 5-10 करोड़ रूपये की बात है तो उसके लिए भी आवंटित करने में हम लोग सहमति प्रदान कर देंगे तो ये हवाई सेवा प्रारंभ हो जायेगी। मुझे लगता है कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकार करके मुख्यमंत्री जी इस पर पहल करें और बहुत शीघ्र बिलासपुर के लोग जो इस हवाई सेवा से वंचित हैं उनको हवाई सेवा का लाभ मिल सके। मैं इतना कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम रायपुर संभाग के लोग भी इसका समर्थन करते हैं। (हंसी) मैं इसके साथ ही आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि जब इस विधानसभा में हम ये प्रस्ताव पारित कर रहे हैं तो इसके साथ हम अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ को भी जोड़ दें तो चारों का प्रस्ताव एक साथ हो जायेगा और चारों का प्रस्ताव एक साथ होगा तो अच्छा होगा और बिलासपुर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणा करना चाहें वह कर दें परंतु हमारा प्रयास जो है वह चारों जगह के लिए हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसको आ जाने दीजिए, अगली बार नया लेकर आ जाना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें संशोधन करने का अधिकार हमें है, पूरे सदन को है। पहले भी हमने संकल्प पारित किए हैं। इसमें संशोधित रूप में कि बिलासपुर के साथ-साथ अंबिकापुर, जगदलपुर और रायगढ़ में भी हवाई सेवा प्रारंभ की जाए, इस स्वरूप में यह प्रस्ताव पारित हो जाए और बिलासपुर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी घोषणा करना चाहें वह घोषणा करें और बाकी के लिए प्रयास करें इस बात का आग्रह है। तो संशोधित रूप में आप इसको स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा होगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया - आप धर्मजीत भैय्या के प्रस्ताव को क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसको संशोधित करा दीजिए न। अध्यक्ष जी, आप इसको संशोधित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वह कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय धर्मजीत सिंह जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण अशासकीय संकल्प बिलासपुर हवाई सेवा के लिए लाया है, मैं उन्हें बधाई देता हूं और मैं सभी माननीय सदस्यों को जो बिलासपुर संभाग के हैं, आगे बढ़-बढ़कर अपनी बात कह रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के मामले में भी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हितों के मामले में भी सभी सदस्यों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए जैसा कि बिलासपुर के साथियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

श्री कवासी लखमा :- लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग बोले लेकिन अजय चंद्राकर इसके विरोध में है, चुपचाप बैठे हैं। सबमें टिप्पणी करते हैं, इसमें किये नहीं हैं।

श्री भूपेश बघेल :- जब वह चुप बैठे हैं तो काहे को उनको उचका रहे हैं।(हंसी)

श्री केशव चंद्रा :- तूफान के आने के पहली की यह शांति है। (हंसी)

श्री धर्मजीत सिंह :- मेरा प्रस्ताव ठीक-ठीक पास हो रहा तो यह आपको अच्छा नहीं लग रहा है। पास होन दो दादा। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल सही है कि हवाई सेवा से पूरे प्रदेश को जोड़ा जाना चाहिए। चाहे वह अंबिकापुर हो, जगदलपुर हो, बिलासपुर हो, चाहे रायगढ़ हो, बिल्कुल जोड़ना चाहिए। इसके लिए हमारी सहमति है। मैं बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा। इस मामले में मैं केन्द्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी जी से मेरी एक नहीं दो-दो बार मुलाकात हुई। मैंने उसके निवास में भी मुलाकात किया और उसके ऑफिस में भी जाकर मुलाकात की है। न केवल बिलासपुर के मामले में बल्कि जो अंबिकापुर और जगदलपुर में जो हवाई सेवा शुरू हो गयी थी उसके बाद बंद हो गयी तो मैंने फिर से शुरू करने के लिए कहा और बहुत आवश्यक है। साथ ही मैंने यह भी आग्रह किया कि हमारे यहां रायपुर में जगह की कोई कमी नहीं है, कारगो हब बनाया जाना चाहिए और इंटरनेशनल कनेक्टीविटी भी यहां हो, यह मैंने वहां आग्रह किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता जी कह रहे थे कि पांच दस करोड़ की बात हो तो आपकी सहमति है, बिल्कुल सही बात है और आप सबकी सहमति है, सबकी भावनाओं को सम्मान करते हुए, बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं बोलना चाहता। पहली बात तो यह है कि एयरपोर्ट का 2 सी वी.एफ.आर.कैटेगिरी से 3 सी.वी.एफ.आर. कैटेगिरी के उन्नयन के लिये 1.835 करोड़ रूपये की राशि लगेगी। नवीन टर्मिनल भवन के लिये, सिविल कार्य के लिये 6.70 करोड़, विद्युत कार्य के लिये 8 करोड़ और रनवे विस्तार तथा अन्य कार्य के लिये 10 करोड़ 45 लाख रूपये,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कुल मिलाकर 26 करोड़, 98 लाख 50 हजार रूपये राशि की आवश्यकता पड़ेगी। जमीन के मामले में रश्मि जी कह रही थी। जमीन की कोई कमी नहीं है, वहां 61 एकड़ जमीन नया टर्मिनल के लिये आलरेडी रखा हुआ है, जमीन अपने पास है। यह लगभग 27 करोड़ रूपये की राशि है, उसकी घोषणा मैं करता हूं। यह सरकार की तरफ से दिया जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) आप 10 करोड़ रूपये कह रहे थे, मैं लगभग 27 करोड़ रूपये दे रहा हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कार्य के लिये भी, नवीन टर्मिनल भवन के लिये भी, और रनवे विस्तार के लिये भी, तीनों की जो आवश्यकता है। वह सबके लिये है। आप बार-बार रनवे की रिपेरिंग कराते थे, उसी भवन की रिपेरिंग कराते थे, नये भवन के लिये, इसके लिये स्वीकृति प्रदान करता हूं। सभी सदस्यों से माननीय धर्मजीत जी को धन्यवाद देते हुए सभी माननीय सदस्यों ने जो भाग लिया उसके लिये धन्यवाद देते हुए, इसे सर्व सम्मति से पारित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन प्रस्ताव है, उसको आप जोड़ लें और जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। यह संशोधन एक परंपरा और प्रक्रिया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, बार-बार उसी बात को उठा रहे हैं। अगली बार लाईयेगा न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भैया, आप सुनो न। मेरे गुरू जी आप दो मिनट बैठ जाओ।

श्री अजय चंद्राकर :- संसदीय कार्य मंत्री जी आप अपने सीट में आईये। यह आपका प्रभाव जो है हम सीट में बोलता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस सदन में इस प्रकार के संकल्प पहले भी पचास बार इस प्रकार से संशोधित होकर पारित हुए हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के हित में कोई संकल्प पारित करना चाहते हैं तो उसको पारित करना चाहिए। मुझे लगता है इस सदन को हम संभागों के रूप में नहीं बांटना चाहते, इस सदन को, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरे छत्तीसगढ़ के रूप में देखना चाहते हैं। इसमें चारों जगह का प्रस्ताव पारित होगा तो एक अच्छा संदेश जायेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर के लिये घोषणा की है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। बाकी तीनों का प्रस्ताव भी जोड़ लें तो यह संकल्प केन्द्र सरकार को हवाई अड्डे खोलने के लिये हमको एक सपोर्ट मिलेगा। यह मेरा आग्रह है।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प बिलासपुर के लिये आया था और मैं समझता हूं आप जो कह रहे हैं उसमें किसी की असहमति नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि बजट सत्र तो बहुत ज्यादा दिन नहीं है, उसमें और संकल्प लाईये। आपने चार के लिये कहा है, अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर के लिये वहां तो कार्यवाह चल ही रही है लेकिन उसके साथ मैंने आपसे कारगो की तरफ भी संकेत किया है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इंटरनेशनल के लिये भी किया है, यह अलग से बात कोई माननीय सदस्य ले आये तो फिर बजट सत्र तो ज्यादा दिन नहीं है, इसको यथा रूप स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री केशव चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय जांजगीर की तरफ भी इशारा कर रहे थे।

श्री भूपेश बघेल :- अरे, हां-हां भाई, अध्यक्ष महोदय, जहां कहेंगे वहां होगा। उसमें क्यों चिंता करते हो ? अध्यक्ष जी, आसंदी पर बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि" सदन का यह मत है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर में अविलम्ब हवाई सेवा प्रारंभ की जावे।"

**संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।**

**(मेजों की थपथपाहट)**

**<u>उपाध्यक्ष का निर्वाचन</u>**

अध्यक्ष महोदय :- एक सूचना सुनिये। विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 8 के उप नियम (1) के अधीन मैंने उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सोमवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 का दिन नियत किया है।

तद्नुसार उपाध्यक्ष के पद निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचनाएं रविवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक प्रमुख सचिव, विधान सभा को दी जा सकती है।

माननीय सदस्य उपाध्यक्ष के निर्वाचन के प्रस्ताव की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को घोषणा के पश्चात् से तथा रविवार, दिनांक 01 दिसम्बर, 2019 को प्रस्ताव की सूचना दिये जाने हेतु निर्धारित समय के पूर्व तक प्राप्त कर सकते हैं। डॉ. विनय जायसवाल।

**<u>अशासकीय संकल्प (क्रमश:)</u>**

**<u>(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिले के कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी, झगराखांड, लेदरी, खोंगापानी, चरचा के पुनर्वास हेतु विशेष राहत पैकेज के तहत् 10,000 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाये।</u>**

डॉ. विनय जायसवाल (मनेन्द्रगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपकी अनुमति से यह अशासकीय संकल्प मुझे सदन में लाने का मौका दिया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

महोदय, मैं, यह संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिले के कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी, झगराखांड, लेदरी, खोंगापानी, चरचा के पुनर्वास हेतु विशेष राहत पैकेज के तहत् 10,000 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- इस पर कुछ भाषण देना चाहेंगे। सदस्यों को समझाना चाहेंगे। क्यों देना चाहें ?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को आपके समक्ष, सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। जितनी आज आग मेरे क्षेत्र में लगी हुई है उतनी ही आग मेरे क्षेत्र के लोगों के सीने में है कि हमारा विकास हो, हमारा पुनर्वास हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय डॉ. साहब और हर कार्यकर्त्ता की मांग है कि आप पंचायत स्तर में प्रतिनिधि बनायें।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। इस सदन में 90 सम्माननीय सदस्य हैं। इन 90 सम्माननीय सदस्यों में मैं एक सदस्य हूँ, जिसकी आज जन्मभूमि नहीं है। वर्ष 1974 में मेरा जन्म हुआ, उस समय कुरासिया बहुत हरा-भरा और बहुत सुन्दर शहर था। आज भू-अभिलेखों में और नक्शे और खसरे में कुरासिया का उल्लेख है, लेकिन आज वह शहर, जहां मेरा जन्म हुआ था, जिस अस्पताल में मेरा जन्म हुआ था, आज वह कहीं दिखता नहीं है। वहां पर केवल रेत के टीले और बड़े-बड़े खायी है आप इससे अनभिज्ञ नहीं है। आप बहुत अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ है। वर्ष 1928 आजादी के पहले चिरमिरी एक ऐसा शहर है जहां जो देश को कोयले के रूप में ऊर्जा प्रदान करना चालू किया और आज वर्ष 2019 में लगातार अनवरत ऊर्जा की सप्लाई कोयले के रूप में हमारा क्षेत्र कर रहा है। वर्ष 1928 में जब चिरमिरी क्षेत्र कोयलांचल क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा था, उस समय पूरा का पूरा जो एस.ई.सी.एल. था, जो कोयले का उत्खनन हो रहा था, वह प्राईवेट लोगों के द्वारा किया जा रहा था। वर्ष 1974 में प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी ने पूरे खदानों का, पूरे एस.ई.सी.एल. का राष्ट्रीयकरण किया, उससे जितनी भी विसंगतियां थीं, जो हमारे मजदूरों के लिए जो एक का अवर, जो निर्धारित घण्टे थे, उसका निर्धारण किया, उसका मिनिमम वेज का निर्धारण किया, उनके ओव्हर टाईम, उनके पी.एफ., ग्रेजुएटी का निर्धारण । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 1928 से लेकर 2019 तक लगभग 91 वर्ष होते हैं। इन 91 सालों से लगातार कोयले के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति हमारे क्षेत्र के द्वारा हो रही है। कोरिया जिले में हसदेव, चिरमिरी, बैकुन्ठपुर तीन एरिया हैं। मैं सदन के समक्ष इस बात को रखना चाहूंगा आज से 25 साल, 30 साल पहले जहां साढ़े 3 लाख की जनसंख्या थी और लगभग 16 माईन्स थे, आज उनकी संख्या घटकर उस जगह पर मात्र 6 माईन्स हो गई है और साढ़े 3 तीन लाख की जो जनसंख्या है वह आकर डेढ़ लाख में सिमट गई है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप सही-सही जनसंख्या बतायें क्योंकि वहां के लिए सच बोलना कठिन काम है।

डॉ. विनय जायसवाल :- मैंने इसीलिए लगभग बताया है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी जनसंख्या कितनी है?

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डेढ़ लाख है। अभी आगे मैं अपनी बात को रखूंगा, उसमें बताऊंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आज की तारीख में जनसंख्या कितनी है, बताईए न?

डॉ. विनय जायसवाल :- चिरमिरी की जनसंख्या अभी लगभग 85 हजार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 85 हजार जनंसख्या को राशि 10,000 करोड़ चाहिए।

डॉ. विनय जायसवाल :-माननीय अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन लाख की जनसंख्या आज आकर डेढ़ लाख में सिमट गई है। हसदेव, चिरमिरी, बैकुन्ठपुर तीनों एरिया के हमारे श्रमवीर उस समय 45 हजार की संख्या में थे, आज उनकी संख्या घटकर 14 हजार हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने भाषण बहुत अच्छा दिया, प्रस्ताव अच्छा दिया है, मगर भाषण के चक्कर में मत फंसिये। आप पारित करने का निवेदन करिये, नहीं तो फंस जायेंगे।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तथ्यों में आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं कि आप फंस जायेंगे।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़ें रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मत रखिये, मैं बोल तो रहा हूं।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1928 से लेकर 2019 तक 91 वर्ष होते हैं, आप मेरे आंकड़ों को सुनियेगा। इन वर्षों में एक वर्ष में अधिकतम कोयले का उत्पादन 50 लाख टन हुआ है और प्रतिवर्ष में न्यूनतम उत्पादन 10 लाख टन हुआ है। अगर मैं औसत मान लूं कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादन 50 लाख टन और मिनिमम उत्खनन 10 लाख टन का हुआ है। एवरेज मानकर अगर 20 लाख टन माना जाये और 1 टन कोयला का आज वर्तमान में बाजार मूल्य 1800 रुपये है, उससे आगे भी है, लेकिन मैंने हर आंकड़ों को मिनिमम साईज में लिया है। 20 लाख टन की कीमत प्रतिवर्ष 3600 करोड़ रुपये होती है। 91 वर्ष में 20 लाख टन का अगर आज का बाजार मूल्य देखते हैं तो 3 लाख 27 हजार करोड़ रुपये का कोयले का उत्खनन और ऊर्जा के रूप में सप्लाई पूरे देश को देने वाला शहर हमारा चिरमिरी शहर है। इसी प्रकार से मैं हसदेव, बैकुन्ठपुर एरिया की बात करता हूं तो यह आंकड़ा 8 लाख करोड़ रुपये बैठता है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान का जो वार्षिक बजट है,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

उसके 8 वर्षों के बजट की बात कर रहा हूं। 91 वर्षों में जो हमारा कोयलांचल क्षेत्र है, इतना ज्यादा रेवेन्यू कोयले के रूप में पूरे देश को दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे बहुत सम्माननीय सदस्य धर्मजीत सिंह जी हवाई जहाज की बात कर रहे थे कि बिलासपुर में हवाई सेवा प्रारंभ की जावे, बिल्कुल होना चाहिए, उसका समर्थन पूरे सदन ने एकमत से किया है। लेकिन उन्होंने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया कि पूरे देश का 25 प्रतिशत कोयला बिलासपुर डिविजन से पूरे देश में सप्लाई होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह जो 25 प्रतिशत की बात किये हैं जो पूरे प्रदेश में सप्लाई होता है, उसका 60 प्रतिशत ये तीन एरिया हसदेव, चिरमिरी, बैकुन्ठपुर से पूरे देश में सप्लाई होता है, अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। बहुत सारी बातें होती हैं, ट्रिलियन, मिलियन बजट की बात होती है, किसके आगे कितना शून्य लगायें, इसकी बात होती है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि इन 91 वर्षों में आठ के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं कम से कम 10 शून्य आपको लगाने पड़ेंगे और चूंकि मैं एक चिकित्सक हूं, अंकगणित में उतना स्ट्रान्ग नहीं हूं, इतने शून्य लगाने पड़ेंगे । हमारा जो इतना रेवेन्यू क्षेत्र है वह पूरे देश को दिया है । मैंने भाषणों में जब इस बात को बोला कि हमको 10 हजार करोड़ रूपये चाहिए तो लोगों ने मुझे परिहास का विषय बनाया कि यह क्या मांग कर रहे हैं? मैं सदन में यह बात लाना चाहूंगा जहां साढ़े 6-7 हजार करोड़ रूपये एक ऐसी जगह को डवलप करने में खर्च कर दिया गया, नये रायपुर के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर दिया गया जहां पिछली सरकार हो या हमारी सरकार हो, आज एक चिंता है कि हम वहां पापुलेशन को कैसे डवलप करें ? वहां लोगों को कैसे भेजें ? उस नये रायपुर में जहां साढ़े 6-7 हजार करोड़ रूपये खर्च हुआ है लेकिन जहां हमारे लोग रह रहे हैं, जहां पिछले 100 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर डव्हलप है, हमारे लोग आज मूलभूत सुविधाओं के लिये तरश रहे हैं । आज 100 साल के बाद इन क्षेत्रों की स्थिति यह है कि हमारे पास मात्र 20 से 25 परसेंट जो कोयले का रिजर्व है वह बचा हुआ है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक वैश्विक चिंता है कि अगर किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक दोहन होता है, किसी भी क्षेत्र में औद्योगिकीकरण होता है तो उसके पर्यावरण और उसमें जो बसे-बसाये लोग होते हैं । पिछले 100 सालों से वहां जो चार पीढ़ी के लोग रह रहे हैं उनका पुनर्वास कैसे होना चाहिए ? उद्योग खत्म होने के बाद, कोयला खत्म होने बाद, उत्खनन खत्म होने के बाद उनका पुनर्वास कैसे होना चाहिए इसकी चिंता आज पूरे वैश्विक स्तर पर हो रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस 10 हजार करोड़ से अगर हम सौलर पावर प्लांट बनायें, अगर वहां लगाने की कोशिश करें, अगर 500 मेगावाट का सौलर पावर प्लांट लगाने की कोशिश करें तो उसका जो खर्च आयेगा उसकी लागत लगभग

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

4 हजार करोड़ आयेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर वहां के पर्यटन का विकास किया जाये तो उसके लिये भी 1 हजार करोड़ की जरूरत पड़ेगी । मैं सेण्ड मैन्यूफैक्चरिंग की बात करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय विधायक जी, आप अनावश्यक रूप से ज्यादा बोल रहे हैं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सेण्ड मैन्यूफैक्चरिंग चूंकि आज सुबह रेत के ऊपर काफी बात हुई, नदियों के क्षरण के ऊपर बात हुई ।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैंने अशासकीय संकल्प लिया है तो मुझ पर भी दया कीजिये कि मैं ज्यादा से ज्यादा ले सकूं ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को केवल 2 मिनट में समाप्त करूंगा । पूरे चिरमिरी में, पूरे झगराखांड में जो रेत के बड़े-बड़े टीले बन गये हैं अगर आप उसकी बात करते हैं, अगर वहां सेण्ड मैन्यूफैक्चरिंग के प्लांट लगाते हैं तो उससे हमको रेत भी मिलेगा और पर्यावरण का जो क्षरण हो रहा है उससे हमको मुक्ति भी मिलेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह कहना चाहता हूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे क्षेत्र में दौरा हुआ । हमेशा एक बात होती थी कि चिरमिरी को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ाना है, इसका पुनर्वास करना है लेकिन आज तक 15 साल में पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे वे कम से कम 8 से 9 बार गये होंगे । हमेशा एक बात बोलते थे कि कोरिया को हम गोद लेंगे लेकिन कोरिया को गोद नहीं लिये । लेकिन यह जो दूध पिलाने का काम किया है पहली बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और वहां 40 करोड़ के एडवेंचर पार्क की घोषणा की है । इसी प्रकार जिस प्रकार से पर्यटन को बढ़ाने का जो कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वैसे ही मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि 10 हजार करोड़ की जो केंद्र सरकार से हमारी मांग है । मैं पूरे सदन से आग्रह करता हूं कि इस अशासकीय संकल्प को पास करें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद । आपने सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को आपने स्वयं व्यक्त कर दिया है । माननीय मंत्री जी इसमें कुछ विचार करना चाहेंगे, अपना वक्तव्य देंगे । संकल्प प्रस्तुत हुआ । आप कुछ कहेंगे ?

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो संकल्प लाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कोरिया जिले में 10 हजार करोड़ दिया जाए । आज जो कोयले का उत्पादन हो रहा है, कोरिया जिले में भी हो रहा है, कोरबा जिले में भी हो रहा है, रायगढ़ जिले में भी हो रहा है । मेरा यह निवेदन है कि कोयलांचल शब्द जोड़ा जाए । 10 हजार करोड़ एक जिले के लिए और फिर वह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

किस ढंग से खर्च होगा, क्या होगा ? इसमें कोरबा जिले को जोड़ा जाए, रायगढ़ जिले को जोड़ा जाए । पूरे कोयलांचल क्षेत्र जोड़ा जाए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, राशि मांगना, संकल्प का विषय कभी नहीं रहा । हमको राशि चाहिए, यह संकल्प का विषय कभी नहीं रहा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप प्रोजेक्ट बनाकर भेजिए ना ।

श्री सौरभ सिंह :- आप प्रोजेक्ट बनाकर भेजिए । प्रोजेक्ट के साथ एच.आर. में खर्चा होगा, वो कन्फ्यूज्ड रहेंगे कि 10 हजार करोड़ किस पर खर्चा होगा ?

डॉ. विनय जायसवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बताने की कोशिश की थी । 10 हजार करोड़ का पर्टिक्यूलर मैंने बताया था । ऑडिट के जो लोग आए हुए थे उन्होंने 20 हजार मकानों को सर्वेऑफ कर दिया है । हमारे पास 45 हजार का मेनपावर था, आज वह घटकर 15 हजार रह गया है । अध्यक्ष महोदय, लेकिन वहां लोग रह रहे हैं, वहां जिंदा लोग रह रहे हैं । जिनको अच्छा हाउसिंग चाहिए, जिनको रोजगार चाहिए । हमारे क्षेत्र का कोयला खत्म हो रहा है । माननीय सदस्य कोरबा की बात कर रहे हैं, कोरबा में बहुत सारे पावर प्लांट हैं, बहुत सारे उद्योग हैं । अध्यक्ष महोदय, चिरमिरी और सरगुजा क्षेत्र में ऐसा कौन सा उद्योग है ? इसलिए केन्द्र सरकार से 10 हजार करोड़ की मांग और इसका जो पर्टिक्यूलर है यह कहीं से विसंगतिपूर्ण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य शांति से बैठ जाइए, ज्यादा उलझिये मत।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैंने कहां बोला कि विसंगतिपूर्ण है । 32 परसेंट कोयला प्रोड्यूज होता है तो उसका 60 परसेंट कोयला चिरमिरी जिले में प्रोड्यूज नहीं होता, रायगढ़ और कोरबा जिले में होता है । अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन था कि इसमें आप कोयलांचल क्षेत्र को जोड़िये । सरगुजा को जोड़िये, रायगढ़ को जोड़िये, कोरबा को जोड़िये, वहां पर ज्यादा उत्खनन हो रहा है, वहां पर ज्यादा समस्या हो रही है । और पैसा मांगने के बजाय प्रोजेक्ट मांगिये, किस प्रोजेक्ट पर खर्चा किया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए छोड़िये । बेचारा पहली बार तो प्रस्तुत किया है ।

श्री सौरभ सिंह :- अध्यक्ष महोदय, इसमें और क्षेत्र बढ़ाइये ।

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची में सम्मिलित अशासकीय संकल्प का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये । मैं समझता हूं सभा सहमत है ।

**(सभा द्वारा सहमति प्रदान की गई)**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्रीमती अंबिका सिंहदेव (बैकुंठपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अशासकीय संकल्प का समर्थन करती हूं । मेरा यह मानना है कि 10 हजार करोड़ की मांग हमारे पूरे कोयलांचल क्षेत्र के लिए कम है । क्योंकि वहां पर जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उससे यहां बैठे बहुत सारे लोग अवगत नहीं हैं । वहां गड्ढे नहीं हैं, वहां जमीन को खोखला कर दिया जा रहा है । वहां कोल माइन्स में सिर्फ वे कोल नहीं निकाल रहे हैं, कोल निकालने के लिए अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, जो कि बिना प्यूरीफाई किये वापस डेम्स में डाल दिया जाता है । जिस कारण से आसपास का पूरा एरिया प्रभावित है, क्षतिग्रस्त है । वहां की मछलियां, वहां का एग्रीकल्चर, वहां के लोग इन सबको उससे नुकसान पहुंच रहा है । कोयले के अलावा वहां पर और कोई काम नहीं है । हमको जितना सपोर्ट मिलता है उस कोयले से ही मिलता है । उन कोयले की खदानों में बाहर से लोग आते हैं । काम करते हैं और उनके परिवार यहीं बस गए हैं । उनके रिटायरमेंट के बाद उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, उनको हमारे एरिये से ही मिलना है । उनको रिहैब्लीटेशन हमारे एरिये में ही चाहिए । वे कहीं जाना नहीं चाहते हैं । लेकिन हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उनको वह सपोर्ट दे सकें । इसके अलावा कोल माइन्स में जितने वर्कर्स हैं, उनकी सैलेरी काफी मिलती है, लेकिन यूथ के पास कोई काम नहीं है । एज़ ए रिजल्ट, हर तरह का नशा बहुत ज्यादा चलता है । वहां के यूथ के पास पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है । इंसान हैं, उनको कुछ रिक्रियेशन भी चाहिए, रिक्रियेशन की फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है । मेडिकल फैसिलिटिस नहीं है । पढ़ाई के लिए कई जगह टीचर्स नहीं हैं और रायपुर से इतना दूर है कि वहां जाकर कोई रहना भी नहीं चाहता है । हमको डीएमएफ और सीएसआर फंड मिलता है । उसका पूरा सपोट देने के बावजूद वहां डॉक्टर्स जाकर रहना नहीं चाहते हैं । इन सब मुसीबतों का सामना पूरे क्षेत्र को करना पड़ता है । धन्यवाद् ।

श्री गुलाब कमरो (भरतपुर-सोनहट) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जयसवाल जी द्वारा लाये अशासकीय संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। मैं इतना बस कहना चाहता हूं कि कोरिया जिला हमारा आदिवासी जिला है। वहां पर 5वीं अनुसूची लागू है। जैसा कि डॉ. साहब आपको विस्तार रूप से कह रहे थे, जिसके विषय में सम्माननीय उधर भी आवाज आयी कि पूरे कोयलांचल को छोड़ा जाए। पर डॉ. साहब का कहना है कि कोयलांचल [XX] [7] बिलासपुर की बात करें, वहां की अलग बात है। हमारे यहां की स्थिति यह बनी हुई है कि आजादी के बाद से वहां से कोयला जा रही है, जिसका आंकलन कर लीजिए। [XX] या कोरबा में किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। वहां पर चिरमिरी की बात हो। झगराखांड, लेदरी, खोंगापानी की बात कर रहे हैं।

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- [XX][8] में कोयलांचल नहीं है और आपके कहने से उसका अर्थ गलत हो जाएगा। इसलिए [XX] शब्द को विलोपित करता हूं।

श्री गुलाब कमरो :- जी। इसलिए हमारी आपसे मांग है कि आपके माध्यम से इस प्रस्ताव को पारित किया जाए, जबकि वहां के रहने वाले लोगों को वहां डर बना हुआ है कि कब हमारा घर खाली हो जाएगा? कब कार्यालय खाली हो जायेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जो मैंने लगातार लड़ाई लड़ी थी। पूर्व की सरकार के द्वारा जो हमारी डी.एम.एफ. की योजना थी, जिसे मैं हाई कोर्ट में लेकर गया था। जिसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी, उसे हमारी सरकार ने लागू किया। डी.एम.एफ. से वहां के लोगों के बदलाव के लिए जो योजना लागू की गई है, मैं चाहता हूं कि इस संकल्प के माध्यम से भारत सरकार से यह बड़ा पैकेज रहे ताकि वहां के लोगों का वहां पुनर्वास हो सके। इन्हीं बातों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ बोलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. विनय जायसवाल जी ने प्रस्ताव लाया है कि कोयलांचल क्षेत्र में पुनर्वास हेतु विशेष पैकेज की मांग की है और उस पैकेज के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाओं के बारे में भी बात कही है। ये सारे जो पैकेज हैं, अलग-अलग प्रोजेक्ट में चाहे पुनर्वास के लिए हो, चाहे वह विकास कार्य के लिए हो, चाहे हॉस्पिटल के लिए हो, चाहे एज्यूकेशन के लिए हो और चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हो, उन सबके लिए उन्होंने 10 हजार करोड़ राशि की केन्द्र से मांग की है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने अंबिका सिंहदेव जी ने और गुलाब कमरो जी ने इसमें विशेष रूप से भाग लिया, उन्हें भी धन्यवाद देते हुए मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पास करे। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि "छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरिया जिले के कोयलांचल क्षेत्र चिरमिरी, झगराखांड, लेदरी, खोंगापानी, चरचा के पुनर्वास हेतु विशेष राहत पैकेज के तहत 10,000 करोड़ की राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाये। '

**प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।**

**(मेजों की थपथपाहट)**

अध्यक्ष महोदय :- अजय चन्द्राकर जी।

[8] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**(3) छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक कला अकादमी का गठन किया जाना।**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने छत्तीसगढ़, छत्तीसगढिया ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था। जो असली चीजें है छत्तीसगढ़ की..।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़, छत्तीसगढिया और छत्तीसगढ़ी।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो छत्तीसगढ़ की असली चीजें हैं, आदिमकाल से आज तक समकालीन दौर में छत्तीसगढ़ को जो योगदान रहा है कला में, संस्कृति में, साहित्य में, किसी भी धर्म में या किसी में भी, दुर्भाग्य से वह विलुप्त हो रहा है और उन बातों को छत्तीसगढ़ से जोड़ा जा रहा है जो छत्तीसगढ़ के नहीं हैं। कोई खेल जो हैं, वे छत्तीसगढ़ के प्रतीक नहीं हो सकते। किसी भी चीज में आलोचना मेरा विषय नहीं है। यह प्रश्न उठ सकता है कि मैं काम कर रहा था या मेरी सरकार काम कर रही थी। माने हम लोगों की सरकार काम कर रही थी। शायद यह क्यों नहीं हुआ? यह उत्तर भी मेरे पास है। आज की जो पीढ़ी है, वह छत्तीसगढ़ के बारे में क्या जानती है ? खासकर कला, संस्कृति साहित्य में जो योगदान है। मेरा हिन्दी ग्रन्थ अकादमी पर एक ध्यानाकर्षण है, यदि आप स्वीकृत करते हैं तो उसमें चर्चा होगी । थोड़ी-थोड़ी बातें हैं। दुनिया का सबसे पुराना शैल चित्र, 30 हजार साल पुराना, पंडित लोचन प्रसाद पाण्डे जैसे लोगों ने रायगढ़ के कबरापहाड़ में खोजा। आप छत्तीसगढ़ के किसी भी छात्र से पूछ लीजिये, उनको नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ में 30 हजार साल पुराना शैल चित्र मौजूद है। अभी रायगढ़ की बात हो रही थी। रायगढ़ की जो नाट्यशाला है, रामगढ़ की जो नाट्यशाला ..।

अध्यक्ष महोदय :- वह रायगढ़ में नहीं है, सरगुजा में है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरगुजा की जो नाट्यशाला है।

श्री कवासी लखमा :- उनको पता भी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामगढ़ की, मैं रायगढ़ बोल रहा था, वह रामगढ़ है। यह माना जाता है कि मेघदूत का प्रथम मंचन वहीं हुआ, भरतमुनि के नाट्य शास्त्र के अनुरूप पहली रंगमंच छत्तीसगढ़ में मौजूद है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संगीत को जो प्रमुख घराने होते थे, उसमें लघनऊ घराना, बनारस घराना या जयपुर घराना, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि उन सबसे पुराना घराना कत्थक का रायगढ़ का है। उसको मान्यता क्यों नहीं मिली ? हमने मान्यता के लिए क्या प्रयास किए ? क्या बात हुई ? जो नृत्य की संस्थागत शिक्षा शुरू हुई, चाहे वह भारतखण्डे जी ने शुरू की हो, चाहे कुलस्कर जी ने शुरू की हो, वह सब रायगढ़ के राजा चक्रधर सिंह के दरबार में कभी न कभी रहें हैं। यदि संगीत में प्रथम रचना हुई, चाहे तालतोई निधि हो, चाहे नर्तन सरवस हो, चाहे राग मंजूषा हो, यदि 4-5 किताब की रचना हुई, वह राजा जी खत्म हो गये हैं, मैं उनसे मिलने गया था, मैं अशोक बाजपेयी जी के पास गया था, आप



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जितना पैसा लेना चाहे, ले लीजिये, लेकिन वह किताब हमको दे दीजिये, हम प्रिन्ट करवायेंगे। यदि वह आती है तो संगीत की दुनिया बदल जायेगी कि यह छत्तीसगढ़ का योगदान है। दुर्भाग्य से आज की पीढ़ी से बातचीत करो तो अनभिज्ञता जाहिर करते हैं कि छत्तीसगढ़ में यह बात हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जो परम्पराएं रही हैं- रास- रहस, जिसको बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जांजगीर से आते हैं। जांजगीर से दादू सिंह ठाकुर होते थे, वे रहस के सबसे बड़े कलाकार, जिसको सम्मान मिला। आज वह परम्परा समाप्त हो चुकी है। रिमिक्स आ गया, उसको सहेजने का ...।

अध्यक्ष महोदय :- चांपा के पास गौद गांव के रहने वाले हैं, तहसील जांजगीर-चाम्पा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिए उदाहरण दिया। जो जयदेव बघेल के साथ झारासी खत्म हो गई।

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर का नाम बदल देना चाहिए, उंगली चन्द्राकर। ये कहीं भी ऊंगली डालता है।

श्री सत्यनारायण सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, ये हमारा फाउल खेलते हैं। ये हमारा सीट से बाहर आकर बोलते हैं। इनको सीट के अंदर घुसेरो न। अंदर घुसकर बोला करो। आज यहां से बोल रहे हो, कल वहां से बोलोगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रदेश का इतिहास सुनो।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- अभी भी अंदर नहीं घुस रहा है, बाहर ही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी अजय चन्द्राकर जी संस्कृति की बात कर रहे हैं और ये दोनों अपसंस्कृति की बात कर रहे हैं।

श्री कवासी लखमा :- ये ऊंगली वाला है, ये इधर से उधर ऊंगली करता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अभी तो इनके साहित्य की चर्चा तो हो नहीं रही है। सत्यनारायण भैय्या के साहित्य की चर्चा हो नहीं रही है साहब। ये तो छत्तीसगढ़ के साहित्य की चर्चा है। अब कहां-कहां घुमा रहे हो। फाउल हो रहा है, क्या बाहर निकल रहा है, क्या अंदर हो रहा है, करके।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- एक प्रकार से आऊ हो गये होते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जिस जिले से आते हैं, या अविभाजित कह दूं, अब बेमेतरा अलग जिला हो गया है। मंदिरा दाऊ जी के साथ नाच मूल रूप में समाप्त हो गया है। रामचन्द्र जी देशमुख, महासिंह जी,या ऐसे जो लोग थे, रामहृदय तिवारी जी, प्रेम सायमन जी, आखिरी स्तम्भ खुमान साव के साथ समाप्त हो गया। झाड़ूराम के साथ पंडवानी, तीजन बाई की पंडवानी या छत्तीसगढ़ के नाचा को हबीब

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तनवीर जी ने अन्र्राष्ट्रीय स्तर में स्थापित किया, ये जितनी परम्पराएं हैं, सूरज बाई खांडे की भरथरी लुप्त हो गई। देवार गीत लुप्त हो गया। घोड़ा नाच लुप्त हो गया। अब सवाल यह है कि हम किसको छत्तीसगढ़ी कहते हैं और क्या प्रयास हुआ ? मैं जब इन विषयों पर बात करता हूँ कि मैंने आपसे भी कहा था कि मैं अर्जुन सिंह ...।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, ये 15 साल में लुप्त कर दिये, हमारे मुख्यमंत्री जी का, तुक्की मारना, गेड़ी नाच हो रहा है, ये नहीं देख रहे हैं क्या ? हम लोग इसको जिंदा कर रहे हैं। ये लोग तो 15 साल में डुबा दिए थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में छायावाद जो हुआ, आपके जिले के नजदीक में है, भोलपुर के हैं, रायगढ़ के हैं। मुकुटधर पाण्डेय छत्तीसगढ़ के प्रवर्तक माने जाते हैं, पन्नालाल पदुमलाल बक्शी जी उस समय छत्तीसगढ़ के सरस्वती के दो बार संपादक रहे, छत्तीसगढ़ में सबसे कम उम्र 22 साल और 27 साल में दो बार संपादक रहे। ये छत्तीसगढ़ की ऐसी चीजें हैं, छत्तीसगढ़ का ऐसा योगदान है, बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर 100 कदम में ऐसे-ऐसे नृत्य और ऐसे-ऐसे पर्व हैं और ऐसी-ऐसी परम्पराएं हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसका कहीं संरक्षण, उसको आगे बढ़ाने का, उसको संस्थागत् शिक्षा का स्वरूप देने का कोई प्रयास नहीं हुआ। एक बार भारत भवन बनने के समय आखिरी बार प्रयास हुआ । छत्तीसगढ़ में लोककला की अकादमी बनी या आदिवासी कला अकादमी बनी, वह 1960-62 के आसपास बनी थी । आज कला का स्वरूप बदला है । यदि हम छत्तीसगढ़ के बारे में सही में सोचते हैं तो आपको बता दूं कि 20 साल में हमारे पुरातत्व स्मारक 58 के 58 हैं, मैंने दो लायसेंस पाटन के लिए लिए थे । उसको संरक्षण करने की योजना नहीं बनी और 20 साल में 58 से 59 नहीं हो सका । कारण चाहे जो भी हो, मैं उस कारण पर उत्तर दे सकता हूं, लेकिन आज मैं यह चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो परिषद बने, नाम कुछ भी हो, मैंने लोककला परिषद कहा है । वह कोई कल्चरल हब के नाम से हो सकता है, कोई आरकाईव्ह हो सकती है, कोई बहुत अच्छी चीज हो सकती है, कोई विचार-विमर्श हो सकता है, पर उसके प्रलेखन का काम शुरू हो, डाक्यूमेंटेशेन का काम शुरू हो, वह छत्तीसगढ़ का काम करे । सभी कलाओं के उसके मोनोग्राफ निर्मित हों, यह उसका उद्देश्य हो । शोध-परक, डाक्यूमेंट्री में यदि कोई काम करता है तो उसमें स्कालरशिप देने की व्यवस्था हो, तीज-त्यौहार जो छत्तीसगढ़ की परम्पराएं हैं, नृत्य-शैला, गायन-वादन सबमें, अब आप यहां पर एक मिनट रूक सकते हैं कि खैरागढ़ का फोक आर्ट विभाग क्या करता है ? तो खैरागढ़ का फोक आर्ट का विभाग नृत्य और गायन में सिर्फ डिग्री देता है, संरक्षण, संवर्धन का काम वह नहीं करता और जो कलाकार उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज की तारीख पूनम तिवारी है । जब उनके बच्चे खतम हुए तो उसकी क्या दशा थी, वह मैं जानता हूं । वह कुरूद बीसों बार आती है। ये जो चीजें हैं, प्रलेखन का जो काम है, उसके

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अतिरिक्त जो लोककला में शोध करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या योजना है, हम क्या दे सकते ? लोककला में आपस में संबंध क्या है, बस्तर में यदि पांच विधाएं हैं, उनमें क्या समानताएं हैं ? सरगुजा की संस्कृति और बस्तर की संस्कृति में क्या समानताएं हैं ?

श्री कवासी लखमा :- इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यहां पर 27, 28 और 29 तारीख तक नाच होने वाला है । हम लोग इसको भी नचवाते हैं । आप लोगों ने तो 15 साल तक कुछ नहीं किया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उसका उत्तर दे दूंगा।

श्री सौरभ सिंह :- उसके लिए आपने सारे उद्योगों से सी.एस.आर. का पैसा मंगा लिए हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप विचलित मत होईए, बहुत सही जा रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अभी जितने आडिटोरियम बनाए गए, ये बड़ा हुआ, वह बड़ा हुआ, ऐसा हुआ । ईमानदारी से बोलें तो जो कलाकारों की आवश्यकता है, जिस मात्रा में उनको लाईट मिलना चाहिए, जिस मात्रा में उनको साऊंड मिलना चाहिए, जिस तरह से उसको स्पेस मिलना चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ में ये चीजें नहीं बनाई गईं । छत्तीसगढ़ एक मात्र राज्य है, जहां संग्रहालय में संचालनालय लगता है, पूरे देश में संग्रहालय में संचालनालय और कहीं नहीं लगता । हिन्दी ग्रंथ अकादमी मैंने बनाई थी, उन्होंने क्या कहा, मैं उसमें श्रेय नहीं लेना चाहता, वह छत्तीसगढ़ के लिए एक छोटा सा योगदान है। वह बदहाली में हो गई । जो पहला उपन्यास ठाकुर जगमोहन सिंह जी का माना जाता है । वे रायगढ़ से ही आते थे, तहसीलदार थे, हमने उसकी कृति छपवाई थी । अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता इस सदी में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, वह छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ायी जाती, अब छत्तीसगढ़ में मैंने एक दिन पढ़ा कि पाठ्यपुस्तक में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी पढ़ाने वाले हैं । ठीक है, ये लोग पढ़ाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर वह चीज जो छत्तीसगढ़ का योगदान है, आज उदंत मार्तण्ड या बंगाल पत्रिका के मुकाबले पेंड्रा रोड के उस छोटे से जगह में शुरू हुई छत्तीसगढ़ मित्र जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है । सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाया, वह अपनी पहचान के लिए तरस रही है । संस्कृति मंत्री सामने में बैठे हैं, 1/10 भाग जिन्होंने उसकी खुदाई शुरू की, पूरी तरह बंद है । आज तक वहां के मामले को सुलझाकर संग्रहालय नहीं बनाया जा सका है । माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी धरती पर महायान के प्रवर्तक, शून्यवाद के प्रवर्तक, नागार्जुन ने शैक्षणिक कार्य दिया, यह हिन्दुस्तान को नहीं मालूम, जो वल्लभाचार्य पांच आचार्यों में से एक थे, भारतीय दर्शन के विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक छत्तीसगढ की भूमि पर हुआ । उसके लेखन के बारे में किसी को मालूम नहीं है । 84 बैठकों के बारे में, छत्तीसगढ़ के किसी दो-चार लोगों को मालूम होगा । आज छत्तीसगढ़ में ऐसी प्रतिभायें हैं, जयंत देशमुख देश के सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर में से है । आप देख लें, शेखर सेन जी को, बहुत बड़े कलाकार हैं । यह जो चीजें हैं, छत्तीसगढ़ की चीजों को

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

परस्पर लेन-देन को, देखने, समझने, सुनने के लिए, संरक्षण के लिए, डाकुमेंटेशन के लिए जो काम हो, छत्तीसगढ़ लोक कला के लिए मैंने एक सुझाव दिया कि एक अलग-अलग प्रखंड में छोटा राज्य है, आदिवासी कला के लिए अलग हो सकता है, पूजा के लिए अलग हो सकता है, मध्य क्षेत्र के लिए अलग हो सकता है । अलग-अलग विधाओं के लिए अलग-अलग क्षेत्र हो सकते हैं । यह स्वायत्त बने, छत्तीसगढ़ में इस क्षेत्र में यदि राजनीति आती है तो छत्तीसगढ़ अपनी पहचान खो देगी । उस क्षेत्र का मर्मज्ञ उसको देखे, उसके लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थायें हो । यह सबसे बड़ा महत्व का काम है । मैं इस विषय को अधिकारिता के साथ कह सकता हूँ कि समाज सुधार का काम सबसे पहले हिन्दुस्तान में शुरू हुआ तो राजा राममोहन राय के कार्यकाल से उससे पहले गुरूघासीदास जी ने शुरू किया । मैं यह बहुत ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन में बारदोली को पहला किसान आंदोलन माना जाता है तो छत्तीसगढ़ का पहला जो नहर सत्याग्रह कण्डेल का है, उससे पहले हुआ । अगर यदि योगदान की बात करें, मैंने उस दिन गुरू आगमदास का उदाहरण दिया था, यदि संविधान सभा में उसका योगदान है तो शोध की जरूरत है । ऐसे काल के हर दौर में हमारी भूमिका रही है । मेरी जो बात है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटी सी बात सूचनार्थ अवगत कराके अपनी बात समाप्त करता हूँ । जो मैं बात कहना चाहता था, वह आ चुकी है । मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस जिले से आते हैं, आप खुद, जब मैंने ठाकुर दादु सिंह का नाम लिया तो आपने रूचि दिखाई । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे उसके बारे में अवगत कराया । यह मेरे लिये आल्हादित करने वाला क्षण है कि आप उसमें रूचि रखते हैं । यदि इन चीजों को हम देखते हैं, जब मैं उच्च शिक्षा में आया, खैरागढ़ में थियेटर खोला था, थियटर में आज बीसों बच्चे हैं जो मुंबई में काम कर रहे हैं । रोजगार के अवसर है । उस समय थियेटर की डिग्री देने वाली संस्था एकमात्र खैरागढ़ यूनिवर्सिटी थी । एनिमेशन हमने खोला, फैकल्टी के अभाव में एनीमेशन आज तक शुरू नहीं हो सका । मैं तो संस्कृति विभाग को कहूंगा कि राजकुमार साहब बैठें है, कहीं पर गये होंगे, जो एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसका ऑफ कैम्पस रायपुर में खोला जाये तो उसका जो प्रोजेक्शन है, देश दुनिया में जो चीजें जानी चाहिये, वह जायेंगी । इसलिए चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से अवगत हैं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़ी, यह आज नारे में आ गया है । अच्छी बात है, नारे में आ गया । मैं तो छत्तीसगढ़िया को परिभाषित करना चाहता हूँ । मैं तो उस विषय में बात करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध किया है, वह एक अलग बहस का विषय हो सकता है । मैं संस्कृति मंत्री से सिर्फ इतना कहूंगा कि इस दिशा में किन्हीं कारणों से काम नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, साहित्य, पुरातत्व, धरोहर, समकालीन दौर में हर क्षेत्र में उसका योगदान मैंने तो कुछ उदाहरण भर दिये, मैं इसमें बहुत देर तक अनान्य क्षेत्र में बात कर सकता हूँ, लेकिन समय की एक मर्यादा है । आशा करता हूँ कि आप

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

व्यक्तिगत रूचि लेकर सदन एक संवेद स्वर में आवश्यकता को महसूस करते हुये एक स्वायत्त संस्था किसी भी नाम से उसको बनायेगी । इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

श्री धर्मजीत सिंह :- सिर्फ दो मिनट सर । बाद में आप जवाब देना । बोलने दीजिए । आपकी आज्ञा हो तो बोलूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये । बोलिये । एक मिनट बोला है, आप दो मिनट बोल लीजिए ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बस एक मिनट सर । ये माननीय चन्द्राकर जी का जो संकल्प है, बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है, अध्यक्ष जी । किसी भी प्रदेश के संस्कार, संस्कृति और वहां की परम्पराओं को अगर हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारी पहचान लुप्त हो जायेगी । अध्यक्ष जी, मुझे याद है कि बचपन में चंदैनी गोंदा का कार्यक्रम देखने जाते थे, दुर्ग के देशमुख जी का उस समय का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ करता था, जिसमें आसपास के गांव के लोग आते थे। अभी मुझे बहुत खुशी हुई कि लोरिक चंदा पर अभी एक पिक्चर पिक्चराईज होने वाली है।

अध्यक्ष महोदय :- लोरिक चंदा पर पहले भी पिक्चर बन चुकी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, किसी पेपर में मैंने कल या परसों ही पढ़ा कि वह होगा। मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ी त्यौहार, छत्तीसगढ़ी पर्व, छत्तीसगढ़ी व्यंजन को जिस तरीके से अभी उन्होंने आगे लाने का कार्य किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं और हमारी संस्कृति के ये गीत हैं। अध्यक्ष जी, जैसे एक गीत है इसमें लिखा है कि बांस गीत। बांस गीत को मैं हमारे क्षेत्र में सुना हूं।

श्री अमरजीत भगत :- बांस गीत को पूरे लय के साथ गाईये।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं यार, बांस गीत की आवाज कैसे निकाल पायेंगे? अमरजीत जी, ये कला अभी आप ही को मालूम है क्योंकि आप राजा साहब के रहते सरगुजा में बांस ही गीत तो बजा रहे हो और वह सुन रहे हैं और इतना बांस गीत बजा रहे हो कि आजकल वह सदन में भी कम रहते हैं। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय, बांस गीत का असर ये है कि यादव समाज में जब उनके यहां दशगात्र वगैरह होता है तो दो-तीन-चार गांव के यादव समाज के बांस गीत विशेषज्ञ आते हैं और वह सब घंटों बांस गीत बजाते हैं और उस बांस गीत को भी मैं घंटों बैठकर सुना हूं। मैं जब पंडरिया का विधायक था और लोरमी पंडरिया एक हुआ करता था तो मंडला जिले के चांड़ा के पास एक सेंदूरखार गांव है वहां जाने के लिए पहले चांड़ा, मंडला जाते थे फिर सेंदूरखार जाते थे। अब तो सड़क बन गई है। सेंदूरखार में जब मड़ई होती थी तो वहां के बैगा और बैगिन लोग अपनी भाषा में गाना गाते थे, तो वह समझ में आता नहीं था तो उनके एक गुरूजी थे उनसे हम लोग उनकी भाषा को समझते थे। तो यह हमारे छत्तीसगढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

की खूबसूरती है। छत्तीसगढ़ में ऐसे बहुत से फूल हैं जो बस्तर से लेकर सरगुजा तक हैं। बीच में एक बार इसी विधानसभा में छत्तीसगढ़ के जितने वाद्ययंत्र हैं उनको यहां पर प्रदर्शित किया गया था। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं साहित्य और इन सब प्रकार की चीजों में बहुत रूचि रखते हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा और आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि इसका संग्रहालय भी बनाया जाना चाहिए। हमारे पुरातत्व विभाग में भी बहुत से और एक से एक अनमोल धरोहर हैं जिसकी रक्षा के लिए ठीक से जो व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं है। मैं ये आरोप की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं क्योंकि हमारी विरासत इतनी मजबूत है लेकिन उसकी सुरक्षा के इंतजाम मजबूत नहीं हैं। तो ये जो वाद्ययंत्र हैं इनका यहां पर प्रदर्शन होना चाहिए और बाकी जगह हो या न हो यह तो सरकार को सोचना है, मैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब सत्र में कोई बड़े-बड़े कार्यक्रम यहां पर होते हैं तो एक दिन आप सिर्फ छत्तीसगढ़ी वाद्य संगीत का ही कार्यक्रम रख दीजिए और हम उसके माध्यम से तो यह जानें कि छत्तीसगढ़ में कौन-कौन प्रकार के वाद्ययंत्र कैसे बनाये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत से जो वाद्य यंत्र बजाने वाले गुरू हैं, उसके पुजारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। तो ऐसे लोग जो जिंदा हैं, अशक्त, बुजुर्ग हैं उनको भी एक दिन बुलाकर आप उनके साथ बैठ लीजिए और उनको क्या मदद हो सकती है और वह कैसे हमारी आगे की पीढ़ी को सिखा सकते हैं उस पर भी पहल होनी चाहिए और एक तिवारी जी के बारे में आपने जो कहा वह हमारे बिलासपुर जिले से संबंधित हैं। वे लोग मेरे यहां भी आए थे कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वह इतना मार्मिक क्षण और इतनी मार्मिक विदाई शायद पूरे हिन्दुस्तान में कोई नहीं दिया होगा कि एक अपनी मॉ छत्तीसगढ़ी गीत गाते हुए अपने बच्चे की अर्थी को विदाई दी। ये हमको झकझोरने वाली बात है और इस बात के लिए हमको सोचने पर मजबूर कर रहा है कि एक मॉ अपने लाडले बेटे को गीत गाते हुए उसके अंतिम संस्कार के लिए विदाई दी है। यह सिर्फ एक सामान्य विदाई और यह सामान्य गीत नहीं है बल्कि यह हम सबके लिए एक संदेश है कि चाहे आप उधर बैठे हों, चाहे हम इधर बैठे हों यह हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति में जीने रचने बसने वालों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले और हमारी सरकार इतनी सक्षम है कि हम अगर थोड़ी सी भी पहल करें, अगर उनको अफसरशाही के शिकंजे से बाहर रखकर के अगर आप पहल करेंगे तो उन तक मदद पहुंचेगी और उनको अगर हम मदद करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को मदद करेंगे। उनको यदि हम मदद करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ी के संस्कार को मदद करेंगे, उनको अगर हम मदद करेंगे तो अपने छत्तीसगढ़ की इस पहचान की विरासत को संभाल कर रखने का पुण्य काम करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि इस संकल्प के माध्यम से इन प्रश्नों पर भी विचार करियेगा और आगे जो हो सके आप यथासंभव कोशिश करिए। ये छत्तीसगढ़ के हित के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और पुरातत्व के लिए बहुत अच्छा होगा, यही विनती है

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

और अध्यक्ष महोदय, एक कार्यक्रम आप छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत का बजट सत्र में जरूर कराईयेगा यह आपसे भी आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं कला संस्कृति के ऊपर थोड़ा से बात करना चाहथों।

अध्यक्ष महोदय :- श्री कुंवर सिंह निषाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी-जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान, वरिष्ठ सदस्य अजय चंद्राकर जी द्वारा छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति पर जो भी प्रकाश डालिस, मे वोखर भावना से अवगत हो के बहुत प्रभावित हो कि कम से कम छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के बारे में सोचे हे। छत्तीसगढ़ से बाहर यदि छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति ला देश दुनिया में ले जाये के वो कला के साधक नाचा के पुरोधा मन ला अगर काम करवाय के जो जिम्मा ले रिहिस माननीय हरदीप तनवीर जी के साथ मोला भी काम करे के अवसर मिले हे। में एक महीना तक वोखर साथ में काम करेंव। मोला वोखर साथ दो तीन ठक नाटक करे के भी अवसर मिले हे। निश्चित ही माननीय अजय चंद्राकर जी कहात रिहिस चाहे सरगुजा के नाट्य शाला के बात करत रिहिस, रामगढ़ के बार या शैलचित्र, भित्ती चित्र के बात, ये हमर बहुत पुरातन संस्कृति के बात हे, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति अऊ परंपरा सोच अऊ बढ़ावा दे के बात हे, तो वर्तमान सरकार के द्वारा जो अभिनव पहल अभी छत्तीसगढ़ में कला संस्कृति के संरक्षण बर हो चाहे बढ़ावा देबर हो, जोन भी बात किया जाथे बिल्कुल स्वागत योग्य हे। माननीय मुख्यमंत्री जी के एक वक्तव्य भी आय रिहिस जेखर बारे में डिबेट में मैं भी शामिल होय रेहेव। छत्तीसगढ़ में कला परिषद के गठन के बारे में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहूं कि 1995 में दुर्ग के मानस भवन में तत्कालीन वो समय अविभाजित मध्यप्रदेश के समय नाचा के महोत्सव होय रिहिस। वो आखिरी हरे, वोखर बाद से आज तक कोई छत्तीसगढ़िया कला संस्कृति के ऊपर कोई कार्ययोजना शासन के तरफ से नई होय हे। वो नाचा महोत्सव में पूरा छत्तीसगढ़ से अऊ मध्यप्रदेश के बहुत सिद्धस्थ कलाकार मन आये रिहिस हे, में भी अपन प्रतिभा के प्रस्तुतिकरण करे रेहेव। तो वोखर बाद से आज तक वो नाचा के पुरोधा जेला हमन छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के उद्भव के रूवरूप मानथन तो नाचा ला मानथन, वो नाचा के आज सिद्धस्थ कलाकार मन आज गुमनामी के जीवन जी के खत्म हो चुके हे। वोला में बनाना चाहूं, चाहे वो भुलवाराम होय, चाहे फिदा बाई होय, चाहे मालाबाई होय, चाहे विराट तिवारी होय, चाहे मदन बाह, साथ ही ऐसे बहुत से सिद्धस्थ कलाकर हे, आदरणीय मिथलेश साहू जी, जोन आज 60 साल के उमर में जेन छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति जेखर साथ में 20 साल काम करे हंव, वोला बहुत करीब से जानथंव, आज

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वो हा लकवाग्रस्त शिकार हे अऊ आज यहां स्थानीय रायपुर में भर्ती हे। वो ऐसे कला के साधक जेन कभी अपन प्रस्तुति के चिंता नई करिस न कोई चीज के फिकर करिस, वोखर साथ में आठ-आठ दिन दस-दस दिन जंगल के ऐसे गांव में जा के, ये पारंपरिक गीत के खोज करन, वो ओखर देन हरे। छत्तीसगढ़ में जतका लोक गीत, पारंपरिक गीत ला लाय के कोई अगर जिम्मा हे, आज कोई ऊपर अगर भरोसा किये जा सकथे तो आदरणीय मिथलेश साहू जी हे। जेन केवल छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला, कला ला, परंपरा ला बचाय बर कमार जाति मन ला ले जा के दिल्ली में भी प्रदर्शन करे के कोई काम करे हे ता आदरणीय मिथलेश साहू जी हे। तो ऐसे बहुत से सिद्धस्थ कलाकर हे, आदरणीय ममता चंद्राकर जी हे, आदरणीय शिवकुमार दीपक जी हे, कुमार साहू जी, आदरणीय रामचंद्र देशमुख जी, महासिंग चंद्राकर जी, मदन निषाद जी, नाचा के सिद्धस्थ कलाकार झुमुकदास, नायिक दास जी भी हे, भैया लाल हेड़ऊ जी हे, तो ऐसे बहुत से सिद्धस्थ कलाकार हे जेन मन नाचा के, संस्कृति के अपन सेवा करत करत ये दुनिया से चले गेहे। अऊ कई झन मन जीयत भी हे। तो में वोखर योगदान बर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करहूं, माननीय अध्यक्ष जी से भी निवेदन करहूं, कि छत्तीसगढ़ में यदि माननीय अजय चंद्राकर जी के प्रस्ताव आय हे कि लोककला अकादमी के गठन करे के येखर स्वरूप एक बदलना चाहिए। येमे एक शब्द अऊ समाहित होना चाहिए कि आदिवासी आदि। कला परिषद के गठन होवत ता आदिवासी समाहित कर देना चाहिए ताकि आदिवासी संस्कृति के भी वोमे सामंजस्य अऊ समाहित होथे। आदिवासी लोककला परिषद के गठन पहली मध्यप्रदेश में होय रिहिस। वोखर माध्यम से हमन ला भी आदिवासी लोककला परिषद के गठन करना हे।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- वोखर से रास्ता भी खुलही और साथ ही, यह भी में कहना चाहूं कि यदि संस्कृति अऊ परंपरा के गठन होथे तोन जोन भी सिद्धस्थ कलाकार हे, वोमन ला यदि हमन लोक कला ग्रंथ के माध्यम से हर संभाग स्तर में एक ठोक लोक कला ग्राम बना देन, अऊ लोक कला ग्राम के माध्यम से संभाग स्तर में जतका भी कलाकर हे तेमन ला यहां वोहें प्रशिक्षण देबर वोमन ला यदि मानदेय के माध्यम से जोन कलाकार मन आज अगर जीवन के अंतिम पड़ाव में जेमन कला के साधक हे, वोमन ला यदि मानदेय के रूप में वहां अवसर दिये जाये, वोमन ला प्रशिक्षण के अवसर दें तो, निश्चित ही जेन आदमी 40 साल से 50 साल तक पूरा अपन कला के पूरा अपन जीवन ला कला बर खुमार कर देहे वो कलाकर मन बर एक सम्मान होही। अऊ कम से कम हमर छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति अऊ परंपरा में जोन हमर नया जनरेशन हे तेमन ला भी एक अवसर मिलही।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी जो प्रस्ताव लाये हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कुंवर सिंह निषाद :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात अउ कहना चाहूं कि माननीय धर्मजीत सिंह जी वाकई में पूनम तिवारी जी के साथ में भी काम करेव। में ओला बहुत करीब से जानथौं। ओकर एक लड़का अकेला चिराग रिहिसे जेन अभी कुछ दिन पहली हृदय रोग से पीड़ित होय हाइसे अउ खत्म होगे स्थानीय निजी अस्पताल में। ओकर अंतिम समय में, अंतिम यात्रा में यदि कोई मां अपन बेटा के विदाई, एक कारूणीक गीत के अंत होथे कि चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा चोला माटी के हे राम। ए गीत ला गाकर, अपन बेटा के अंतिम यात्रा के विदाई ला दे हे। में निश्चित ही ये सदन के माध्यम से कहना चाहूं कि ओला भी सम्मान मिले। ये सदन में पारित हो कि ओला आर्थिक सहायता मिले ताकि ओकर परिवार जीवकोपार्जन अच्छा ढंग से कर सके। मोला आपमन बोले के अवसर देव तेकर बर बहुत-बहुत हृदय से आभार।

अध्यक्ष महोदय :- ये चोला माटी के हे राम, एकर का भरोसा ये चोला माटी के हे। ये तो मुख्य रूप ये चरण दास चोर के गाना हे गा।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। लेकिन पूनम तिवारी गावत रिहिसे।

श्रीमती रश्मि आशिष सिंह :- भईया उसी की कलाकार थी। पूनम तिवारी और दीपक तिवारी उसी के कलाकार थे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- पूनम तिवारी गावत रिहिसे। ओकर साथ माला बाई ओ भी गावत रिहिसे।

अध्यक्ष महोदय :- ओ चरणदास चोर में जेमा चरण दास चोर बने रिहिसे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी। मदन निषाद हा चोला माटी के हे राम करत रिहिसे ।

अध्यक्ष महोदय :- वही हे ना। महूं जानथौं।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चरणदास चोर जो नाटक हे, वहू बहुत चले हे।

अध्यक्ष महोदय :- हां चले हे। बहुत बढ़िया हे।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अउ प्रेरणादायक नाटक हे। माननीय अजय चन्द्राकर जी जो अशासकीय संकल्प प्रस्तुत करे हे।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक मिनट।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ते कले चुप बइठ ना। का तेहा बार-बार उठथस।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक मिनट तहान कले चुप हो जहूं। हममन ला बोलन दे ना गा। तुमन तो बोलत रहिथौ हमन ला बोलन दे, जब अवसर मिलथे ता। ते कले चुप रहे कर। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

माननीय अजय भईया क्षमा चाहूं। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के कला, परम्परा संस्कृति ला यदि बढ़ाये के अगर उस समय भावना रहितिस।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं। सुनना भाई। अगर एला सर्वानुमति से पास करना हे तो अब आगू पीछू के बात।

श्री कुंवर सिंह निषाद :- एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मे आरोप नहीं लगात हों। केवल विस्तृत अउ ओकर विस्तार में जावत हों। बिल्कुल चाहे लोक कला अकादमी हो चाहे आदिवासी लोक कला परिषद के गठन होना चाही, ताकि छत्तीसगढ़ के कलाकार मन ला सम्मान मिले। ओकर सही भावना के साथ में भी सर्वसम्मति से पारित होए। ये आपसे निवेदन करत हौं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमन सबके सब जम्मो के जम्मो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक कला अकादमी के गठन के प्रस्ताव के समर्थन करत हन अउ एकर बर करत हन कि कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, जे अपन संस्कृति ला भूला जथे, जे अपन सभ्यता ला भूला जथे, जे अपन जीवन शैली ला भूला जथे। हमर यहां छत्तीसगढ़ में कर्मा नंदाथे, सुआ नंदाथे, पंथी नंदाथे। ये सब ला हमन ला बचाना हे। चंदेनी गोंदा हे।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- ये दरी राजयोत्सव नहीं गेस का। सुआ, कर्मा, पंथी, ददरिया, ये चोला माटी के हे राम ते...।

श्री रामकुमार यादव :- एमन सलमान खान, एश्वर्या राय आये रहितिस ता जाए रहितिस, ओमन ला थोड़ी देखे बर जाही।

श्री नारायण चंदेल :- सुनना सरोत्तर बलाए कहां रहेव?

श्री रविन्द्र चौबे :- तोर नाम तो कारड में छपे रिहिसे।

श्री नारायण चंदेल :- सुनना सरोत्तर बलाए कहां रहेव?

श्री रामकुमार यादव :- अभी सुन डरहि की माधुरी दीक्षित आये हे तो एमन आगू में बइठ जही।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां बलाए रेहेव कि कार्ड ला फेंकवाए रेहेव।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी से आमंत्रण है।

श्री कवासी लखमा :- अभी 27 और 28 दिसम्बर को फिर कार्यक्रम होने वाला है। अभी से आमंत्रण है। अभी बोल रहे हैं कि 27 और 28 दिसम्बर को नाचना है, पूरे देश के लोग आ रहे हैं। मैं आपके हरियाणा में खट्टर साहब को बुलाने गया था, वे भी आएंगे, वहां के उप मुख्यमंत्री भी आएंगे, मैं आंध्रा, तेलंगाना भी गया था, वे भी आएंगे और आप सब लोगों को आना है। मैं नरेन्द्र मोदी को भी बुलाने जाने वाला हूँ। मैं जाऊंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। ठीक है। अच्छा है। ये सब ला बचाए बर, हमर जो जइसे आप दादू सिंह जी के नाम लेव। ओ हमर गउत गांव के। आपसे बहुत निकट के रिहिसे। हमन ला जतका लोक कलाकार हे, चाहे वह तिजन बाई हो। लक्ष्मण मस्तुरिया के आवाज, मोहम्मद रफी फेल रिहिसे। लेकिन अइसना-अइसना मन ला हमन कइसे संग्रहित करी। अउ ओकर पैत्रिक गांव में अच्छा हो कि हमन जतका विधायक मन हे, अपन विधायक निधि से अइसना लोक कलाकार मन के स्मृति में कोई न कोई प्रतीत वहां छोड़े या ओ मन के कोई प्रतिमा लगा दो। ताकि एमन ला आने वाला पीढ़ी ओला सुरता करए कि हमर गांव के रिहिसे। छत्तीसगढ़ के ख्याति नाम कलाकार रिहिसे। जइसे हमन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के मूर्ति लगाथन। अउ माननीय मुख्यमंत्री जी बइठे हे। छत्तीसगढ़ में भी कोई भारत भवन सरीखे कोई भवन हमन ला बनाना चाही। जेमे छत्तीसगढ़ के पूरा झलक मिलए। बस अतके कहात हुए मैं प्रस्ताव के समर्थन करत हों। आप मोला बोल के समय देव, ओकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी द्वारा लाये गए छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोककला अकादमी के गठन के प्रस्ताव मा मैं बोले बर खड़े हवं। मध्यप्रदेश लोक कला परिषद कस बढ़िया काम होय, आप समय देहे हौ। एकर साथ-साथ जे वाद्य यंत्र है, ओलो कैसे बजाये जाये, तेकर ऊपर रिसर्च होना चाहिए। अगर हमन सुआ, ददरिया के बात करत हन, जे हमर डांस के पद्धति हे, तेकर बात करत हन, ओहू मा शोध होना चाहिए कि कैसे ओमा बदलाव होथे। भरतनाट्यम में बदलाव होथे, ओकर तरह के ओड़िसी नृत्य मा बदलाव होथे। ओमा जब धीरे-धीरे संस्कृति के बदलाव के बात आत हे कि ओमा बदलाव होथे, तेके ऊपर विचार होकर ओकरे ऊपर रिसर्च होना चाहिए। एकर बर लोक कला अकादमी बने के हमन समर्थन करत हन। माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल टेक्नालाजी आ गये हे कि यूट्यूब के माध्यम से प्रचार होवत हे, संस्कृति विभाग चीज मन ला अपलोड तो करे। नया जनरेशन पुरानी चीज मन, पुराना नाटक मन समझै तो। अगर आज हमन नाटक के चर्चा करत हन तो कोई अगर हबीब तनवीर जी के भी नाटक देखना चाहत हे तो वो कौन बेर देखही। तो ओकर देखै के व्यवस्था संस्कृति विभाग करै। माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी इहां उपस्थित है, ओला अपलोड होना चाहिए। चंदेरी गोदा के बात करत हन, तेला अपलोड होना चाहिए। एकर तरह होवै। संस्कृति विभाग मा हमन देखथन, संस्कृति विभाग में सिर्फ एकठे एप्लीकेशन जाथे कि दो जगह कार्यक्रम हे, दो जगह नाचा हे, इहां एक कलाकार ला भेज दो। ओकर लिए पैसा हे, तेला कुछ बने ढंग से खर्चा होय, वह पैसा सुनियोजित ढंग से खर्चा होय। वह सिर्फ एकठे एप्लीकेशन उतका कन जात हे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में एक बात बोलिहौं। मैं पहली दिन एक थे प्रश्न लगाये रहौं, माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हें। छत्तीसगढ़ में 15 आदमी ला पद्मश्री मिले हे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री कवासी लखमा :- माननीय अध्यक्ष जी, पहले वाले संस्कृति मंत्री नागा बाबा को बुलाते थे, कभी देखे हैं।

श्री सौरभ सिंह :- अरे तुहरा संस्कृति ला बस्तर मा मुर्गा नाच होत हे न, मुर्गा फाईट होथे, तेहू ला ओ संस्कृति विभाग मा रखना चाहिए। ओहू हमर छत्तीसगढ़ के संस्कृति हे। बस्तर के मुर्गा लड़ाई है, तेहू ला देखना चाहिए और ओकरो अपलोड़िंग होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मोर एक निवेदन हे 17 व्यक्ति अइसहां हे जो हमर छत्तीसगढ़ के विभूति हें जे मन ला पद्मश्री मिले हे। मोर प्रश्न नई रहिस हे, ओ दिन मुख्य प्रश्न रहिस हे। माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हें, जे मन ला पद्मश्री मिले हे, ओ मन ला 5 हजार रुपये दिये जाथे, भारत में सबसे कम पैसा दिये जाथे। 17 मा के 13 आदमी आज उपस्थित हैं। हमर इहां के श्यामलाल चतुर्वेदी जी और आदरणीय दामोदर बापट जी ओ मन ला एको रुपया नई मिलिस, ओ मन स्वर्ग सिधार गये। संभागीय आयुक्त से वो पैसा नई मिलिस। ओ मन के ईलाज बर कोई व्यवस्था नई हे, वह संस्कृति से जुड़े हुए हमर व्यक्ति हें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हे, मैं आपके माध्यम से निवेदन करत हौं कि ओ मन के चिकित्सा के व्यवस्था होना चाहिए और ओ मन के जे पैसा दिये जाथे, ते पैसा ला बढ़ाया जाना चाहिए। आप बोले के समय देव, तेकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद। मिस्टर उपाध्याय।

श्री विकास उपाध्याय (रायपुर नगर पश्चिम) :- माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- आपको माननीय उपाध्याय नहीं कहा, मिस्टर उपाध्याय कहा, क्योंकि आप शर्ट पहनकर आये हुए हैं।

श्री विकास उपाध्याय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चन्द्राकर जी द्वारा अशासकीय संकल्प के माध्यम से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक कला अकादमी के गठन की बात कही गई है, मैं उसका समर्थन करता हूं। आपकी 15 साल सरकार थी, तब वह सोच आती और आज हम गर्व महसूस करते। अध्यक्ष महोदय, हमें दु:ख होता है जब हम कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर में जाते हैं, वहां की संस्कृति एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड सब जगह देखते हैं। जब गुजरात, राजस्थान, आन्ध्रप्रदेश में जाते हैं तो वहां की संस्कृति देखने को मिलती है लेकिन दुख होता है जब छत्तीसगढ़ में आते हैं जब से ये राज्य बना तो यहां की संस्कृति पिछले कई सालों से नहीं दिखी। राज्य बने 19 साल हो गये हैं। 19 साल बाद अब लगता है कि इस प्रदेश में रहने वालों का राज्य बना, यहां की संस्कृति, यहां के काम को फायदा पहुंचाने का काम किया। इस प्रदेश के मुखिया ने जब हरेली का त्यौहार अपने शासकीय भवन में मनाया। किस प्रकार से लोग अपने आप निकलकर आये और अपनी संस्कृति के साथ अपनी पहचान को दिखाने का काम किया। हरेली के बाद तीजा, पोला और तीजा, पोला के बाद दिवाली,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गौरी-गौरा, मातर हर जगह अपनी संस्कृति की पहचान को दिखाने का काम किया, गौरी-गौरा में, मातर में सांटा खाकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहां की संस्कृति को बताने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस क्षेत्र में रहता हूं जहां रायपुरा में ऐतिहासिक हटकेश्वर नाथ महादेव जी का मंदिर है। पुन्नी का बड़ा मेला होता है। आज तक इस प्रदेश के किसी मुखिया ने वहां जाकर पुण्य स्नान नहीं किया। ये हमारी संस्कृति है। इसको जीवित रखने के लिए, ये संदेश देने के लिए ये काम किया गया। मेरे विधानसभा क्षेत्र में साइंस कालेज है। ये प्रदेश बने 19 साल हो गये हैं। इतना बड़ा राज्योत्सव जहां अपने आप स्वयं आदमी इकट्ठा होकर आते थे, ऐसा राज्योत्सव मैंने कभी नहीं देखा। जहां यहां की लोकल संस्कृति को, यहां की धार्मिक चीजों को प्रस्तुत करने का काम, उनको मंच देने का काम किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अजय चन्द्राकर जी, हम लोगों ने कई राज्योत्सव देखा जहां करीना कपूर, सलमान खान इस प्रकार के लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन इस प्रदेश के मुखिया का धन्यवाद जिन्होंने यहां की संस्कृति को मंच और महत्व देने का काम किया। इसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, महूं ला दो मिनट । महूं रऊत नाचा नाचे हंओं गा । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- हां, नाच । (हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हा मोर मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देत हंओं जे हा बस्तर से लेकर सरगुजा तक और रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक के चाहे रऊत नाचा हो, चाहे पंथी गीत हो, चाहे ददरिया हो, चाहे साल्हे हो । जब हमन अपन मॉ के कोख ले जनम लेन ता हमन रोवन ता हमर दाई मन कोई हिंदी गीत ला, कोई इंग्लिश गीत ला सुनाके हमन ला चुप नइ कराए रहिस है ओहा सुआ, ददरिया ला सुना के हमन ला चुप करईस हे ता हमन चुपे रहेन लेकिन धीरे-धीरे ओ गीत नंदा गे । हमन के कान हा सुने बर तरसत रहिस हे । मैं हमर माननीय मुख्यमंत्री जी ला अऊ संस्कृति मंत्री जी ला धन्यवाद देहंओं कि जब इहां मुख्यमंत्री बनिस ता पहिली का रहिस हे, पहिली के सरकार हा कौन जनी काबर करय ओला हमन नइ जानन भई । एक ठिक चीरहा पेंट ला पहिन के आवए ओसनहे रेंग देवय ओला 1 करोड़ रूपया ला दे देवए । (हंसी) एक झन आवए, अइसे करके अइसनहे मटका देतिस कनिहा ला अऊ 1 करोड़ रूपया ला दे देवय लेकिन बस्तर के मोर आदिवासी समाज के मोर बेटा जेन हा अपन संस्कृति के लिये गीत गावय, मोर कवासी लखमा जी हावए, अभी मंत्री के रूप में ढोल लगा के नाचही ता मैं विश्वास के साथ कहत हंओं कि छत्तीसगढ़ के गरीब-आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग के दलित समाज जब ओला मौका मिलत हे, एक समय आही जब श्रीदेवी अऊ मिथुन चक्रवर्ती ला भूल जही, अतका कन दम हे हमर छत्तीसगढ़ के माटी के कोख मा । आज इस अवसर पर मैं कहना चाहत हंओं

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कि मैं देखत रहेंओं, हमर चंद्राकर जी ला ओ हा बहुत बड़े सीनियर विधायक है, मैं ओकर से प्रार्थना करत हंओं, निवेदन करत हंओं, ओहा बहुत पढ़े-लिखे है । मैं आज इस अवसर पर ये कइहूं कि जईसे कि हमन नान-नान रहन ता हारमोनियम सीखन तो सारे ग, म, प, ध, नि, सा और सा, नि, धा-पा, म, ग, रे सा अईसने कहिके हमन गनन ता ए कहए ए हा संगीत हे । आज रायगढ़ के धरती मा हमर श्री उमेश पटेल जी हावय । आज कोनो तबला-डुब्बी बजाथें ता कहिथें रायगढ़ घराना के बजा वह चाहे श्रीनगर हो, चाहे कहीं पर भी हो यह छत्तीसगढ, इहां के संस्कृति लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देहंओं जे हर आज अइसे छत्तीसगढ़ के कोई भी प्रदेश में धन ले बड़े होना, जन में बड़े होना लेकिन संस्कृति रग-रग में बसना । आज हमन कांसी बजाथन, कोई छत्तीसगढ़िया ला देखथन तो खुशी हो जथन, भले भूख मरत रहिबो ता मरत रहिबो । हमर छत्तीसगढ़िया ला भेंट डरने कहिके । आज इस अवसर पर सम्पूर्ण जिस प्रकार के मैं पहिली भी कहे रहेंओं हवाईजहाज में चलने वाला से लेकर के, साईकिल में चलने वाला तक और हमर जो संस्कृति हे सबो ला लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हा चलत हे । मैं हा मोर मंत्री जी ला धन्यवाद दिहां जेन ला हमन देखथन, मैं हा इस अवसर पर दोहा पारहूं । हमर मंत्री जी घलो बैठे हे कि - भला प्रदेश हर हे हमर छत्तीसगढ़ हा, अऊ जेकर छ:-छ: लगे बोहार हो, धन्य हे मोर मुख्यमंत्री अऊ धन्य हे मोर केबिनेट मंत्री जतका हे मोर दल मन ला, धन्य हे छत्तीसगढ़ महतारी कोरा ला, जे अतेक बड़े छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के लिये आज आगे बढ़त हे, मोर झोंक लिही जोहार हो, जोहार हो, जोहार हो । (मेजों की थपथपाहट)

संस्कृति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ लोक कला की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध राज्य है । छत्तीसगढ़ की लोक कलाओं एवं वाद्यों की संरक्षण की कार्यवाही लगातार की जा रही है । बुजुर्ग लोक कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर दिया जा रहा है । साथ ही उचित डाक्यूमेंटेशन भी कराया जा रहा है । इस क्रम में राज्य के विभिन्न अंचलों के पारम्परिक लोक वाद्यों को महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में संग्रहित किया गया है । लोक वाद्यों के निजी संग्राहकों एवं वादकों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है । छत्तीसगढ़ की पारम्परिक कलाओं के साथ विभिन्न गाथाओं जैसे भर्तहरि, चंदैनी, जगार, गोपीचंदा, देवारगीत, दसमत, कैना, बसदेवा का विस्तृत अभिलेखन कराया जा रहा है एवं इंटरनेट पर अपलोड किया गया है । इसके साथ ही के लोक कला परिषद ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, यही छत्तीसगढ़ विसंगति है कि अपनी संस्कृति के बारे में विभाग का लिखा हुआ पढ़ना पड़ रहा है ।

श्री अमरजीत भगत :- राज्य में लोक कला परिषद के गठन की कार्यवाही भी प्रचलन में है । अध्यक्ष महोदय, लोक कला परिषद का गठन जिस उद्देश्य से किया गया है । उसके बारे में आपको

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

थोडा सा वाचन करके सुनाना चाहता हूं । छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा सदियों से चली आ रही है । जमीन से जुड़ी व मिट्टी की सुगंध व संस्कृति से सराबोर है, इसे बचाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है । लोक कला व संस्कृति में अपनत्व की भावना रहती है, लोक कलाएं केवल मनोरंजन का साधन मात्र नहीं हैं, बल्कि इसमें इतिहास, विज्ञान और जीवन की सारगर्भिता के दर्शन होते हैं । सामाजिक सौहार्द, सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखने के साथ ही समाज को जागृत करने का काम भी लोक कला के माध्यम से संभव है । चूंकि यह हमारे जीवन से जुड़ी हुई है इसलिए इसका संरक्षण किया जाना जरूरी है । वर्तमान समय में कलाओं के संरक्षण के अभाव में नई पीढ़ी लोक संस्कृति से अंजान है अथवा विमुक्त होती जा रही है । लोक कलाएं हमारी धरोहर एवं अस्मिता हैं । इनकी रक्षा हेतु हर संभव प्रयास किया जाना अत्यंत आवश्यक है । राज्य की समृद्धि संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के महत्व को देखते हुए राज्य लोक कला परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है । यह परिषद स्वशासी इकाई के रूप में भी कार्य करेगा । लोक कला परिषद के प्रमुख उद्देश्य हैं, लोक कलाओं से संबंधित साहित्य को संकलित एवं प्रकाशित करना । राज्य में कार्यरत सभी प्रकार की लोक कला मंडलियों की सूची तैयार कर उनका प्रकाशन कराने संबंधी कार्य करना । मंडलियों को वाद्य यंत्र एवं अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना । नियमित रूप से विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन कराना । उत्कृष्ट कलाकारों को मानदेय उपलबध कराने संबंधी कार्य और सबसे महत्वपूर्ण है लोक कलाओं के प्रशिक्षण हेतु संस्थानों की स्थापना करना । अन्य राज्यों की लोक कलाओं का, राज्य की लोक कलाओं से आदान-प्रदान सुनिश्चित कराना । आधुनिक प्रचार माध्यमों की सहायता से लोक कलाओं का प्रचार-प्रसार कराना । राज्य के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहर वाले स्थानों पर वार्षिक महोत्सव का आयोजन कराना । लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन हेतु शासन को सुझाव देना । प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी रखी जाए कि लोक कला जगत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तथा लोक कला से जुड़े व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार संख्या में शामिल किया जाए एवं संरक्षण एवं संवर्धन के लिए काम किया जाए । माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में परिषद का गठन हो गया है । जिसका कार्यक्षेत्र विस्तृत है और उसके अंदर एकेडमी काम करेगी और परिषद अपनी नियमावली बनाएगा । संचालन के लिए, नियंत्रण के लिए नियम बनाएगा एवं उसका संचालन करेगा । साहित्य, कला संस्कृति, वाद्य यंत्र और उसके संरक्षण, संवधैन के लिए काम करेगा । मैं माननीय अजय चन्द्राकर जी से कहना चाहूंगा कि अभी विभिन्न अवसरों पर जब आयोजन हुआ । उसमें आपने छत्तीसगढ़िया छाप देखी होगी । चाहे हरेली का त्यौहार हो, चाहे तीजा का त्यौहार हो, पोला का त्यौहार हो, विश्व आदिवसी दिवस हो, गोवर्धन पूजा हो, राउत महोत्सव हो और छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में जिस प्रकार से राज्यगीत सुनाया

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया, वह भी अपने आप में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को गौरवान्वित करता है । आपसे आग्रह करता हूं कि अभी पिछला जो आयोजन हुआ था उसमें तो आप लोग नहीं आए थे ।

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, मंत्री जी । आपने बहुत अच्छी बात कही । हम नहीं आए, ऐसा नहीं है । आपने ठीक से बुलाया नहीं था । अध्यक्ष जी, मैं बता रहा हूं और मैं कोई दुर्भावना से नहीं बोल रहा हूं । मुझे आपके राज्योत्सव का निमंत्रण बिलासपुर के नेहरू चौक में लाल बत्ती में मेरी गाड़ी खड़ी थी तो एक स्कूटर में कोई आदमी आए और कहा कि रूक न भइया, रूक ना । दू दिन ले मैं नइ आ पाए हौं, 2 तारीख को नेहरू चौक में उसने कार्ड दिया । कार्ड तो मिला, मैंने सहर्ष स्वीकार किया । लेकिन थोड़ा सा दिल बड़ा रखिए । अच्छे से बुला लीजिए, हम लोग आएंगे तो देखेंगे ही तो, उस कार्यक्रम में हमारे मान सम्मान की रक्षा करके बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे । छत्तीसगढ़ की संस्कृति के कार्यक्रम में क्यों नहीं आएंगे ? आप बताइए क्यों नहीं आएंगे ? लेकिन जरा ठीक से तो बुलाइए । आप राजा हैं तो राजा के अंदाज में बुलाइए, हम प्रजा हैं प्रजा के अंदाज में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त कर रहे हैं। जल्दी लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- हम लोग तो सरल लोग, सहज लोग हैं। जो बुलाने का तरीका है, हम तो उसी तंत्र से बुलाये थे, जिस तंत्र से हमेशा बुलाया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि राज्योत्सव के समय में आप लोगों की अनुपस्थिति हमें खली। हमें अधूरा-अधूरा सा लगा। राज्योत्सव सबका है। यह राज्य का उत्सव है और उस उत्सव में छत्तीसगढ़िया आयोजन, छत्तीसगढ़ के कलाकार, यहां की संस्कृति, यहां की विधा, उसका मंचन हो और हमारे साथी हमसे दूर हो तो अधूरा-अधूरा सा तो लगा। मैंने आप लोगों से दूरभाष में भी चर्चा करके आप लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन इसके बाद भी आप लोग किसी कारणवश नहीं आ पाये, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस जो 27,28,29 को होने जा रहा है, उसमें सभी प्रदेश से बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं और इस देश के बाहर विदेश से भी मेहमान आ रहे हैं, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, अमेरिका, यूगाण्डा, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, केनिया इन सभी देशों से भी मेहमान आ रहे हैं। तो आप लोग जरूर आइएगा। मैं अजय चन्द्राकर जी से अनुरोध करता हूं कि जब परिषद का गठन हो गया है तो अकादमी के गठन की कोई जरूरत नहीं है। अकादमी छोटी चीज है। इंस्टीट्यूट है और परिषद फेडरेशन है। उसका कार्य क्षेत्र और उद्देश्य बड़ा है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसको आप वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब परिषद का गठन हो गया तो इसका औचित्य मेरे ख्याल से नहीं रह जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी अजय चन्द्राकर जी से आग्रह करता हूं कि इसे वापस ले लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो मैं उनके भाषण से निराश हूं। संस्कृति मंत्री का लोक कला परिषद पर जिस तरह से भाषण हो रहा है, उसमें गंभीरता होनी चाहिए और

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

वह जो कह रहे हैं, वह ओर और छोर है। मतलब वे पूरब और पश्चिम बात कर रहे हैं। उन्हें बनाना हो। जिस स्वरूप में वे बनाये हैं, जिसको जितनी समझ है, वे बनायेंगे। यह इतना नाजूक विषय है, इसलिए मैं इसमें बहस नहीं करना चाहता। पर जितनी भी बातें उन्होंने रिकार्ड में लायी है, मेरा जो उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ के प्रति मेरी जो भावना है, इसमें इसका कहीं भी अता-पता नहीं है। परिषद में लोग आयेंगे। संस्कृति विभाग के अधिकारी यहां बैठे हैं। हमने यहां करवाया है। ऐसा नहीं यह पहली बात हो रहा है। पहली बार छत्तीसगढ़ के 1400 कलाकारों ने एक साथ प्रदर्शन दिया था। यह पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। हमने किया है, हमने करवाया है, ऐसा हो रहा है नहीं। सवाल यह है कि एक छोटा सा विषय है कि मुझे चनैनी गाना सीखना है। मुझे रूचि है। रामाधार साहू जी के बाद चनैनी सीखाने वाला कोई आदमी नहीं है। उसकी मोनाग्राफी मौजूद नहीं है। तो चनैनी गाना मुझे सीखना है या मुझे चिकारा बजाना सीखना है तो मैं कैसे सीखूंगा? छत्तीसगढ़ की उपसंस्कृति को मैं ले जाना चाहता हूं। मैंने एक बार कहा था कि 1905 सी.पी. बरार और छत्तीसगढ़ बनने तक मध्य प्रांत तक छत्तीसगढ़ लगातार सांस्कृतिक रूप से एक नहीं हो पाया। अगर बस्तर और सरगुजा के बीच में आदान-प्रदान करना है या छत्तीसगढ़ की उस संस्कृति को उधर भेजना है, यह बिल्कुल डिफरैंट विषय है। बिल्कुल अलग चीजें हैं। उसकी डाक्यूमेंटेशन, उसकी मोनोग्राफी, उसे देखना, उसके अलग-अलग प्रभाग बनाना। ये बिल्कुल अलग विषय हैं। आप जो बात कर रहे हैं, वह बिल्कुल अलग विषय है। मैं वापस नहीं ले रहा हूं। बनाना या नहीं बनाना सरकार का विषय है। यह मेरा विषय नहीं है। मैं जिन बातों को कहना चाहता था, वह बात रिकार्ड में आ गयी। मैंने छत्तीसगढ़ का एक नागरिक होने के नाते कहा। मुझ पर यह जो आरोप-प्रत्यारोप कर रहे थे कि 15 साल में पुण्य स्नान हुआ। यह इसका विषय नहीं है। उनको लगता है कि वह विषय है, वह अपनी बात कह रहे थे। मैं इस मामले में कुछ कहना ही नहीं चाहता। जो बात मैं रिकार्ड में लाना चाहता था। जो बात मैं छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार नागरिक या निर्वाचित प्रतिनिधि के नाते कहना चाहता था, वह मैंने कही। 15 साल की बात है तो 15 साल में मैंने या हमारी सरकार ने क्या किया, यह अलग बहस कभी हो सकती है, लेकिन जो मेरे लिए वक्तव्य आया, वह निराशा का विषय है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ लोक कला अकादमी का गठन किया जाये।"

**संकल्प अस्वीकृत हुआ।**

श्री अजय चन्द्राकर :- यह है छत्तीसगढ़ की सेवा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 को 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

**(सायं 06 बजकर 30 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 दिसंबर, 2019 (अग्रहायण 11, शक संवत 1941) के पूर्वाह्न 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की गई)**

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक : 29 नवंबर, 2019 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं